राजस्थान विधान सभा

ग्यारहवीं बैठक, बुधवार, दिनांक—१७ मार्च, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-भवन, जयपुर, में प्रातः ८ बज कर ३५ मिनट पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या २६१

सांकड़ा तथा उसके समीपवर्ती ग्रामों को सामुदायिक विकास योजना में सम्मिलित करना

श्री खेतसिंह—Will the Minister for Community Projects be pleased to state:—

(i) Whether the Government proposed to bring the village Shankara and the adjoining villages into a Community Development Block ?

(ii) If so, which of the villages will be included in this new extension block ?

(iii) How much amount is proposed to be spent for the development of this block and under what heads ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सामुदायिक विकास मन्त्री)—(i) The matter is under consideration.

(ii) Same. as (i)

(iii) Does not arise.

प्रश्न संख्या २६२

डेगाना से सांजु सड़क का निर्माण

श्री भोपालसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

[श्री भोपालसिंह]

(क) डेगाना से सांजु सड़क बनाने का कार्य कब तक चालू कर दिया जावेगा ?

(ख) क्या इसको बनाने की पिछले साल मन्जूरी हो चुकी थी ?

(ग) यदि हाँ, तो इतनी देर कैसे की गई ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(क) कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यह काम अभी स्वीकार नहीं हुआ है।

(ख) अकाल निवारणार्थ कुछ कार्य के अलावा और कोई इसकी मन्जूरी नहीं हुई थी।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता।

श्री भोपालसिंह—क्या यह जरूरी नहीं है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जरूरी तो इसके अलावा भी और बहुत हैं।

श्री भोपालसिंह—उस तहसील में कुछ भी नहीं हुआ था क्या इस दृष्टि से यह जरूरी नहीं है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह सही नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २६३

सपोटरा-मंडरायल तहसील में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियें तथा सम्बन्धित इन्सपेक्टरों के दौरे।

श्री धर्मचन्द (सपोटरा)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे—

सपोटरा-मंडरायल तहसील में किन-किन स्थानों पर आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज़ हैं और सम्बन्धित इन्सपेक्टर ने इन स्थानों में से किन-किन का दौरा इस वर्ष कब-कब किया है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—सपोटरा-मंडरायल तहसील में, कूरगाँव, नारोली व लांगरा में आयुर्वेदिक औषधालय हैं, और इन स्थानों पर सम्बन्धित इन्सपेक्टर ने क्रमशः ता० २६-६-५३, २६-८-५३ तथा २८-१०-५३ को दौरा किया।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २६४

नागरिक रसद विभाग के कर्मचारियों का सरप्लस करना

श्री खेतसिंह—Will the Minister for Civil Supplies please state:—

(a) What is the total establishment under each category in the Civil Supplies Department ?

(b) How much of it is proposed to be rendered surplus ?

(c) How much staff of each category is proposed to be retained and for what purposes ?

श्री भोगीलाल पंड्या (नागरिक रसद विभाग मन्त्री)—(a) The total strength of the Civil Supplies Department in the Budget for 1953-54 was 2979. The list is placed on the Table of the House.

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(b) Out of the above strength, 317 posts were already retrenched by 31st January, 1954, and now it is proposed to retrench about 1035 posts as shown in column 6 of the statement as referred to above.

(c) Thus in the revised set-up, it is proposed to retain the strength of 1627 porsons as given in the column 7 of the attached statement. The details are given below. This staff is required for finalisation of accounts, disposal of huge stocks of foodgrains and also some skeleton staff for administrative purposes in view of continuation of controls on various commodities and disposal of old cases.

Category.	Admins	Accounts.	Godowns	Total
(1) Gazetted Officers	37	14		51
(2) Officers of S. A. S	105	—	28	133
(3) Miniśterial staff	515	381	157	1053
(4) Class IV servants	136	74	180	390
Total.	793	469	365	1627

प्रश्न संख्या २६५

किशनगढ़ तहसील में नारोलाव की भूमि वनक्षेत्र

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(क) किशनगढ़ तहसील में नारोलाव में जो जमीन है क्या वह फारेस्ट एरिया में है ?

(ख) क्या यह सही है कि इस जमीन के पास की जमीन में खेती होती है और इस जमीन को भी तहसीलदार किशनगढ़ ने काश्त पर उठाई थी जिसको वन विभाग ने बन्द करा दिया है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि उक्त जमीन में काश्त करने वाले के खिलाफ वन विभाग ने मुकद्दमा चालान किया है ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)—(क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं। काश्त की ज़मीन वन क्षेत्र से दूर है। तहसील ने गलतफहमी से वन विभाग की ज़मीन को काश्त पर दे दी थी, परन्तु वन विभाग के एतराज पर तहसील ने अपनी इजाजत वापस ले ली।

(ग) जी नहीं। ज़मीन पर काश्त करने के विरुद्ध मुकद्दमा नहीं चलाया; बल्कि ज़मीन काश्त पर देते समय तहसील से यह शर्त रखी गई थी कि बड़े पेड़ नहीं काटे जावेंगे। परन्तु आज्ञा के विरुद्ध पेड़ काटे जाने के अपराध में राजस्थान वृक्ष हटाने के अधिनियम, १६४६, (Rajasthan Removal of trees orbinance 1949) के आधीन मुकद्दमा चालान किया गया है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस जमीन का भी डिमार्केशन नहीं हुआ है।

श्री अमृतलाल यादव—इसका इस प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है, आप अलग प्रश्न पूछिये।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २६६

जसनगर-रीयाँ सड़क का निर्माण

श्री भोपालसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

Page No.5

[श्री भोपालसिंह]

(१) क्या जसनगर-रीयाँ सड़क बनाने का सरकार विचार कर रही है ?

(२) यदि हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—इस समय तक की योजना में इस काम को प्राथमिकता की दृष्टि से स्थान नहीं मिल सका है। आगामी पंचवर्षीय योजना में यथोचित विचार किया जायगा।

प्रश्न संख्या २८७

राजस्थान के समस्त गवर्नमेंट एडवोकेट्स तथा पब्लिक प्रोसीक्युटर्स

श्री खेतसिंह—Will the Minister for Judicial Department please state:—

(i) What is the total number of Government Advocates and Public Prosecutors in Rajasthan ?

(ii) Whether their integration has taken place or not ?

(iii) If not, when it proposed to be taken up ?

श्री टीकाराम पालीवाल (न्याय मन्त्री)—(i) There are one Government Advocate and one Deputy Government Advocate attached to the Rajasthan High Court at Jodhpur and two Duputy Government Advocates attached to the High Court Bench at Jaipur. There are 29 Public Prosecutores and Additional Public Prosecutors and 3 Assistant Public Prosecutors.

(ii) The appointments of the Government Advocate and the Deputy Government Advocates have been made under the revised scheme.

As regards Public Prosecutors it may be stated that on the eve of merger there were both whole-time as well as part-time Public Prosecutors. The whole-time Public Prosecutors were permanent Government servants of the covenanting States of Jodhpur and Former Rajasthan. All these Public Prosecutors were in the first instance appointed on an ad hoc basis to carry on until new rules were framed for the recruitment and conditions of service etc., of Public Prosecutors. It is proposed to gradually absorb the whole-time Public Prosecutors (eight in number) elsewhere and replace them by suitable part-time incumbents selected from amongst practising lawyers. Fourteen public Prosecutors and Additional Public Prosecutors and 3 Assistant Public Prosecutors have been fixed up on a part-time basis under the revised scheme and the appointments at the remaining

[श्री टीकाराम पालीवाल]

places is under active consideration. All the appointments are expected to be completed before the end of this month.

(iii) In view of reply at (ii) above, the question does not arise.

श्री खेतसिंह—क्या गवर्नमेंट अब पार्ट-टाइम पब्लिक प्रोसीक्युटर्स रखने का विचार रखती है या सबको होल-टाइम करने का ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने कहा पार्ट-टाइम।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह्—क्या गवर्नमेंट प्रश्नकर्त्ता को भी स्थान देने का विचार कर रही है ?

श्री खेतसिंह—खातिर रखिये ऐसी आफत मुझ पर नहीं आने पायेगी।

प्रश्न संख्या २९८

दौसा डिस्पेन्सरी को अस्पताल बनाना

श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा—Will the minister for Health be pleased to answer—

When does the Government propose to raise the Dausa dispensary to the states of a Hospital ?

श्री रामकरण जोशी (स्वास्थ्य मन्त्री)—चूंकि दौसा डिस्पेन्सरी में पहिले से ही ७ रोगी शय्याओं के रखने की व्यवस्था है इसलिये भारत सरकार की दी गई हॉस्पिटल की परिभाषा के अनुसार यह पहिले ही हॉस्पिटल है। दैनिक औसत को ध्यान में रखते हुए और शैय्याओं के बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

प्रश्न संख्या २९९

श्री अध्यक्ष—श्री लालूराम।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३००

ग्राम-सुधार-कार्यालय को कपासन से मावली स्थानान्तरित करना

श्री जगतसिंह झाला—क्या मन्त्री, सहकारी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे—

[श्री जगतसिंह झाला]

(अ) ग्राम-सुधार कार्यालय को कपासन से मावली स्थानान्तरित करने के क्या कारण हैं ?

(आ) क्या सरकार इसे वापिस मावली से कपासन लाने का विचार कर रही है ?

(इ) यदि हाँ, तो कबतक और नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव (सहकारी मन्त्री)—(अ) कपासन एक बड़ा कस्बा है। ग्राम-सुधार- केन्द्र यथासंभव किसी ग्राम में रहना चाहिये, किन्तु फिर भी कपासन में ग्राम-सुधार केन्द्र दो साल सात मास वहाँ रहा। इस अरसे में लगातार कहते रहने पर कपासन के निवासियों ने ग्राम-सुधार कार्यों में उपेक्षा दिखाई और उचित भाग नहीं लिया ।

(आ) नहीं।

(इ) जी नहीं, क्योंकि कपासन की अपेक्षा मावली ही नहीं बल्कि आसपास के सभी छोटे ग्रामों के निवासी ग्राम-सुधार कार्यों में काफी रुचि ले रहे हैं और यहाँ थोड़े अरसे में ही इस केन्द्र ने जनता के सहयोग से पर्याप्त उन्नति की है और क्षेत्र भी विस्तृत है।

श्री जगतसिंह झाला—क्या कपासन के अलावा दूसरी जगहों से भी हटाया जा सकता है ?

श्री अमृतलाल यादव—संभव है।

श्री जगतसिंह झाला—क्या मन्त्री महोदय ने जो उपेक्षा का जिक्र किया है उसका खुलासा करने की कृपा करेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव—उपेक्षा का मतलब साफ है।

प्रश्न संख्या ३०१

श्री अध्यक्ष—श्री संतोषसिंह कछवाहा।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३०२

श्री अध्यक्ष—मंगलसिंह कछवाहा।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३०३

मूल योजना के अनुसार जवाई प्रोजेक्ट पर व्यय होने वाली रकम

श्री खेतसिंह—Will the Minister for Community Projects please state:—

(1) How much amount was proposed to be spent on the Jawai Project under the original scheme ?

(2) How much amount has been spent so far ?

(3) Whether the Project is to be completed as envisaged under the original scheme or certain alterations have been made ? If so, why ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सामुदायिक विकास मन्त्री)—(1) The estimates as originally sanctioned by the former Jodhpur State amounted Rs. 1.76 crores.

(2) Tne total expenditure to the end of December, 1953, is Rs. 2,09,28,790.

(3) The project is to be generally completed as originally envisaged and only the following changes have been made:—

(a) The dam has been strengthened as the original design was found to be week, and

(b) The hydro-electric portion has been given up because after re-examination it was found that enough water was not available for both irrigation and power requirements.

प्रश्न संख्या ३०४

चिकित्सा सहायता, विशेषतया मिडवाइफरी प्रणाली, को प्रचारित करने की योजना

श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा—Will the Minister for Health be pleased to answer:—

(a) Is there any scheme for extending medical help to the public at large, especially in cnnnection with the midwifery system ?

(b) In how many Districts it has been done in the last four months and what is the scheme for the future ?

श्री रामकरण जोशी (स्वास्थ्य मन्त्री)—आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये चिकित्सा के साधन बढ़ाये जा रहे हैं। अभी तक प्रसव-चिकित्सा सम्बन्धी यथाक्रम योजना कोई नहीं है। इसका कारण यह है कि प्रसवकारिणी दाइयाँ उपलब्ध नहीं हो रही हैं। प्रसवकारिणी दाइयों की शिक्षा के लिये सरकार एक योजना पर विचार कर रही है। पिछले चार महीनों में चिकित्सा की सहायता विशेष कर प्रसवकारिणी पद्धति के सम्बन्ध में निम्न चार जिलों में बढ़ाई गयी है:—

(क) जिला अलवर २ दाइयाँ,

(ख) जिला कोटा (बारां में) २ दाइयाँ,

(ग) जिला जोधपुर में सुमेरपुर २ दाइयाँ,

(घ) जिला सवाई माधोपुर में हिन्डौन २ दाइयाँ,

श्री श्रीदास गोयल—दाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं तो सरकार उनके लिये क्या सोच रही है ?

श्री रामकरण जोशी—उनकी संख्या बढ़ाने के लिये सरकार एक योजना पर विचार कर रही है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या माननीय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सभी हैड क्वार्टरों पर दाइयें हैं ?

श्री रामकरण जोशी—इसकी कल्पना की जा सकती है।

एक सदस्य—क्या सवाई माधोपुर में भी इसका एरेन्जमेंट है ?

श्री रामकरण जोशी—डिस्ट्रिक्ट में तो है।

एक सदस्य—क्या हैड क्वार्टर पर भी है या नहीं ?

श्री श्रीदास गोयल—क्या माननीय मन्त्री यह जानकारी प्राप्त करके कोशिश करेंगे कि सवाई माधोपुर में अगर इस प्रकार का कोई प्रबन्ध नहीं है तो अब जरूर हो जावेगा ?

श्री रामकरण जोशी—जरूर।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३०५

श्री अध्यक्ष—श्री लालूराम।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३०६

भाखरा नहर के लिये मशीनरी पर व्यय की गई रकम

श्री मोतीराम—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) भाखरा नहर के कार्यक्रम के लिये कितनी मशीनरी (ट्रक, ट्रैक्टर, जीप आदि) कितने रुपये की आई ?

(ख) क्या इनमें से कुछ मशीनरी एक साल के अन्दर-अन्दर नष्ट कर दी गई ? अगर हाँ, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जाँच करवा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवल—भाखरा नहर के कार्य-क्रम के लिये आज तक लगभग ४ लाख ६६ हजार की मशीनरी—ट्रक, ट्रैक्टर, जीप आदि—खरीदे गये, और जो भी मशीनें खरीदी गईं वे सभी काम आ रही हैं, कोई बेकार नहीं है।

श्री हँसराज आर्य—क्या सरकार ने कभी इस मामले की जाँच करवाई है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इस बात की आवश्यकता ही नहीं पड़ी क्योंकि वे काम में आ रही हैं।

श्री मोतीराम—क्या ये मशीनें इसलिये मंगाई गई थीं कि बजट लेप्स हो रहा था और उनको खरीदने में कमीशन मिलता था और वे भाखरा में कतई काम नहीं आईं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—सरकार को कोई ऐसा कमीशन नहीं मिला।

श्री मोतीराम—क्या सरकार इसकी जाँच करेगी ?

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! Next.

प्रश्न संख्या ३०७

श्री अध्यक्ष—श्री एच. के व्यास

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३०८

जावला तहसील के आयुर्वेदिक औषधालय बन्द करना

श्री चाँदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

Page No.11

[श्री चाँदमल मेहता]

जावला तहसील परबतसर का आयुर्वैदिक औषधालय कब और किन कारणों से बन्द किया गया ?

श्री रामकरण जोशी—(क) १८ मार्च १९५३ ।

(ख) कुसुम्बी, जावला से केवल ५ मील की दूरी पर है और इसकी आबादी जावला की जन-संख्या से अधिक है । जावला में औषधालय के लिये मकान का प्रबन्ध नहीं हो पाया था और कुसुम्बी में औषधालय के लिये एक नई बिल्डिंग मिल गई ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि जावला की आबादी २५०० की है और वहाँ के लोग बिल्डिंग का इन्तज़ाम करने के लिये तैयार हैं ?

श्री रामकरण जोशी—अगर लोग बिल्डिंग देने को तैयार होते तो औषधालय बन्द ही क्यों होता ?

श्री चाँदमल मेहता—क्या अब वहाँ औषधालय उनके बिल्डिंग के इन्तज़ाम करने पर खोला जावेगा ?

श्री रामकरण जोशी—अब वहाँ योजना के अनुसार कायम किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ३०६

"हरिजनों की सेवा" नामक पुस्तक के अनुसार कुए-बावड़ी

श्री धर्मपाल पंवार—क्या दलितवर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सरकार की "हरिजनों की सेवा" नामक पुस्तक के प्रथम पृष्ठ के दूसरे पेरेग्राफ के अनुसार खोले गये १७ मन्दिर और कुए-बावड़ी इत्यादि किन-किन स्थान पर कौन-कौन से हैं ?

(ख) क्या उपरोक्त मन्दिर और तालाब-कुए आदि हमेशा के लिए खोल दिये गये हैं ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—सूची टेबल पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट २ ७ देखिये)

(ख) हमेशा के लिये खोले गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ३१०

गंगानगर जिले में पक्की सड़कें

श्री धर्मपाल पंवार—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे--

(क) गंगानगर जिले में आज तक कितनी पक्की सड़कें बनाई गई हैं ?

(ख) सरकार यहाँ की सड़कें पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने के लिए क्या विचार कर रही है ?

(ग) आज कल किन किन सड़कों का कार्य चालू है और वह कितनी प्रगति पर है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(क) राजस्थान बनने के पश्चात् निम्नलिखित सड़कें बन चुकी हैं—

१. गंगानगर-पदमपुर सड़क मील ० से ६ तक,

२. गंगानगर से सादूल टेक्सटाईल मिल से मिलाने वाली सड़क ।

और नीचे लिखी सड़कों के कार्य अभी चालू हैं:—

१ गंगानगर पदमपुर सड़क मील ६ से २४ तक,

२. गंगानगर से गंगनहर तक की सड़क;

३. भादरा-भासोल सड़क,

४. भादरा-सावा सड़क ० से ४ तक,

५. रावतसर-पल्लु सड़क मील ० से ५ तक,

६. पल्लु-सरदारशहर सड़क मील ० से ५ तक,

(ख) गंगानगर ही नहीं अपितु समस्त राजस्थान में मौजूदा सड़कों को पर्याप्त नहीं समझा जाता है। इस कमी की पूर्ती के लिये एक ७०० लाख रुपये की लागत की योजना पेश की गई थी जिनमें विशेष जरूरत की सड़कों को स्थान दिया था। इस योजना में केवल ६०० लाख रुपये की योजना पंचवर्षीय योजना के नाम से स्थान पा सकी है। इस योजना में गंगानगर जिले में नीचे लिखी सड़कें सम्मिलित हो सकी हैं:—

१. सरदारशहर से राजस्थान की सीमा तक रावतसर हनुमानगढ़ होती हुई अभौर तक सड़क ।

२. रायसिंह नगर से पदमपुर तक की सड़क ।

Page No.13

[श्री टीकाराम पालीवाल]

३. गंगानगर से हिन्दूमलकोट तक की सड़क।

इनके अलावा भाखरा बंध तहत में बहुत सी सड़कें बनने को हैं जिनकी सूची सम्मिलित है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

आजकल जिन सड़कों का कार्य चालू है उनकी प्रगति इस प्रकार है—

१. गंगानगर-पदमपुर सड़क मील ६ से २४ तक। सड़क बनाने का सामान तमाम मीलों में संग्रह किया जा रहा है। मिट्टी का काम ८ मील में पूरा हो चुका है और सोलिंग साढ़े पाँच मील में।

२. गंगानगर से गंगनहर की सड़क। मिट्टी का काम व सोलिंग १ मील के टुकड़े में जो इस साल पूरा किया जाने को है, हो चुका है, खंगर ईंट इकट्ठा किये जा रहे हैं।

३. भादरा-भाँसोल सड़क। पहिले ४ मीलों का काम प्रगति पर है और इस मास में ३ मील पूरे कर दिये जायेंगे।

४. भादरा-साहवा सड़क। यह कार्य अकालग्रस्त मजदूरों के जरिये शुरू किया गया था अब ठेके में पूरा किया जानेवाले पहिले ४ मीलों का बाकी बचा हुआ काम है। २ मील सड़क पूरी की जा चुकी हैं और बाकी की १ महिने में पूरी हो जाने की आशा है।

श्री मोतीराम—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो सड़कें बनाई हैं वे सब मौसमी सड़कें हैं और क्या सरकार ने कोई डामर की सड़क २, ४ या १० मील तक बनाई है?

श्री टीकाराम पालीवाल—जैसी सड़कें बनी हैं और बनाई जा रही हैं वे आप देख सकते हैं।

श्री हँसराज आर्य—क्या ये सड़कें बनाई गई बताई जाती हैं वे कागज़ों में हीं बनाई गई हैं या दर असल बनी हैं।

श्री मोतीराम—कागज़ों पर तो बनी हुई हैं ही।

श्री टीकाराम पालीवाल—कागज़ पर वह पहले बनती है और बाद में सही माने में बनती हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३११

राजस्थान में सामुदायिक विकास मंडल तथा उसके अनुसार आयोजित मेलों में आय-व्यय

श्री धर्मपाल पंवार—क्या सामुदायिक विकास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः—

[श्री धर्मपाल पंवार]

(क) राजस्थान में कुल कितने सामुदायिक विकास मंडल हैं ? उनमें अब तक कितनी-कितनी प्रगति हो पाई है ?

(ख) क्या मंडलों की ओर से कहीं मेलों का भी आयोजन किया गया है ? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ ? अलग-अलग मेलों पर होने वाले व्यय तथा आंकड़े देने की कृपा करें ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सामुदायिक योजना विकास मन्त्री)—(क) राजस्थान में कुल ६ विकास खंड हैं उनमें से ७ खंड अक्टूबर, १६५२, में शुरू हुये थे। उनको जो ३१ दिसम्बर, १६५३, तक प्रगति हुई थी उसके बारे में एक नोट बजट के साथ प्रस्तुत किया गया है। उनमें भिन्न-भिन्न विषयों के आंकड़े दिये गये हैं। बाकी दो खंड अक्टूबर, १६५३, में शुरू हुये थे। वे अभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं। वहाँ सर्वे आधा हो चुका है। बीज आधा वितरण हो चुका है।

(ख) विकास खंडों में अलग-अलग मेलों का आयोजन किया गया था जो कि निम्न-लिखित तारीखों में होते हैं।

२ अक्टूबर	गान्धी जयन्ती।
२६ जनवरी	गणतन्त्र दिवस।
३० मार्च	राजस्थान दिवस।

इसके अतिरिक्त स्थानीय मेलों में भी भाग लिया जाता है। मेलों के आयोजन करने में कुछ व्यय होता है जिनके बारे में अलग-अलग हिसाब मुकम्मिल नहीं है। आय कुछ नहीं हुई।

श्री धर्मपाल पंवार—क्या जनता से भी कुछ लिया जाता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—कुछ गवर्नमेंट देती है और कुछ जनता।

श्री कंवरलाल जेलिया—कार्यों का आयोजन क्या एडवाइज़री बोर्ड की सलाह से लिया जाता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—एडवाइज़री बोर्ड्स की सलाह भी ली जाती है।

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या उपसमितियाँ भी बनाई जाती हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—आवश्यकता हो तो, और नहीं हो तो नहीं।

श्री मोतीराम—क्या रायसिंहनगर में सामुदायिक विकास मेला लगा था ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जानकारी तो आपको इसकी पहले से है।

श्री कँवरलाल जेलिया—तो फिर सामन्जस्य किस प्रकार होता है।

Page No.15

श्री मोतीराम—क्या सरकार के ध्यान में नहीं कि कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स बीकानेर डिवीज़न में रायसिंहनगर में ही है दूसरी जगह नहीं है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह भी ध्यान में है कि इस जगह भी है और ज़रूरत के अनुसार बीकानेर के अलावा जगहों में भी हैं ।

श्री मोतीराम—तो क्या बीकानेर में दूसरी जगह भी सामुदायिक विकास मण्डल खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री टीकाराम पालीवाल—कृपा का तो कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री हंसराज आर्य—इनमें दो-एक तहसीलें सूरतगढ़, हनुमानगढ़ को मिलाया जा सकता है ।

श्री टीकाराम पालीवाल—इन विकास-खंडों की एक निश्चित योजना होती है । उनमें निश्चित पॉपुलेशन और निश्चित रकबा लिया जाता है दूसरी ओर लगाने के लिए तो जब सुविधा होती है तब ही किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ३१२

जिला टौंक की गवर्नमेंट इन्टर कॉलेज हाल की छत डलवाना

श्री लालूराम—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

जिला टौंक के गवर्नमेंट इन्ट कॉलेज हाल की छत डलवाने के विषय में सरकार ने क्या सोचा है और यह कब तक तैयार हो जायगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजिनक निर्माण मन्त्री)—इस मकान में कॉलेज चले जाने से हॉल की आवश्यकता प्रतीत हुई है इसको बनवाने के लिए शिक्षा विभाग विचार कर रहा है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ३१३

कुष्ट रोग से पीड़ित रोगियों की चिकित्सा का प्रबन्ध

श्री चाँदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

कुष्ठ रोग के मरीजों के इलाज़ के लिये राजस्थान में कहां-कहां पर विशेष प्रबन्ध किया गया है ?

Page No.16

श्री रामकरण जोशी (स्वास्थ्य मन्त्री)--कुष्ट रोगों के निवारणार्थ राजस्थान में दो विशेष अस्पताल हैं, एक जयपुर में जहाँ कि २४ बेड हैं और दूसरा जोधपुर में जहाँ कि ५५ बेड हैं।

श्री चाँदमल मेहता—कुष्ट रोग से पीड़ित व्यक्तियों की राजस्थान में कितनी संख्या है ?

श्री रामकरण जोशी--इसकी जाँच नहीं हो पाई है।

एक सदस्य--क्या यह सरकार की जानकारी में है कि इस प्रकार के रोगी अमूमन बाज़ार में घूमा करते हैं ?

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३१४

बूँदी जिले की हिन्डौली तहसील में मीणों द्वारा हरिजनों का सामाजिक बहिष्कार

श्री धर्मपाल पंवार—क्या दलित वर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

क्या यह सत्य है कि बूँदी जिले की हिन्डौली तहसील में मीणों ने हरिजनों का सामाजिक बहिष्कार कर रखा है और हरिजन महिलाओं को पैरों में चाँदी की कड़ियां (जेवर) पहनने से भी रोक रखा है। यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री भोगीलाल पंड्या (दलित वर्ग उत्थान मन्त्री)—नहीं।

श्री कँवरलाल जेलिया--कोई मारपीट की घटना की जानकारी क्या सरकार के ध्यान में आई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आई थी।

श्री कँवरलाल जेलिया—तो सरकार ने क्या कदम उठाया।

श्री भोगीलाल पंड्या--आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)--माननीय मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह झूँठ है मैं खुद स्पोट (spot) पर गया था। अतः जो जवाब दिया जा रहा है वह गलत है। मैंने देखा कि गोलियों के घाव लगे हुए थे।

(विपक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

श्री भोगीलाल पंड्या—मेरे माननीय मित्र यदि प्रश्न पढ़ते तो उनको कोई जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं होती। मेरे पास सप्लीमेन्टरी के लिए सब सामग्री तैयार है। यदि कोई प्रश्न ही गलत पूछे तो मैं क्या जवाब दे सकता हूँ ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—तो जो घटना हुई उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—कानूनी कार्यवाही हो रही है। मैं भी दो बार मौके पर जा चुका हूँ यदि माननीय मन्त्री जी एक बार गये हैं तो।

श्री मोतीराम—आप दो बार गये तो आपको मालूम हुआ था कि वहाँ कोई घटना हुई है या नहीं ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—आजकल की क्या परिस्थिति है इस पर भी जवाब देंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—न्याय के अनुसार जो कार्यवाही की जा रही है, वह पूरी-पूरी की जा रही है। उसमें कोई ढील नहीं दिखाई जा रही है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा--क्या उसमें सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं का भी हाथ था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हां, मैंने ऐसा सुना था।

श्री कँवरलाल जेलिया--जो राजनैतिक तत्व इस प्रकार के काम करते हैं उनके लिए क्या किया गया है ?

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३१५

श्री अध्यक्ष--श्री एच० के० व्यास।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३१६

जुडीशियल सर्विस के लिए अधिकारियों का चुनाव तथा उनका विभिन्न विभागों में कार्य

श्री तेजमल बापना--क्या न्याय मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

[श्री तेजपाल आपना]

(क) जुडीशियल सर्विस के लिए कितने अफसरों का सिलेक्शन हुआ था ?

(ख) उनमें से कितने अफसर जुडीशियल काम कर रहे हैं और कितने दूसरे डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि बनेड़ा, मांडलगढ़ व भीलवाड़ा में मुंसिफ की नियुक्ति नहीं करने का यह कारण है कि जुडीशियल अफसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं ?

(घ) यदि यह सही है, तो अभिभाषक संघ (बार) में से नई नियुक्ति करने की क्या कोई योजना सरकार के सामने है, और यदि है, तो वह कब तक संभव है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (न्याय मन्त्री)—(क) जुडीशियल सर्विस के लिये कुल १५४ अफसरों का (re-election) निर्वाचन हुआ था। इस संख्या में से सात अफसरों ने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आर. ए. एस.) में रहना पसन्द किया व नौ रिटायर हो गए। इसके अतिरिक्त एक अफसर की नियुक्ति उच्च न्यायालय में हो गई और एक ने त्यागपत्र दे दिया तथा एक आइ. ए. एस. के चुनाव में आ गये। फलतः राजस्थान जुडीशियल सर्विस में (R. J. S.) में केवल १३५ ही अफसर रह गये।

(ख) समस्त आर. जे. एस. अफसर उन अफसरों के अतिरिक्त जो डेपुटेशन पर हैं जुडीशियल दफ्तरों में ही कार्य कर रहे हैं। जुडीशियल दफतरों से यहाँ तात्पर्य उन समस्त पदों से है जिन पर आर. जे. एस. अफसरों को ही नियुक्त किया जाना निर्धारित है; यथा, विधि सचिव। ला सेक्रेट्री, संयुक्त कानूनी सलाहकार, जाइन्ट लीगल रिमैम्ब्रेन्सर डिप्टी रजिस्ट्रार व सहायक कानूनी सलाहकार।

इस समय कुल पाँच आर. जे. एस. अफसर ही डैपुटेशन पर हैं और वह क्वैसी-जुडिशियल (Quasi-judicial) पद पर नियुक्त हैं; अर्थात् वे जज, इन्डिस्ट्रियल ट्रिब्युनल, कस्टोडियन इवैकुई प्रोपर्टी, काम्पीटेन्ट आफीसर इवैकुई सैपरेशन ऑफ इनटरेस्ट एक्ट के नीचे एक ओहदा व सचिव, इलैक्शन कमीशन के पदों पर नियुक्त हैं।

(ग) बनेड़ा और मांडलगढ़ में तो मुन्सिफ इस कारण से नियुक्त नहीं किये गये हैं कि सरकार ने इन मुन्सफियों में मुकद्दमात की पर्याप्त संख्या न होने के कारण इन मुन्सफियों को समाप्त करके भीलवाड़े में एक नई मुन्सफी स्थापित करने का निर्णय किया था किन्तु अफसरों की कमी के कारण ऐसा न हो सका और ऐसा निर्णय कर लिया गया है कि भीलवाड़े में नई मुन्सफी कायम करने की आवश्यकता नहीं है, और बनेड़ा और मांडलगढ़ की मुन्सफियों का काम भीलवाड़े की सिविल जजी के अधिकार-क्षेत्र में ही दे दिया जावे।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(घ) यह विषय सरकार के विचाराधीन है। जुडीशियल सर्विस में नियुक्ति के लिये नियम तैयार किये जा रहे हैं। नियम जारी होने पर नई नियुक्ति होना सम्भव है। हायर जुडीशियल सर्विस (Higher Judicial Service) में अभिभाषकों में से भी निर्वाचन हो सकेगा।

श्री तेजमल बापना—बनेड़ा में १॥ साल तक कोई मुन्सिफ नहीं पहुँचा था, क्या यह सही है? वहाँ केसेज़ का कोई इन्तजाम भी नहीं किया गया था?

श्री टीकाराम पालीवाल—कार्य कम होने के कारण हाईकोर्ट ने वहाँ की मुन्सफी को इन अबेयान्स रखना ही मुनासिब समझा।

श्री तेजमल बापना—हाई कोर्ट ने क्या डेढ़ साल के बाद निर्णय किया? कई मुकद्दमात सविल जजी में मुन्तकिल करने पड़े।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने यह कहा था कि काम कम था। यह नहीं कहा था कि बिलकुल काम नहीं था। केसेज़ की संख्या इतनी कम थी कि अलग मुन्सिफ रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री वेदपाल त्यागी—जब मुन्सिफ वहाँ नहीं रखा गया तो क्या स्टॉफ को भी नहीं रखा गया?

श्री टीकाराम पालीवाल—स्टॉफ तो था पिछले काम को देखने के लिए, किन्तु अधिकारी को नहीं रखा गया था।

श्री वेदपाल त्यागी—सबोडिनेट स्टाफ को रखने का क्या कारण था जबकि प्रिसाइडिंग अधिकारी ही वहाँ नहीं था?

श्री टीकाराम पालीवाल—रेकर्ड वगैरह वहाँ था इसलिए स्टाफ को रखा गया।

श्री तेजमल बापना—जब वहाँ मुन्सिफ नहीं थे तो डेढ़ साल तक स्टाफ ने क्या किया?

श्री वेदपाल त्यागी—कितने दिन तक वे लोग बैठे रहे, क्या माननीय मन्त्री जी बता सकेंगे?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—तो क्या वे बैठे हुए मक्खियाँ मार रहे थे?

प्रश्न संख्या ३१७

किशनगढ़ पॉवर हाउस को राजस्थान सरकार द्वारा नियन्त्रण में लेना

श्री चाँदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) किशनगढ़ पॉवर साउस को राजस्थान सरकार ने अपने नियन्त्रण में कब लिया ?

(२) उक्त पॉवर हाउस को जब सरकारी नियन्त्रण में लिया गया उस पर कितनी पूँजी सुमेर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड की लगी हुई थी ?

(३) सरकार ने उक्त कम्पनी को कितने रुपये दिये हैं ?

(४) क्या उक्त कम्पनी के लेने और देने की जवाबदारी सरकार ने अपने जिम्मे रखी है ?

(५) यदि हाँ, तो जिन लोगों को रकम देना है उन्हें क्यों नहीं दी जा रही है ?

(६) यदि हाँ, तो जिन लोगों में रकम बकाया थी उसमें से अब तक कितनी वसूल की गई है और क्यों ?

श्री टीकाराम पालीवाल (विद्युत मंत्री)—(१) राजस्थान सरकार ने किशनगढ़ के पॉवर हाउस को अपने नियन्त्रण में १-३-१९५० को लिया है।

(२) इस पॉवर हाउस को अपने अधिकार में लेते समय मूल्यांकन नहीं किया गया था। अब इस विषय में कार्यवाही की जा रही है।

(३) अभी कुछ नहीं।

(४) नहीं।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

(६) निम्न आंकड़ों से पता चलेगा कि कितना रुपया लेना और देना बाकी है।

श्री चाँदमल मेहता—६ का जवाब नहीं आया ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इसके लिये विवरण दिया गया है जो मैं टेबल पर रख देता हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे पढ़कर सुना दूँ:—

[श्री टीकाराम पालीवाल]

	रु०	आ०	पाई
१-३-५० को कैशबुक में रोकड़........	२०८४१	१४	६
सुप्रिन्टैन्डेन्ट, किशनगढ़ पॉवर हाउस के उल्लेखानुसार १-३-५० से ३०-६-५२ तक की वसूलशुदा रकम	४१७५	७	६
कुल	२५०१७	६	०

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री को विदित है कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके एक अकाउन्ट में रुपया जमा है और दूसरे अकाउन्ट में रुपया बाकी है उनको एडजस्ट नहीं किया जा रहा है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—हो सकता है। ऐसी रकमें भी हो सकती हैं।

श्री चाँदमल मेहता—क्या इस सम्बन्ध में सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जरूर की जायगी।

प्रश्न संख्या ३१८

श्री अध्यक्ष—श्री छतरसिंह।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३१९

कमिश्नर, सिविल सप्लाइज, से नये व्यापारियों को अनाज का होल सेल लाइसेन्स

श्री चाँदमल मेहता—क्या रसद मन्त्री यह बतलायेंगे—

क्या मन्त्री महोदय इस बात से परिचित हैं कि नये व्यापारियों को अनाज का होल-सेल लाइसेन्स कमिश्नर, सिविल सप्लाईज, से प्राप्त करना पड़ता है जिससे व्यापारियों को बड़ी कठिनाई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—हां।

श्री चाँदमल मेहता—माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में जो कानून है उसके अन्दर ऐसे अधिकार तहसीलदार को है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—राजस्थान खाद्यान्न के निम्न आज्ञा १६४६ की धारा खण्ड (२) उप खण्ड (ञ) के अनुसार अनुज्ञा-पत्र (लाइसेन्स) प्रदान करने वाले अधिकारी का अर्थ है और इसमें सम्मिलित राशन वाले क्षेत्र में कन्ट्रोलर ऑफ राशनिंग, तहसील में तहसीलदार, अधिकार प्राप्त ठिकाने का सीनियर अफसर तथा ऐसा कोई अन्य अफसर जिसे कमिश्नर या डाइरेक्टर इस सम्बन्ध में अधिकृत करे।

लेकिन खण्ड ६ उपखण्ड २ के अनुसार कुछ आदमियों को जो कि इस व्यापार में नये आगन्तुक हैं ऐसे अधिकार सिर्फ कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या कलक्टर को ही दिया गया है। सरकार की निगाह में इस विषय में इनसे नीचे के अफसरों को ऐसे अधिकार देना उचित नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि रिन्युअल के लिए सिविल सप्लाइज़ विभाग में जाना पड़ता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि कन्ट्रोल्ड ग्रेन्स (Controlled Grains) का मेथड चालू होने के बाद दिया जा रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हाँ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह मुनासिब है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हाँ।

प्रश्न संख्या ३२०

जयपुर शहर के पास रामबाग-लाल कोठी क्षेत्र की आस-पास की जनता के लिये केवल एक ही पानी का नल

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या पी० डब्ल्यु० डी० मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे—

(१) क्या यह सत्य है कि जयपुर शहर के पास रामबाग-लालकोठी एरिया के आस-पास की तीन चार हजार की आबादी की जनता के लिए पीने के पानी के लिए केवल एक ही नल है और वह भी गाँव से काफी दूरी पर लगा हुआ है ?

(२) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि उस बस्ती में और नल लगाए जाने के लिये कई बार पानी विभाग से एस्टीमेट ऊपर के अधिकारियों के पास भेज दिया गया है ?

(३) यदि हाँ, तो सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

[श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री]

(४) क्या आने वाली गर्मी के मौसम में वहाँ शीघ्र ही टेम्परेरी या स्थायी नल लगाने का यत्न किया जायगा ?

(५) यदि हां, तो कब तक ?

(६) यहाँ गत वर्ष भी क्या इस प्रकार का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(१) जी हां, केवल एक ही नल है।

(२) स्थिति यह है कि जयपुर म्युनिसिपल एरिया की परिधि बहुत बढ़ा दी गई है, वह यहाँ तक कि जयपुर के कुछ गाँव भी इस परिधि में आगये हैं। लेकिन वहाँ पर सब जगह वाटर लाइन का डालना संभव नहीं हो सका है। इस विशेष जगह पर जहाँ विशेष रूप से इच्छा की जाती है खर्च का प्रबन्ध होते ही वहाँ नल लगा दिया जायगा। यहाँ हरिजनों की बस्ती है। ऐसा ख्याल था कि बेकवर्ड क्लास के विभाग की तरफ से खर्च दिया जायगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—क्या बेकवर्ड क्लास विभाग से इस विषय में माँग की गई ?

श्री टीकाराम पालीवाल—बेकवर्ड क्लास के बहुत थोड़े से घर हैं, सवर्ण लोगों के भी घर हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—तो क्या सरकार म्युनिसिपैलिटी को इसका प्रबन्ध करने को कहेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—सरकार बराबर म्युनिसिपैलिटी को कहती रहती है कि वह अपनी आमदनी बढ़ाने का ज़रिया ढूँढे।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल--क्या यह सरकार को पता है कि वाटर की लाइन पास ही आई हुई है, यदि वहाँ नल लगाया जाय तो ज्यादा खर्च होने की सम्भवना नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल--नहीं यह बात ठीक नहीं है। पास में लाइन नहीं आई हुई है, इसलिये पैसे ज्यादा खर्च होंगे।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल--क्या सरकार को यह मालूम है कि यह जो गाँव है वह सड़क के दोनों किनारों पर बसा हुआ है जिसमें एक भाग में तो नल लगा हुआ है और दूसरे किनारे पर नहीं लगा हुआ है ?

श्री टीकाराम पालीवाल--दूसरी ओर कुआ बताया जाता है।

श्री कँवरलाल जेलिया--जो कुआ बताया जाता है वह कितना गहरा है ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—मेरे प्रश्न के (४) भाग का उत्तर नहीं आया।

श्री पालीवाल—मैंने अर्ज किया कि पैसे का प्रबन्ध होते ही सरकार तैयार है वहाँ नल लगाने के लिए।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—सरकार यह आश्वासन दे कि चन्दा करने पर वहाँ नल लगा दिया जायगा ?

श्री पालीवाल--रुपया जमा कराने पर हो जायगा।

श्री कँवरलाल जेलिया--अगर सरकार तैयार है तो हम चन्दा कर सकते हैं ?

श्री पालीवाल--चन्दा करने वालों की तैयारी चाहिये।

प्रश्न संख्या ३२१

माइनर इरिगेशन वर्क्स के आधीन करौली सब डिवीजन में बान्ध या तालाब

महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल – क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

माइनर इरिगेशन वर्क्स के तहत करौली सब-डिवीजन में बान्ध या तालाब कितने बने हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मंत्री)—माइनर इरिगेशन की तहत करौली सब-डिवीजन में निम्नलिखित तीन बान्ध बने हैं :—

(१) महेशवा गाईड बन्ध,

(२) चन्दापुरा, तथा

(३) रोदसी बन्ध।

प्रश्न संख्या ३२२

कोटा अस्पताल के निरीक्षण के लिए नई समिति की स्थापना

श्री कँवरलाल जेलिया--क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) क्या यह सही है कि कोटा अस्पताल के निरीक्षण के लिए जो समिति बनाई गई है यह समिति सन्तोषजनक कार्य नहीं कर रही है ? यदि नहीं कर रही है, तो इसे भंग करके क्या सरकार नई निरीक्षण समिति का निर्माण करेगी ?

[श्री कँवरलाल जेलिया]

(ख) क्या यह भी सही है कि कोटा महिला अस्पताल में महिला डॉक्टर की कमी है तथा स्थान का भी भारी अभाव है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया ?

(ग) क्या यह भी सही है कि कोटा अस्पताल व महिला अस्पताल की मौजूदा व्यवस्था से जनता में असन्तोष है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया ?

श्री रामकरण जोशी (स्वास्थ्य मंत्री)--(क) कोटा अस्पताल के निरीक्षण के लिये जो ऑनरेरी विज़ीटर्स नियुक्त किये गये हैं वे समिति बनने के बाद कभी भी अस्पताल में इस कार्य के हेतु नहीं गये। राजस्थान में सारे अस्पतालों के ऑनरेरी विजीटर्स की लिस्टें तरमीम करने वगैरह का प्रश्न, जिसमें कोटा अस्पताल भी शामिल है, विचाराधीन है।

(ख) कोटा महिला अस्पताल में इस समय एक सी. ए. एस. प्रथम श्रेणी व एक सी. ए. एस. द्वितीय श्रेणी के डॉक्टर काम कर रहे हैं। एक सी. ए. एस. द्वितीय श्रेणी का रिक्त स्थान शीघ्र ही पूर्ण कर दिया जावेगा। कोटा अस्पताल का भवन तैयार हो रहा है जिससे फिर स्थानाभाव रहने की आशंका नहीं रहेगी।

(ग) कोटा अस्पताल व महिला अस्पताल की मौजूदा व्यवस्था से जनता में असन्तोष है, इसकी पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं है: न ही कोई ऐसी शिकायत सरकार के पास आई है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल--क्या प्रश्नकर्त्ता महोदय को निरीक्षण समिति में रखने पर विचार किया जायगा ?

श्री रामकरण जोशी--जब निरीक्षण समिति बनाई जायगी तब इस बात का खयाल रखा जायगा।

श्री वेदपाल त्यागी--क्या यह सही है कि कोटा अस्पताल में कोई फिज़ीशियन नहीं है।

श्री रामकरण जोशी--अगर फिज़ीशियन नहीं होगा तो जरूर भेजा जायगा।

श्री वेदपाल त्यागी--क्या सरकार को यह मालूम नहीं कि वहाँ फिज़ीशियन की पोस्ट है या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी--वहाँ फिज़ीशियन दिया हुआ है। आज था या कल नहीं था इस बात की सूचना तो सरकार नहीं रखती।

श्री कँवरलाल जेलिया--क्या यह बात सरकार की जानकारी में है कि महिला अस्पताल में गत छः महीने से एक महिला डाक्टरनी काम नहीं कर रही है ?

श्री रामकरण जोशी—नहीं वहाँ सी० ए० एस० द्वितीय श्रेणी की एक और डाक्टरनी है।

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या सरकार की जानकारी में यह बात नहीं आई है कि महिला अस्पताल में प्रसूता स्त्रियों के लिए ठीक प्रबन्ध न होने से वहाँ की महिलाओं को काफी असुविधा है ?

श्री रामकरण जोशी—ऐसी कोई शिकायत सरकार के सामने नहीं आई है।

श्री कँवरलाल जेलिया—ऐसी कोई जानकारी सरकार के ध्यान में लाई जायगी तो क्या सरकार उचित व्यवस्था करेगी ?

श्री रामकरण जोशी—हां, ठीक व्यवस्था की जायगी।

प्रश्न संख्या ३२३

राजस्थान के शासकीय गोदामों में अनाज तथा उस पर लगी पूँजी

श्री चाँदमल मेहता—क्या रसद मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान के सरकारी गोदामों में क्या-क्या और कितना-कितना अनाज है और उस पर सरकार की कितनी पूँजी लगी हुई है।

श्री **भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)**—राजस्थान के सरकारी गोदामों में दिनाँक १-३-५४ को निम्नलिखित गल्ला आँका गया है :—

चाँवल	२८,००० मन
गेहूँ	२,६०,००० मन
चना	१,६५,००० मन
जौ	१,५०,००० मन
गोजरा	३७,००० मन
गोचणी	१००० मन
बेजड़	४५,००० मन
मक्का	२००० मन
ज्वार	७७,००० मन
बाजरा	७००० मन
माईलो	१७,००० मन
दीगर	१००० मन
योग	८,५०,००० मन

इस अनाज की कीमत करीबन एक करोड़ रुपया आँकी जाती है।

प्रश्न संख्या ३२४

(सपोटरा के इलाके से करनपुर के इलाके में आने का मार्ग केवल निम्बाहेड़ा की घाटी तथा उसकी मरम्मत ।)

श्री धर्मचन्द--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सपोटरा के इलाके से करनपुर के इलाके में आने का केवल सवारियों का एक ही मार्ग निम्बाहेड़ा की घाटी में होकर जाता है ?

(ख) यदि हां, तो इस घाटी की मरम्मत न कराने का क्या कारण है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(क) यह कोई बाकायदा सड़क नहीं है केवल एक साधारण रास्ता (पगडण्डी) है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न संख्या ३२५

करौली-मण्डरायल सड़क का २ से ७ मील तक का ठेका

महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल—क्या मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(क) करौली-मण्डरायल सड़क का ठेका मील दो से सात तक का किसको और कितने रुपयों में दिया गया है ?

(ख) क्या यह सच है कि जिस व्यक्ति के नाम के टेन्डर्स मन्जूर कर लिये गये थे उसे बिना सूचना दिये एक अन्य पार्टी को ठेका दे दिया गया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(क) करौली-मण्डरायल सड़क में दो से सात मील तक का कोई एक सैक्शन नहीं है । मील ३ से आठ तक का ठेका श्रमिक सहकारी समिति, करौली के नाम १,४६,३१४ रुपयों में टेन्डर द्वारा स्वीकार किया गया है ।

(ख) किसी अन्य पार्टी के नाम टेन्डर मन्जूर नहीं किया गया इसलिये उन्हें सूचना देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल—(अश्रव्य)

श्री टीकाराम पालीवाल---ऐसा कोई टेन्डर मन्जूर नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट । श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री ।

Page No.28

प्रश्न संख्या ३२६

(प्रश्न कर्ता ने प्रश्न नहीं पूछा)

प्रश्न संख्या ३२७

सेशन कोर्ट, प्रतापगढ़ को चित्तौड़ लाना

श्री जगतसिंह झाला—क्या मन्त्री, न्याय विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे:

(अ) क्या यह सच है कि सेशन कोर्ट, प्रतापगढ़, को चित्तौड़ लाया जा रहा है ?

(आ) क्या सरकार के यह ध्यान में है कि चित्तौड़ ही हर प्रकार से सेशन कोर्ट के लिए उपयुक्त (स्थान) है ?

(इ) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ में सेशन कोर्ट के रखने से जिले के हैडक्वार्टर में नहीं होने के कारण व आवागमन के साधनों की तकलीफ होने से जनता को कष्ट व असुविधा होती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (न्याय मन्त्री)—(अ) सेशन कोर्ट को प्रतापगढ़ से चित्तौड़गढ़ लाने का अभी सवाल नहीं है।

(आ) चित्तौड़गढ़ में न तो कचहरी के लिए कोई जगह है और न डिस्ट्रिक्ट जज व उसके अमले के रहने का ही उपयुक्त प्रबन्ध हो सकता है।

(इ) जिले के कुछ भागों के लोगों को वर्तमान व्यवस्था अवश्य अधिक असुविधाजनक होगी पर जैसा कि बदलने से जिले के कुछ दूसरे भाग के लोगों को यह व्यवस्था उतनी ही असुविधाजनक जावेगी ।

श्री जगतसिंह झाला—क्या व्यवस्था को बदलने के स्थान पर हाईकोर्ट वहाँ करने का सरकार का इरादा है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—हाईकोर्ट के सम्बन्ध में जवाब देना मुश्किल है।

श्री धर्मपाल—प्रश्न संख्या ३२६ का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—आर्डर !

श्री भोगीलाल पंड्या—किसी ने यह प्रश्न पूछा ही नहीं, नहीं तो जवाब दे दिया जाता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३२८

तहसील सराड़ा में टूटे हुये तालाबों की मरम्मत

श्री लक्ष्मण हीरात—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) उदयपुर जिला, सराड़ा तहसील में कितने तालाब टूटे हुए हैं और उनकी मरम्मत के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(२) क्या यह सच है कि सम्वत २००६ में जो तालाब बंधवाये गये हैं उनकी मजदूरी की रकम अब तक मजदूरों को नहीं मिली है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—उदयपुर जिला, सराड़ा तहसील में निम्नलिखित टूटे तालाबों की मरम्मत की जा चुकी है, या काम जारी है :

जोजड़ लालार, टिकाड़ा, बागरा, चावड़ा और· · · ·

श्री रोशनलाल—क्या इस तहसील में सारे टूटे हुए तालाबों की अब तक कोई तफसील सरकार के पास में है, जहाँ इतने ही टूटे हुए तालाब हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इस बारे में जानकारी हाँसिल की जा रही है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री रोशन लाल—खेरा (अश्रव्य) का तालाब कब टूटा था ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इनकी तारीखें सरकार के पास नहीं हैं।

श्री लक्ष्मण हीरात—ये टूटे थे और उनकी मरम्मत कर दी गई या की जा रही है क्या यह उत्तर ठीक है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जो उत्तर है वह बिल्कुल ठीक है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३२६

राजस्थान में खाद्यान्नों के निर्यात पर नियन्त्रण

श्री शम्भूसिंह—क्या खाद्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) राजस्थान में खाद्यान्न के निर्यात का नियंत्रण किस कानून, अध्यादेश अथवा आज्ञा द्वारा होता है ?

[श्री शम्भूसिंह]

(ख) क्या ऐसे कानून या आज्ञा में कुछ समय पूर्व परिवर्तन कर राजस्थान से खाद्यान्न और दालों का निर्यात सुलभ कर दिया गया वो कहाँ-कहाँ से और किन-किन शर्तों पर हुआ ?

(ग) निर्यात हो सकने वाले खाद्यान्न और दालों की कितनी मात्रा और परिमाण नियत की गई और कितने समय के वास्ते ?

(घ) इस अरसे में कितना अन्न और दालें किस्मवार कहां कहां निर्यात हुए और उससे सरकार को क्या आय हुई ?

(ङ) निर्यात सुलभ होने से पूर्व प्रत्येक खाद्यान्नों के क्या भाव थे और अब वे कितने बढ़ गये ?

(च) क्या सरकार जनहित की दृष्टि से निर्यात का फिर नियन्त्रण कर देने को उद्यत है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (खाद्यमन्त्री)—(क) राजस्थान से खाद्यान के निर्यात का नियन्त्रण एसेन्शियल सप्लाईज़ (टेम्परेरी पावर्स) Essential Supplies (Temporery Powers Act. 1946) एक्ट १९४६ की धारा ३ में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत वस्तुतः केन्द्रिय सरकार करती है।

(ख) उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत १ जनवरी सन् १९५४ से मोटे अनाज को राजस्थान से निर्यात करने के सब प्रतिबन्ध केन्द्रिय सरकार ने आदेश नं. पी. वाई. II.६५६ (१५) ५४ तारीख ३०.१२.५३ के द्वारा हटा दिये गये हैं दालों का निर्यात तो (सिवाय चने की दाल के) इससे पूर्व ही खुला हुआ था। तथा चने की दाल का निर्यात अब अन्य मोटे अनाज की भाँति खुला हुआ है इस समय मोटे अनाज का निर्यात राजस्थान के किसी भाग से बिना किसी सम्बन्ध के खुला हुआ है।

(ग) निर्यात हो सकने वाले खाद्यान और दालों की कोई मात्रा और परिमाण नियत नहीं किये गये और न कोई निर्दिष्ट अवधि में निर्यात करने की पाबन्दी ही लगाई गई है। इसका स्पष्ट कारण यही है कि केन्द्रिय सरकार की आम नीति विनियन्त्रण की है।

वर्तमान नियमों में कहीं भी निर्यात करने वाले के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि ऐसी सूचना देवे। वास्तव में ऐसा न तो कोई कन्ट्रोल आर्डर नहीं है जिसके अन्तर्गत यातायात को नियमित (Regulate) किया जाय फ्री मूवमेंट (Free movement) का सिद्धांत यह है कि कोई भी जहाँ और जितना अनाज चाहे ले जावे और ले आवे।

(ङ) मोटे अनाज के निर्यात पर प्रतिबन्ध उठ जाने के पूर्व तथा इसके पश्चात् निम्न

[श्री भोगीलाल पंड्या]

अन्न बाहुल्य क्षेत्रों में औसतन भाव निम्नलिखित रहे:—

अनाज का नाम	दिसम्बर १९५३.	मार्च सन् १९५४.
जौ	रु. ८ आना ७ फी मन	रु. ७ आना १३ फी मन
चना	रु. १३ आना ८ फी मन	रु. ११ आना ८ फी मन
बाजरा	रु. ११ आना ० फी मन	रु. १० आना ४ फी मन
ज्वार	रु. ६ आना ० फी मन	रु. ८ आना ० फी मन
मक्का	रु. ६ आना ८ फी मन	रु. ६ आना २ फी मन

(च) यदि मोटे अनाज के भाव मौजूदा स्तर पर स्थिर रहें तो जनता की आर्थिक स्थिति पर इस निर्यात का कुप्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं दिखती। सरकार इस स्थिति की ओर सतर्कता से ध्यान रख रही है।

(छ) इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त (च) प्रश्न के उत्तर में सन्निहित है।

श्री कंवरलाल जेलिया—भाग (च) का उत्तर इसमें नहीं आया।

श्री भोगीलाल पंड्या—इसका उत्तर भाग (च) में आ गया है कि "सन्निहित" है।

प्रश्न संख्या ३३०

कोटा चम्बल बाँध के कार्य की गति तथा चम्बल बोर्ड की स्थापना

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) कोटा चम्बल बाँध का कार्य इस समय किस गति से चल रहा है ? इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार क्या कोई कदम उठा रही है ?

(ख) क्या राजस्थान सरकार भाखरा बोर्ड की भाँति चम्बल बोर्ड भी बनाने का विचार क रही है ? यदि हाँ, तो उसका क्या स्वरूप होगा ?

(ग) राजस्थान, मध्यभारत व भारत सरकार का चम्बल योजना के सम्बन्ध में पानी व बिजली के बंटवारे तथा खर्च का क्या कोई समझौता हुआ है ? यदि हाँ तो वह किस रूप में ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—(क) चम्बल सिंचाई बाँध का कार्य हाल ही में शुरू किया गया है और वह सन्तोषजनक है। आगामी वर्ष में कार्य की प्रगति अधिक हो जाने की आशा है।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(ख) चम्बल बोर्ड बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसका क्या स्वरूप होगा यह अभी नहीं कहा जा सकता।

(ग) पानी के विषय में दोनों सरकारों के बीच आधा-आधा बंटवारे का फैसला हो चुका है परन्तु बिजली और खर्च के विषय में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, यह विचाराधीन है।

श्री कंवरलाल जेलिया—जिस गति से चम्बल का कार्य हो रहा है क्या हम इससे आशा करें कि दस वर्ष में भी यह कार्य समाप्त हो जावेगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी नहीं, इससे बहुत पहले ही हो जावेगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या आप इसी तरह अमानी काम कराना चाहते हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—वहाँ अलग-अलग स्टेज पर काम होता है और अलग-अलग तरीके अख्तियार किए जाते हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या चम्बल का कार्य करने की आपने स्वीकृति दे दी है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी हाँ। नहीं देते तो काम शुरू ही नहीं होता।

श्री कंवरलाल जेलिया—फिर यह क्यों कहा जाता है कि हैड आफिस से हमें स्वीकृति नहीं मिली है इसलिए हम अमानी में काम करते हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल—टैंडर का जो काम है वह और जो बड़े-बड़े ठेके हैं वे अभी नहीं दिए गए हैं। अभी तो सिर्फ प्रारम्भिक कार्य जारी कर रहे हैं।

श्री हिम्मत सिंह—जिस गति से यह काम हो रहा है उस हिसाब से बरसात से पहले-पहले मिट्टी और पत्थर चम्बल के आस-पास डाल दिए जावेंगे ?

श्री टीकाराम पालीवाल—काम इसी दृष्टि से किया जा रहा है।

श्री हिम्मतसिंह—और यदि यह काम जिस गति से आज चल रहा है और इस पर जो यह आशा की जा रही है कि बरसात से पहले-पहले मिट्टी और पत्थर डाल दिए जावेंगे, उस आशा के अनुसार अगर काम नहीं हुआ तो क्या इससे सरकार को नुकसान उठाने की सम्भावना नहीं है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—हर सम्भव उपाय किया जा रहा है कि नुकसान न होने पाए।

श्री वेदपाल त्यागी—तो जिस गति से यह कार्य हो रहा है उससे सरकार को सन्तोष है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जिस गति से वह काम चल रहा है वह सन्तोषजनक है।

श्री वेदपाल त्यागी—अगर नुकसान हो गया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—'अगर' के ऊपर अगर उत्तर देने लगें तो फिर इसका पार नहीं आयगा और एक बड़ी परेशानी आ जावेगी ।

श्री वेदपाल त्यागी—'अगर' इसलिए कहा जाता है कि आप यह कहते हैं कि काम बहुत ठीक चल रहा है और बरसात से पहले वहाँ मिट्टी और पत्थर डाल दिया जावेगा लेकिन वहाँ की हालत देखने से यह प्रतीत होता है कि ऐसा नहीं हो सकेगा और इस गति से ही यदि काम किया गया तो पाँच साल में भी यह बाँध पूरा नहीं हो सकेगा ।

श्री टीकाराम पालीवाल—सरकार टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय पर निर्भर ज्यादा रहती है और उनकी राय यह है कि कार्य संतोषजनक चल रहा है और सब ठीक हो जायगा, समयानुसार ।

श्री वेदपाल त्यागी—इस हिसाब से तो लास्ट रेन्स (last rains) में ही यह काम हो जाना चाहिये था ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इसमें देर इस वजह से हो गई कि कुछ सर्वे आदि कराने में और दूसरी गवर्नमेंट्स का भी सम्बन्ध इसमें था उसमें उनसे इस प्रश्न को तय कराने में ऐसे ही अन्य कामों के कारण देर लग गई थी । लोअर गैरेज और अपर गैरेज में भी विकल्प था । उसमें मध्यभारत और राजस्थान की सरकारों में मतभेद था । पर राजस्थान सरकार अन्त में अपने व्यूज को सफलता के साथ पेश कर सकी और निर्णय उसी के अनुसार हुआ । तो इन सब कारणों से देर हो गई थी । अब वैसे कोई कारण नहीं हैं, फिर यह काम पूरा क्यों न हो ।

श्री हिम्मतसिंह—अब तक कितने गज बाँध की मिट्टी पड़ चुकी है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—अभी तो मेरे पास नाप-तोल इस समय नहीं है । सदस्य महोदय चाहेंगे तो यह भी कर लिया करेंगे । पर साथ ही उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे मामलों में इतनी असंख्य चीजें पूछी जा सकती हैं और पूछ भी डाली जाती हैं कि जिनसे कोई खास लाभ नहीं होता न जनता का और न सरकार का और इनका उत्तर देने में अधिकारियों का समय बहुत लग जाता है, जिससे काम करने में दिक्कतें भी आ सकती हैं ।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—सरकार का ध्यान इसी वजह से दिलाने की इच्छा की थी । आज वक्त है । उस वक्त ऐसा न हो कि बाँध कम्प्लीट हो जाय और सरकार को नुकसान उठाना पड़े ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट । श्री मुक्तिलाल मोदी ।

श्री कंवरलाल जेलिया—थोड़ा सा मैं······

श्री अध्यक्ष—Order please !

Page No.34

प्रश्न संख्या ३३१

सिरोंज में माणकचन्द पालीवाल को ज्वार बेचना

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या खाद्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सिरोंज से कितनी ज्वार श्री माणकचन्द पालीवाल साझीदार सर्वसुख मोतीलाल को किस भाव पर बेची गई ?

(ख) क्या इस ज्वार को सिरोंज के व्यौपारी खरीदना चाहते थे ? यदि हाँ, तो उनको न दे कर बाहर के व्यापारी को देने के क्या कारण थे ?

(ग) इस ज्वार को बिकवाने के लिए कितने राज्य कर्मचारियों को सिरोंज जाना-आना पड़ा और टी.ए., डी.ए. में राज्य का कितना रुपया व्यय हुआ ?

(घ) ज्वार की कुल कीमत कितनी वसूल हुई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) सिरोंज से लक्ष्मीचन्द माणकचन्द को २३,१३० मन ज्वार १२ रु. ८ आना मन पर एफ.ओ.आर. डिस्पेचिंग स्टेशन के हिसाब से बेची गई।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) इसके डिस्पेच कराने के लिये सात कर्मचारियों को कुल एक बार सिरोंज जाना पड़ा जिसका कुल खर्चा, टी.ए., डी.ए. का खर्चा ४८६ रु. ११ आना हुए।

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या मन्त्रीजी बतायेंगे कि पब्लिक ने ज्वार इसी भाव पर वहाँ सिरोंज में माँगी थी, उनको क्यों नहीं दी गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आपको पहले ही बता दिया गया है कि कोई किसी ने नहीं माँगी थी।

श्री मुक्तिलाल मोदी—वहाँ मैं सिरांज गया था तो पब्लिक के लोगों ने बताया था कि हम लोगों ने माँगा था और ज्वार को डिस्पेच कराने के लिये जो कर्मचारी गये थे उनका जयपुर से सिरोंज का टी.ए., डी.ए., तो बताया गया परन्तु वह इटारसी गये अफसर लोग तो उसके किराये के लिये कुछ नहीं बताया गया है कि कितना खर्च हुआ।

श्री भोगीलाल पंड्या—अगर पब्लिक ने कहा है तो मिथ्या कहा है। कहने वाला मिथ्या हो सकता है और सुनने वाला भी मिथ्या हो सकता है। सरकार ने उत्तर दे दिया है कि न कोई अफसर इटारसी गया है न दिल्ली। यह कहना मिथ्या है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या इस ज्वार को फरोख्त करने से पहले कोई नोटिस दिया गया था। टेन्डर्स काल (call) किए गए थे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हाँ, २५-७-५३ को टेन्डर्स माँगे गए थे, और कोई भी नाज बेचा जाता है तो पहले भारत सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। उसकी मंजूरी ली गई है और फिर राजस्थान सरकार की मंजूरी ली गई और २५-७-५३ को टेन्डर्स माँगे गए थे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—क्या माननीय सदस्य केवल एक रात के लिए वहाँ गये थे ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री तेजमल बापना।

प्रश्न संख्या ३३२

मेजा डेम जिला भीलवाड़ा के कार्य की प्रगति

श्री तेजमल बापना--क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः--

(क) मेजा डैम, जिला भीलवाड़ा के काम की क्या प्रगति है ?

(ख) क्या इसकी सारी स्कीम बन कर पास हो चुकी है और काम जारी है या अभी स्कीम ही बन रही है ?

(ग) इस डैम की मुख्य दीवार का प्लान जिसमें मेजा गाँव के २६ घर आनेवाले थे कब बना और उस पर काम चालू है ?

(घ) क्या इस मुख्य दीवार का प्लान अभी फिर बदला गया है ? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—(क) इस पर काम शुरू हो गया है। बुनियाद खुद रही है।

(ख) वहाँ काम जारी है, स्कीम बन चुकी है।

(ग) डेम की मुख्य दीवार के प्लान सन् ५३ में बने और उस पर अभी हाल में काम चालू किया गया है।

(घ) अभी ऐसी कोई तजवीज नहीं हुई है। कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं।

श्री तेजमल बापना—आपने अभी (ग) के उत्तर में यह बताया है कि वह प्लान सन् ५३ में बना था और फिर (घ) के उत्तर में फिर कहा है कि वह प्लान फिर बदल सकता है तो क्या इससे यह समझा जाय कि अभी भी प्लान पूरा नहीं हुआ है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—अभी तो प्लान पूरा हो गया है लेकिन बाद में कोई तब्दीली की आवश्यकता मालूम पड़े तो ऐसी तब्दीली की जा सकती है। सरकार के सामने अभी कोई ऐसी चीज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न संख्या ३३३, श्री सुगनचन्द।

प्रश्न संख्या ३३३

चित्तौड़ जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कें

श्री सुगनचन्द जैन—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) पंचवर्षीय योजना में चित्तौड़ जिले के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कें इस साल तैयार की गई हैं और कितनी-कितनी रकम किस-किस सड़क पर खर्च की गई है ?

(ख) चित्तौड़ से बूंदी रोड का कार्य क्या पंचवर्षीय योजना में समाप्त हो जावेगा ?

(ग) क्या सिंगोली से भैंसरोड़गढ़ रोड का कार्य जो पंचवर्षीय योजना में है इस साल चालू किया गया है ? यदि नहीं, तो कार्य चालू नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(क) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चित्तौड़ जिले में निम्नलिखित सड़कें इस साल शुरू की गई हैं और जो जो रकमें उन पर इस साल माह फर्वरी, ५४ तक खर्च हुई हैं उसकी तालिका साथ में है। आप चाहें तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—टेबल पर रख दीजिये।

श्री टीकाराम पालीवाल—टेबल पर रखता हूँ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(ख) चित्तौड़ से बूंदी रोड का कार्य पंचवर्षीय योजना में शुरू होने पर सन् ५५-५६ के पश्चात् भी जारी रहेगा।

(ग) सिंगोली से भैंसरोड़गढ़ की सड़क का कार्य जो पंचवर्षीय योजना में है इस साल चालू नहीं किया गया है। इस साल इस काम के लिए कोई रकम इस डिवीज़न के लिए मन्जूर नहीं हुई है।

श्री सुगनचन्द जैन—इसमें १ लाख इस साल के लिए मन्जूर किया गया था; मैंने एक लिस्ट में उसे देखा है तो फिर क्या कारण है कि उसका कार्य चालू नहीं किया गया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—क्या ?

श्री अध्यक्ष—एक लाख रुपया मन्जूर किया गया था, क्या कारण है कि वह नहीं लिया गया ? He says he had a peep in the official papers that one lac was granted.

श्री तेजमल बापना—No, Sir, that was in the Budget......

(हँसी)

श्री टीकाराम पालीवाल—आप इनफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसकी जाँच करूँगा।

प्रश्न संख्या ३३४

ग्राम-खवा : दौसा के निकट : के सम्मेलन में हरिजनों का बहिष्कार

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या दलितोत्थान मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सत्य है कि ग्राम खवां, दौसा के निकट, जिला जयपुर में गत डेढ़ माह के अरसे के भीतर एक सम्मेलन हुआ था और उसमें राजस्थान सरकार और भारत सरकार के कोई मन्त्री महोदय भी पधारे थे ?

(ख) यदि हाँ, तो यह कहाँ तक सत्य है कि उक्त अवसर पर सम्मेलन में आये हुए लगभग २५०-३०० हरिजन बन्धुओं को सवर्ण लोगों ने अपने साथ जाजम पर बिठाने में आपत्ति की और सरकारी अधिकारियों के होते हुए भी उन्हें जमीन पर नीचे बैठने को मजबूर किया गया ?

(ग) यदि इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई तो क्या सरकार उक्त विषय में कोई छानबीन करने का और हरिजनों के साथ किये गये इस प्रकार के दुर्व्यवहार के प्रति कार्यवाही करने का इरादा रखती है। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) हाँ।

(ख) यह ठीक नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता मेरे पास इस तरह की कोई शिकायत आयेगी तो इसके लिए उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या मन्त्री महोदय को यह मालूम है कि बाहर के एक कार्यकर्त्ता ने यह बात मन्त्री महोदय को बतायी थी।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने आपको निवेदन किया कि कोई यदि इस तरह की शिकायत आयेगी तो उचित कार्यवाही की जायेगी। मेरे पास ऐसी कोई सूचना लिखित में नहीं आई है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या आपको यह मालूम नहीं है कि वहाँ स्टेज पर उन कार्यकर्त्ताओं ने यह बात सब के सामने कही थी?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे कुछ पता नहीं है। मेरे पास इसकी कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। आने पर उचित कार्यवाही करूँगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या मन्त्री महोदय को इस बात की इत्तिला है कि जो लोग वहाँ गये थे उन्होंने यह कहा था या नहीं?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे इसका पता नहीं कि कब, किसने, क्या कहा था और मैंने क्या उत्तर दिया था; मुझे याद नहीं।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—क्या यह बतलाया जायगा कि कौन से विभाग के वे मन्त्री थे?

श्री भोगीलाल पंड्या—मेरे खयाल में प्रश्न में यह नहीं पूछा गया है। केवल यह पूछा गया था कि राजस्थान सरकार के मन्त्री थे। कौन से विभाग के मन्त्री थे। इसके लिए नोटिस चाहिए, ताकि मैं मालूम करके आपको बताऊँ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या यह सत्य नहीं है कि उस सम्मेलन में श्री रामकरण जी जोशी पधारे थे?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने कहा न, कि मुझे पता नहीं।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—तो क्या यह मान लिया जाय कि जो कुछ पूछा गया था उसका उत्तर नहीं दिया गया है?

श्री भोगीलाल पंड्या—जितना जो पूछा गया था उसका उत्तर दे दिया गया है। आप फिर प्रश्न पूछियेगा तो बराबर जानकारी करके उत्तर दे दिया जायगा।

श्री सम्पतराम—जानकारी कब तक बनी रहेगी?

श्री भोगीलाल पंड्या—जब तक कि प्रश्न ठीक नहीं पूछा जायगा।

Page No.39

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल--मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि प्रश्न ही नहीं पूछा गया था और कुछ नहीं किया गया था तो माननीय मन्त्री महोदय ने जैसा महसूस किया हो उसका उत्तर दे दिया जाय।

श्री भोगीलाल पंड्या--प्रश्न जो पूछा गया था और जो महसूस किया गया है उसके अनुसार उत्तर दे दिया गया है।

श्री धीसीसिंह--यह कैसे पता चला कि राजस्थान सरकार का कोई मन्त्री गया: तो आपको यह पता नहीं कि फलां मन्त्री गया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या--जी नहीं मुझे याद नहीं रहता कि कौन मन्त्री गया था।

एक सदस्य--क्या राजस्थान सरकार को यह पता नहीं रहता है कि कौन-कौन मन्त्री कहाँ कहाँ जाता है ?

श्री अध्यक्ष--Order Please ! Next

प्रश्न संख्या ३३५

चित्तौड़ जिले में पुराने भवनों के जीर्णोद्धार के लिए व्यय तथा नई इमारतों को बनाना

श्री सुगनचन्द जैन--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे--

(क) इस साल चित्तौड़ जिले में पुरानी इमारतों की दुरुस्ती में कहाँ-कहाँ किस-किस इमारत पर कितनी-कितनी रकम खर्च हुई है ?

(ख) क्या नई इमारतें भी तैयार कराई गई हैं ? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सी इमारत और उसमें कितनी-कितनी रकम खर्च हुई है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)--(क) इस वर्ष चित्तौड़ जिले में जिन-जिन पुरानी इमारतों की दुरुस्ती करवाई गई है और जितनी-जितनी रकम उन पर खर्च की गई है उनका विवरण इसके साथ लगा दिया गया है। इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सैकड़ों की संख्या में जाता है, साहब।

श्री अध्यक्ष--टेबल पर रख दीजिये।

श्री टीकाराम पालीवाल--हाँ, टेबल पर रख देता हूँ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(ख) इस वर्ष जो नये भवन निर्माण कराये गये हैं उनका विवरण मय नाम जगह, नाम भवन और रकम जो खर्च हुई है वह निम्न प्रकार है। इसके अतिरिक्त कुछ मकानों में परिवर्तन और परिवर्धन भी कराया गया है, जिनका विस्तृत विवरण संलग्न है।

(१) ......का कार्यालय डूंगला का ४,२०,६०२ और भंडागार।

श्री सुगनचन्द जैन—डूंगला में कितना ?

श्री टीकाराम पालीवाल—४,१६,६०२ रु०। आई एम सॉरी वह ४,१६६ रु० हैं। वह आना पाई थे।

(१) भाँडागार डूँगला में १६४७ रु०

(२) दो क्लास 'सी' के बंगलों का निर्माण प्रतापगढ़ में ५०६३) रु०

(३) दो 'बी' क्लास के बंगलों का निर्माण चित्तौड़ में। काम अभी तक चालू है और अगले वर्ष तक खत्म हो सकेगा।

(४) नये लोक-अप का निर्माण बेगू में यह काम भी अभी चालू है।

श्री सुगनचन्द जैन—क्या इसकी लिस्ट सदन की मेज़ पर रखी जायगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी हाँ रख दी गई है।

श्री अध्यक्ष—Questions of 16th March, No. 270 by Shri Bhairon Singh (Division No 12).

प्रश्न संख्या २७०

बाली-देसूरी तहसीलों में राजस्थान निर्माण के पश्चात नई सड़कें।

श्री भैरोंसिंह (१२)—क्या यातायात मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे:—

(अ) राजस्थान के निर्माण होने के बाद से बाली, देसूरी तहसीलों में कितने मील नई सड़कें बनाई गई हैं ?

(ब) इस साल क्या सरकार के सामने उपरोक्त तहसील में नई सड़क बनाने की कोई योजना है ?

(स) यदि (ब) का उत्तर 'हाँ' में है तो क्या रानी-देसूरी सड़क भी इस योजना में सम्मिलित की गई है ?

[श्री भैरूँसिंह]

(द) यदि 'स' का उत्तर ना में है तो क्यों ?

(इ) क्या सरकार जानती है कि सड़कों के अभाव में गत वर्षाकाल में महीनों तक यातायात बन्द रहा और जनता को असुविधाएं तथा मोटर सर्विस वालों को विशेष हानि हुई है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) मामूली और छोटी सड़कों को छोड़ कर राजस्थान बनने के बाद सड़कों का कार्य इन तहसीलों में निम्न प्रकार से किया गया है—

(अ) देसूरी से सादड़ी तक मेटल्ड रोड़ और दूसरी देसूरी, कनोता, जोजावर हो कर मारवाड़ जंक्शन तक ग्रेवल रोड़। पहली सड़क की लम्बाई १२ मील है और दूसरी सड़क की लम्बाई १० मील है।

(ब) सुमेरपुर से तखतगढ़ तक नई सड़क बनाई जा रही है।

(स) नहीं।

(द) '(ख)' के उत्तर के कारण इस प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता नहीं रहती।

(इ) जनता की असुविधाएँ सरकार के सामने हैं पर सब कार्य एक साथ करना संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष—Now the Question hour is over.

श्री हरिशंकर सुद्धान्त शास्त्री—दो-तीन प्रश्नों के उत्तर और रह गये हैं। उन्हें भी ले लिया जाय तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

(विराम)

सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री लक्ष्मणसिंह डिवीजन नं० ८६ ने दिनाङ्क ५-३-५४ से दिनांक ३१-३-५४ तक विधान सभा की बैठक से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की गई ।

(विराम)

२२-मार्च की बैठक का समय निश्चित करने सम्बन्धी वाद-विवाद

२२ मार्च को जो सत्र बुलाया जायगा उसके बारे में कुछ सदस्य मुझ से मिले थे । वे चाहते हैं कि उस दिन ८. ३० बजे प्रातः काल के बजाय ३ या ४ बजे दिन को बुलाया जाय और कट मोशन्स पर यदि जरूरत पड़ी, जैसा हाउस का ट्रेन्ड होगा उस समय, समय और बढ़ा दिया जायगा लेकिन २६ या ३० तारीख से पहले-पहले हमको बजट का एप्रोप्रिएशन बिल पास करना होगा ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—On the 22nd, from what time we will meet ?

श्री अध्यक्ष—What about ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—On the 22nd, the Speaker said we will meet from what time ?

श्री संतोषसिंह—यह मतलब है कि बहुत से सदस्य बाहर से ट्रेन से आवेंगे इसलिए समय दिन में रखा जाय ताकि सब पहुँच सकें ।

श्री अध्यक्ष—We may call the meeting at 3.00 P. M. and we can continue upto 7.00 P. M. or if we meet at 4.00 we will can continue upto 8.00.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—What is the time which the Hon'ble speaker has fixed, 3 or 4 P. M.

श्री अध्यक्ष—I want to know the sense of the House.

श्री श्रीदास गोयल—4 is more desirable. ('Yes, Yes' सदन में आवाज)

श्री मथुरादास माथुर—माननीय अध्यक्ष, सदन के समक्ष दो दिन से······

श्री अध्यक्ष—Then we fix from 4 to 8. Now discussions on Budget.

(विराम)

(श्री त्यागी एवं श्री माथुर के एक साथ खड़े होने पर)

Shri Tyagi.

श्री मथुरादास माथुर--The Speaker has a soft corner for Opposition.

श्री अध्यक्ष—I have a soft corner for all the Members of the House.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—How can the Hon'ble Speaker have a soft corner when the Government has no soft corner ?

एक माननीय सदस्य--The Chief Whip of the Congress Party has no soft corner for this side.

श्री अध्यक्ष—You should not think in these terms.

एक माननीय सदस्य—Then I withdraw it.

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री वेदपाल त्यागी—अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मन्त्री महोदय एक कुशल शासक हैं, कुशल राजनीतिज्ञ हैं और माने हुए ईमानदार व्यक्ति हैं। जिस वक्त वे अपना भाषण पढ़ रहे थे उस वक्त मेरे दिल में शक उत्पन्न हो रहा था कि जो कुछ वे कह रहे हैं उसको मैं सही मानूँ या न मानूँ (हँसी) क्योंकि मेरा उनसे संपर्क रहा है इसलिये सहसा उनके भाषण को गलत मानने के लिये मेरे दिमाग में संघर्ष उत्पन्न हुआ। लेकिन लोक कल्याणकारी बननेवाले प्रान्त के बजट को जब मैंने देखा तो मुझको दुःख हुआ; आया यह लोक कल्याणकारी बनाने वाला बजट है या वही पुरानी दकियानूसी बजट है, जो हमेशा हमारे सामने पेश होता रहा है। मैं यह निवेदन करूँ कि लोक कल्याणकारी राज्य के बजट को रखने के लिये क्या दृष्टिकोण होना चाहिये ? बजट राज्य का वह नकशा है, वह आयना है जो राज्य की आनेवाली नीति का हमको दिग्दर्शन कराता है और हमको बताता है कि राज्य अगले वर्ष में किस प्रकार अपनी निधि को खर्च करना चाहता है जिससे कि लोगों का कल्याण हो सके। कल्याणकारी राज्य में सिर्फ यही नहीं है कि हमारा आर्थिक स्तर ही ऊँचा हो बल्कि हमारा नैतिक स्तर भी ऊँचा होना चाहिये ताकि हमको सामान्य प्रशासन के कार्यों में व पुलिस के लिये कम से कम व्यय करना पड़े। किन्तु अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि सामान्य प्रशासन और पुलिस के ऊपर सन् ५२ से आज तक बराबर खर्चा बढ़ता ही जा रहा है और इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं हुई है। यह सत्य है कि इस वर्ष कुछ लोक-कल्याणकारी कार्यों के लिये बजट में कुछ प्रोविजन रखा गया है। लेकिन इसका कारण तो यह है कि पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है और उसके लिए भारत सरकार द्वारा काफी पैसा मिल रहा है। लेकिन सिर्फ उसको बजट में ले आने से यह नहीं माना जा सकता कि हम उस राज्य का निर्माण करना चाहते हैं जिसके बारे में अपने आखिरी शब्दों में वित्त मन्त्री जी ने कहा था कि हम लोक कल्याणकारी राज्य के लिये अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन मैं निवेदन करूँगा कि हमारा स्तर दिनों दिन नीचा गिरता जा रहा है। कहावत है, "यथा राजा तथा प्रजा"। जिस प्रकार का राजा होता है उसी प्रकार की प्रजा होती है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—लेकिन आज कल उल्टा समझ रहे हैं।

श्री वेदपाल त्यागी (भाषण जारी रखते हुए)—यह ठीक है जिधर वे जा रहे हैं उधर ही प्रजा जा रही है हमारे प्रशासन का नैतिक स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है इसके कारण की जिम्मेदारी मैं उन पर रखना चाहता हूँ जो अपने हाथ में शासन की बागडोर संभाले हुए हैं। वे अपना

[श्री वेदपाल त्यागी]

उदाहरण उनके सामने रखें जो ब्रिटिश साम्राज्यशाही के पिलर (pillar) थे, संभव है वे ठीक हो सकें। तो बातें ऊपर से प्रारम्भ होती हैं वे ही नीचे तक जाती हैं। यदि आप लोक-कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं तो आपको पुलिस के खर्चे में कमी करनी चाहिये थी। आपको अपने नैतिक स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं दाद नहीं दे सकता कि आपका स्तर ऊँचा है। जिस प्रकार की नीति बरती जा रही है, जिस प्रकार से इंटीग्रेशन हुआ, जिस प्रकार से तबादले किये जाते हैं, जिस प्रकार से लोगों को तरक्कियें दी जाती हैं उन सब में एक दृष्टिकोण होता है कि हमारा इससे कितना फायदा है, हमारे आदमियों को उससे कितना फायदा होता है। मेरे पास ऐसी एग्जाम्पल्स (examples) मौजूद हैं। एक कलेक्टर का तबादिला किया जाता है, इसलिये कि एक एम. एल. ए. साहब आकर कहते हैं कि यह आदमी हमसे मेल नहीं रखता इसलिये इसका तबादला कर दिया जाय। उसका तबादला कर दिया जाता है। उसके दूसरे ही दिन एक दूसरे एम. एल. ए. साहब पहुँचते हैं और कहते हैं कि यह आदमी तो हमारे मेल का है और बहुत काम आता है इसलिये उसका तबादला न किया जाय इसको रोकना जरूरी है। लिहाजा तबादला कैंसिल हो जाता है और एक ही गजट में उसका तबादला होने का और कैंसिल होने का, दोनों हुक्म एक साथ छपते हैं। क्या यही तरक्की हमारे सामान्य प्रशासन ने की है? यदि वास्तव में इस बजट को लोक कल्याणकारी राज्य का बजट बनाना चाहते हैं तो हमको पहले अपने ही कार्यों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम वास्तव में उचित कार्य कर रहे हैं या नहीं। जनता कभी माफ नहीं करती। आज श्रेय आपको है कि आपने देश को स्वाधीनता दिलाई लेकिन यदि आपका यही कार्य जारी रहा तो आप डेमोक्रेसी से टोटेलिटेरियन की ओर जायेंगे और आपका टोटेलिटेरियन बनना जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।

आप इस तरह के कार्य करके, प्रशासन में इस प्रकार की ढिलाई पैदा करके, ढिलाई लाकर वह स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे देश में कॉम्युनिज्म लाने के लिये रास्ता खोला जा रहा है, रास्ता तैयार किया जा रहा है। जहाँ आपने डेमोक्रेसी हमें दी वहाँ कहीं इस बात का कलंक आप पर न लगे कि उसको आप लोगों ने ऐसे लोगों (कॉम्युनिस्टों) के हाथों में दी। दक्षिण से आपको ट्रेन्ड मालूम हो रहा है कि वहाँ आप कितने फेल्योर हुए हैं और कितने पापुलर हैं।

उधर के मेरे एक माननीय मित्र ने बड़े गर्व के साथ कहा था कि हमने बाइ इलेक्शन जीते हैं और यह हमारे पापुलर होने का सबूत है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बावजूद उन सारे प्रयत्नों के, जो जवाहरलालजी ने किये, दक्षिण में आप लोगों का होल्ड गिरता जा रहा है और कॉम्युनिज्म फैलता जा रहा है। यदि कॉम्युनिज्म को रोकना वास्तव में आप चाहते हैं तो आप अपने नैतिक स्तर को ऊँचा करें। तभी यह रुक पायेगा, नहीं तो नहीं, तभी लोक कल्याणकारी राज्य हो सकेगा।

श्री तेजमल बापना—क्या सरकार पर जो दोषारोपण लगाये हैं.......

श्री अध्यक्ष—(To shri Tyagi who sat down) You are in the possession of the House. You should not yield to what he says.

श्री वेदपाल त्यागी--But the intervention should not be allowed.

श्री अध्यक्ष—It is the right of the Hon'ble Member to have the possession of the House When I have allowed the Hon'ble Member to have the possession of the House he should not yield to the interruptions by others.

(करतल ध्वनि)

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, जो यह एक सवाल मेरे मित्र ने उठाया है वह ठीक ही उठाया है। मैं दो चार और बातें कह कर यह सब बताने ही वाला था। थोड़ी देर ठहरते तो मैं अपने आप ही बता देता, पर वे पेशेंस (patience) खो बैठे। मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारी सरकार के प्रशासन में कितनी ढिलाई आ गई है, किस तरह तरक्कियाँ और तबादले करवाये जा रहे हैं यही कारण है कि उन लोगों का हमारे प्रशासन में इन्टरफियरेंस (interference) बढ़ता जा रहा है जोकि एक पार्टी के हैं और इसके कारण हमारे प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन में पक्षपात और ढिलाई आ रही है। हाँ जुडीशियरी जरूर इससे बची हुई है। आज जो एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज उठी हुई सी दीख रही है उसको वापिस जमाना हमारे उन सदस्यों का काम है जो सदन के उस तरफ बैठे हुए हैं।

किस प्रकार हमारे शासक लोग सर्विसेज़ के साथ खिलवाड़ करते हैं, इन्टीग्रेशन हुआ उसमें लोगों की शिकायतें रहीं कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ इस पर हाई कोर्ट के एक जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने कुछ नियम बनाये कि इनके मातहत काम होना चाहिये। उन नियमों के मातहत आर. ए. एस. लोगों से ओब्जेक्शन्स लिये गये और एक लिस्ट तैयार की गई। पर हमारे पहले के आई. सी. एस. वैंकटाचार आदि थे उन्होंने ग्रुप्स बना दिये, उनमें उन नियमों को नहीं माना जो कमेटी ने तय किये थे। जो लिस्ट उक्त नियमों के अनुसार बनाई गई थी उसको न मान कर जो हमारे शासकवर्ग के कृपा पात्र थे उनको ऊपर करके जो लिस्ट तैयार की गई उसको माना गया।

इस तरह की कार्यवाही से हमारी सर्विसेज़ में उत्साह पैदा नहीं होगा कि वे जन सेवक बन कर जनता की सेवा कर सकें। जब तक उनके खुद के साथ न्याय नहीं होगा वे दूसरों के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे।

अब मैं एक नया नमूना पेश करना चाहूँगा जो यह है कि ग्रुपवाइज़ लिस्ट बन गई और लोग क्रमशः भी हो गये पर अब अगर किसी को तरक्की देनी है, एच. लिस्ट के लोगों को तरक्की देनी है तो उसको अपग्रेड कर देंगे।

क्या मैं पूछ सकता हूँ शासक वर्ग से कि आपकी एक कमेटी बनी और उसने निर्णय दे दिये, उसको जब लोगों ने राजी से मानो या बेराजी से, मान लिए तो फिर इसमें आप गड़बड़ी करें और नीचे के लोगों को ऊँचा लाना चाहें तो यह कहाँ तक ठीक है? अगर यह सब कुछ इसी तरह

[श्री वेदपाल त्यागी]

होता रहा तो इस पार्टी का भी वही नतीजा होने वाला है जो ईस्ट बंगाल में आज मुस्लिम लीग पार्टी का हो रहा है, जो कि बहुत करप्ट (Corrupt) है।

कहने को तो कहते हैं कि राजस्थान का निर्माण हुआ, हम सब राजस्थानी हैं, राजस्थान को मानना चाहिये; पर मुझे दुख होता है अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनमें ही सबसे बड़ा रोग है कि वह स्थानीयता को बहुत बड़ा महत्व देते हैं। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं करता हूँ। मैं राजस्थान के एक दूसरे कोने में पहुँचा और वहाँ एक मास्टर से मिला। उसने बताया कि राजस्थान के इस कोने से उस कोने में उसका तबादला हो गया है, करोली से बाड़मेर उसका तबादला हो गया है, क्या करूँ ? मैंने कहा कि भाई तुम्हारे डिप्टी डायरेक्टर से मिलो तो इस पर उसने कहा कि साहब मैं तो बी. पी. एम. जे. नहीं हूँ। मैं तो कोई एज्यूकेशनिस्ट नहीं हूँ, मैंने देखा यह क्या डिग्री है। उसने मुझे कहा, सच मानिये अध्यक्ष महोदय, बी. पी. एम. जे. का मतलब यह है कि न मैं व्यास हूँ, न मैं पुष्करणा हूँ, न मैं माथुर हूँ और न मैं जोधपुरियन हूँ।

वहाँ फिर किस तरह काम में जी लग सकता है, इसका हाउस अन्दाज लगा सकता है। माननीय मुख्य मन्त्री इस रोग से अधिक ग्रस्त हैं। और जो यह बात मैं कह रहा हूँ वह चीफ मिनिस्टर से खास तौर से बता देना चाहता हूँ वे अभी यहाँ पर नहीं हैं, होते और सुनते तो ज्यादा अच्छा होता, कि वे इस रोग से अधिक ग्रसित हैं। आपने सेक्रेटेरियेट में किसी की फायल मंगवाई और यह इसलिए कि आप किसी जूनियर ऑफिसर को लेना चाहते थे। मगर उसके लिए नीचे से नोट ऑपोजिट (opposite) पेश हुआ। लेकिन फिर भी उस पर आपने लिखा कि Jodhpur is not well represented in this Secretariat। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके इस सेक्रेटेरिएट में अफसरों की नियुक्ति प्रॉपोर्शनेट है और क्या वे सब स्टेटों को रिप्रेजेन्ट करते हैं या आपकी मर्जी पर ही उनकी नियुक्ति हुई है ? जब हमारे चीफ मिनिस्टर का दृष्टिकोण भी इस प्रकार का रहता है तो मैं वास्तव में यही कहूँगा और कह सकता हूँ कि यदि यही दृष्टिकोण रहा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो बहुत सों के साथ न्याय नहीं हो सकेगा। इस पर भवन अच्छी तरह से सोच समझ सकता है।

एक बात जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वह यह है कि आज हमारे साथी जो सदन के उस ओर बैठे हैं और सरकार के साथ हैं, जो कुछ हम कहते, हैं वे हमारे कहने पर ठट्ठे उड़ाते हैं और हमारी बातों पर खिलवाड़ करते हैं और जैसा कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि "होली के मूड" में हैं, आप भी कह दीजिये जो कहना है और हम भी कह देते हैं।

यदि इसी तरह से खिलवाड़ होता रहा तो मैं यह निवेदन कर दूँ कि यह होली जो आज रंग से खेली जा रही है कभी समय आने पर वह रंग से नहीं खेली जावेगी, उसका रंग ही दूसरा होगा। राजस्थान में भी होली उसी तरह से खेली जावेगी जिस तरह से चीन और रूस में खून से खेली गई। इसलिये मैं यह निवेदन करूँगा कि सदन में जो भी कहा जावे उसके हर एक शब्द पर गौर किया जावे और

[श्री वेदपाल त्यागी]

आप देखें कि जो बातें हम कह रहे हैं वे कहाँ तक सत्य हैं और यदि हमारी बातें सत्य हों तो आपको चाहिये कि उनको कार्यान्वित करें। हो सकता है कि सब का ज्ञान एकसा नहीं हो और जानकारी भी एक सी नहीं हो मगर किसी व्यक्ति के अल्पज्ञान के कारण उसकी हंसी उड़ाना ठीक नहीं हो सकेगा। आपको चाहिये कि आप वस्तु-परिस्थिति को हमें बतला कर हमको समझावें कि वास्तव में बात यह है, ताकि हमें असंतोष नहीं रहे। हर बात को हंसी में टालना नहीं चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूँगा कि ऑपोजिशन की तरफ से जो भी बातें कही जावें उन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि वही एक पार्टी है जो सरकार को बतलाती है कि वह ठीक काम कर रही है या नहीं। डेमोक्रेसी में तो ऑपोजिशन की तरफ से कही जाने वाली बातों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही सक्सेसफुल हो सकती है जो ऑपोज़िशन की तरफ ज्यादा ध्यान दे क्योंकि वही एक ऐसी पार्टी है जो रूलिंग पार्टीज़ को यह बतलाती है कि वे ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। इसलिये रूलिंग पार्टीज़ को चाहिये कि वे ऑपोजिशन के साथ अच्छा व्यवहार करें। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। डेमोक्रेसी में रूलिंग पार्टी को चाहिये कि वह स्वस्थ परम्पराएँ डालें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। मगर आज हम देखते हैं कि ऑपोजिशन के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात बता देना चाहता हूँ कि लोक कल्याणकारी राज्य में इतनी असमानता नहीं होती जितनी कि हमारे यहाँ पर देखने में आ रही है।

अब बजट के आँकड़ों पर मुझ से पूर्व मेरे कई मित्रों ने बहस की है और फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने जिस प्रकार से बजट पेश किया है उस पर काफी टीका टिप्पणियाँ भी की हैं। मैं यह कहूँगा कि बजट चाहे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने बहुत होशियारी से पेश किया है और बनाया है तो भी कुछ न कुछ कमियें रही हैं और मैं यह कहूँगा कि इसमें कमियें रहती हैं और आगे भी रहती रहेगी। लेकिन एक बात मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि इस बजट को देखने से यह प्रतीत होता है कि सरकार के सामने कोई नक्शा नहीं है जिसके अनुसार बजट बनाया जाता है। आप देखेंगे कि एक तरफ तो हमारे यहाँ के राजप्रमुख को ६॥ लाख रुपये दिये जाते हैं जो चार महीने यहाँ रहते हैं और दूसरी तरफ एक छोटे से चपरासी को ४५) रुपये दिये जाते हैं जो १२ घन्टे काम करता है। क्या हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब बतलाने की कृपा करेंगे कि यह असमानता क्यों और यह कितने दिनों में दूर की जावेगी? क्या इसके लिये कोई नकशा उनके सामने है? यदि है तो इस असमानता को किस प्रकार दूर करना चाहते हैं? इस पर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं मानता हूँ कि राजप्रमुख का ऑफिस एक पोलिटिकल डिपार्टमेंट की पोलिसी से सम्बन्ध रखता है और संविधान में उसका स्थान है और उनके सेट आइटम्स हैं। उनके खर्चे पर वोट नहीं हो सकते, लेकिन मेरा ख्याल है कि सरकार का जो रुपया पोलिटिकल कारणों से पोलिटिकल पेंशन के रूप में दिया जा रहा है उसका इतनी ही भार हमारे बजट पर डालें जितना डालना लाज़मी हो। हमको चाहिये की कम तनख्वाह पानेवाले जो लोग हैं, जिन्हें पेट भर कर रोटी

[श्री वेदपाल त्यागी]

नहीं मिल सकती और न मिल रही है उनको ऊपर उठावें ताकि हम यह कह सकें कि हमारा बजट वास्तव में कल्याणकारी बजट है।

मैं आशा करता हूँ कि जो बातें मैंने सदन के समक्ष सामान्य रूप से रखी हैं उन पर आप ध्यान देंगे और उनको कार्यान्वित करेंगे।

श्री मथुरादास माथुर—माननीय अध्यक्ष, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने पहले मेरे साथी त्यागी जी को बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष—यदि आप चाहें तो औरों को भी मौका दे दूँ।

श्री मथुरादास माथुर—और मैं इसलिए और शुक्रगुज़ार हूँ कि उनके बाद मुझे बोलने का मौका दिया।

मैं कुछ सदन के समक्ष रचनात्मक सुझाव पेश करने के लिये खड़ा हुआ हूँ लेकिन इन सुझावों को देने के पूर्व मैं कुछ चन्द बातें सदन के समक्ष रखना बहुत जरूरी समझता हूँ क्योंकि अभी सदन के समक्ष बोलते हुए माननीय सदस्य ने बतलाया है और जो बातें कहीं हैं वे बिल्कुल अनुचित है और उनका उत्तर अगर नहीं दिया जावे तो मुमकिन है कि वे बातें सदन के सदस्यों के दिमाग में घर कर जावेंगी, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मुझे दुख है कि जिस मित्र की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ खासतौर से, जिनका उन्होंने जिक्र किया है, उनसे पूर्व मित्रता है। आज से नहीं, १९४९ से जबकि वे इस राजस्थान के मन्त्री थे तब से उनकी मित्रता चली आ रही है। उस कारण से जो कुछ उन्होंने कहा है वह एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है इसलिये मुझे कोई आश्चर्य वे बातें सुनकर नहीं हुआ।

आज इन्टीग्रेशन के मामले को लेकर जो सरकार पर छींटा-कशी की जा रही है यदि इस सम्बन्ध में आप इतिहास के पिछले पन्नों को उलटें तो आपको मालूम होगा कि इस बीमारी को किसने पैदा किया और इसकी शुरूआत कैसे हुई? सन् १९४९ में जब राजस्थान बना था उस वक्त इन्टीग्रेशन की कार्यवाही शुरू की गई और जो मेरे माननीय मित्र, जिन्होंने इम्मोरल स्टेन्ड पर जो कुछ कहा है, मैं उनसे यही कहूँगा कि वे अपनी शक्ल पहले आइने में देख लें। इन्टीग्रेशन १९४९ में हुआ और उस समय लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ। इसलिये जब व्यास सरकार बनी उस समय लोगों ने इन्साफ के लिये पुकारा और उस समय यह प्रश्न पैदा हुआ।

श्री वेदपाल त्यागी—On a point of information, Sir, the first report of the Integration.........

श्री मथुरादास माथुर—I am in possession of the House You will kindly sit down.

मैं यह समझता ही था कि सच्ची बात कहने पर यह स्वाभाविक ह. है कि वे बौखला उठेंगे। वे किस तरह बौखला उठे!

Page No.49

[श्री मथुरादास माथुर]

१६४६ से यह बीमारी पैदा हुई और उस बुनियादी बीमारी को ठीक करने के लिये कोशिश की गई। राजस्थान सरकार को उसी कारण से आज भी ये बातें सुननी पड़ रही हैं। अगर यही इन्टीग्रेशन १६४६-५० में, जब वह बना बुनियादी तौर से ठीक तरह से होता तो आज वह प्रश्न ही पैदा नहीं होता और यह सवाल सदन में पैदा ही नहीं होता। लेकिन इसकी बुनियाद ही गलत रखी गई। उनका यह कहना किस तरह शोभा देता है और यह किस पर जवाबदारी है। मगर जिस ढङ्ग से उन्होंने इस बात को सदन के समक्ष रखा है उसके लिये तो मैं यह कहूँगा कि उन्होंने एक काबिल वकील की तरह से उसे अच्छी तरह से पेश किया है। उसके लिये तो मैं उनके दिमाग की तारीफ करूँगा, लेकिन माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा कह कर, जिस तरह से उन्होंने सदन में जहर का प्रचार करके, सदन के सदस्यों को उकसाने की कोशिश की है उसके लिये मैं यही निवेदन करूँगा कि सदन के इधर और उधर बैठने वाले सभी सदस्य इस पर ध्यान दें और वक्ता महानुभाव से यही कहूँगा कि वे अपनी तस्वीर पहले आइने में देखें। हालांकि मैंने कभी इस पर नहीं सोचा। कठिनाइयें हो सकती हैं जिनका निवारण आवश्यक है मगर मुझे ऐसा लगता है कि सदन की हर कार्यवाही को वे विभिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं जिसमें जोधपुर तो उनको एक हव्वा नजर आता है, उनके दिल में दर्द होता है। आज सदन के इस ओर से उस ओर जाना इस बात का सुबूत है कि उनकी यह भावना स्वाभाविक है, मगर.......

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—On a point of Order, Sir, I would like to know whether he refers to some of our friends who are crossing over.

श्री मथुरादास माथुर—I am referring to the man that you understand very well, sir.

श्री वेदपाल त्यागी—Are you welcoming those who are crossing that way ?

श्री मथुरादास माथुर—Yes.

श्री वेदपाल त्यागी—Then you should welcome that also.

श्री माथुरदास माथुर—माननीय अध्यक्ष, बहुत बहतर होता अगर वे अपने जजबात रोक कर सदन के सामने उस समय पेश करते जब चीफ मिनिस्टर मौजूद होते। इस वक्त चीफ मिनिस्टर मौजूद नहीं हैं। वे इन सब बातों को बताते। मगर मैं भी एक बात बता देना चाहता हूँ कि सरकार ने अपनी नीति से बजट के आँकड़े दिये हैं। सर्विस के खर्चे को देख लीजिये और इसमें अगर आप कुछ साबित कर सकें तो करिये। अभी भी वे दाखले मौजूद हैं। सदन अभी तक मिल रहा है उसमें आप साबित कर सकते हैं कि जो खर्चा हो रहा है उसमें बहुत बड़ा जोधपुर के लोगों पर खर्च हो रहा है या पब्लिक एक्टिविटीज़ (activities) पर खर्च हो रहा है।

[श्री मथुरादास माथुर]

वास्तव में देखा जावे तो पब्लिक एक्टीविटीज़ पर ज्यादा खर्चा हो रहा है, वेलफेयर एक्टीविटीज़ पर ज्यादा खर्चा हो रहा है। सुबूत आपके सामने हैं। आपने अपने ही आयने में अपने ही ऐनक में देखकर सर्विसेज़ को बदनाम करने की कोशिश की, डिविज़न भावना को पैदा करने की कोशिश की और यह सदन के किसी इमानदार व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। जो इमानदारी के लिये शैतान कुरान की आयतें पढ़कर अपने आपको इमानदार बताना चाहते हैं तो वे यह सोच लें कि इमानदार कहाना आसान नहीं है, उसको निभाना मुश्किल है। अतः मैं इतना ही अर्ज करके इस प्रकार की

(हँसी तथा विपक्ष की ओर से हियर हियर)

छोटी-छोटी बातों के विषय में सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। माननीय सदस्य ने जो भाषण दिया था उसके पीछे कुछ राजनीतिक भावनायें छिपी हुई थीं, ऐसा लगता है और इसलिए मैं इस विषय में सदन का समय नहीं लेना चाहता। किन्तु इन दो लफ्ज़ो में यह अर्ज कर देना चाहता हूँ कि इन्टीग्रेशन के विषय में, डिवीज़नल सर्विसेज़ की भावनाओं के विषय में और खास तौर पर माननीय मुख्य मन्त्री जी की ओर जो इशारा किया गया है उस बारे में यदि आप अपने आयने को हटा देते और इनके विषय में जो बजट में आँकड़े दिये गये है उनको देखते तो विश्वास हो जाता। इसके पश्चात् बजट के पूरे आँकड़ों को भी देख लीजिये।

माननीय अध्यक्ष, एक चीज़ और अर्ज करना चाहता हूँ और वह यह है कि मैं बजट में दो-तीन बातें खिलाफ़त के तौर पर माननीय मन्त्री महोदय को पेश करना चाहता हूँ। वही बजट अच्छा समझा जायगा जो जनता की कठिनाइयों को हल कर सके, आर्थिक स्थिति को ऊपर उठा सके। त्यागीजी तो मोरल स्टेन्डर्ड को उठाना चाहते हैं, उनको मुबारिकबाद है। मैं जनता की जो पीने के पानी के समस्या है उसे आपको बताना चाहूँगा। वह इलाका ऐसा है कि जहाँ पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या है। इस बजट में राजस्थान सरकार की ओर से कुछ भी रकम नहीं रखी गई है किन्तु भारत सरकार की ओर से जो रकम इस काम के लिए दी गई है वही रखी गई है, वही बताई गई है। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि भारत सरकार द्वारा दी हुई रकम, पंचायतों के मार्फत खर्च की जाती है और जहाँ पंचायतें नहीं हैं वहाँ वह रुपया नहीं मिलता है। पंचायतों में भी यह हालत है कि उनको इन्जीनियर्स नहीं मिलते, उनके पास टेक्निकल एडवाइज़र्स नहीं हैं जिससे वे न तो कोई योजना बना पाते हैं और न जनता को इसके लिए कोई राहत ही मिल पाती है। इस कारण पीने के पानी की जो समस्या है वह हल नहीं हो रही है। अतः मेरी यह अर्ज है कि इसके लिए रूयुरेल वाटर सप्लाई डिपार्टमेन्ट कायम किया जाय। जो अन्डरग्राउन्ड वाटर डिपार्टमेंट है उसको तोड़ कर इसमें मिला देना चाहिए। कुछ राशि भारत सरकार दे और कुछ राशि राजस्थान सरकार दे और कुछ जनता से मिले। इस प्रकार के सहयोग से यह समस्या हल हो सकती है। किन्तु आज-काल जो ड्युअल एडमिनिस्ट्रेशन (दोहरा शासन) इस विषय में चल रहा है उससे कोई फायदा नहीं होता है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर विचार करे और रूयुरल वाटर ग्राउन्ड के बनिस्पत रयुरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कायम किया जाय। इस डिपार्टमेंट के नहीं होने से कुछ इलाकों में काम हो जाता है और कुछ इलाकों में काम नहीं हो सकता। जहाँ जिन इलाकों में काम

[श्री मथुरादास माथुर]

होता है और जो पंचायतों के मार्फत होता है उनमें भी टेक्निकल एडवाइज़र्स न मिलने से, इन्जीनियर्स न मिलने से योजनाबद्ध काम नहीं हो पाता और इस प्रकार रयुरेल वाटर सप्लाई स्कीम कम्पलीटली निग्लेक्ट रह जाती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसके लिए एक महकमा कायम कर दिया जाय जिसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी होंगे, इन्जीनियर्स भी होंगे और वे पूरी योजना बना सकेंगे। जो रुपया भारत सरकार से मिला है, कुछ राजस्थान सरकार से मिल जायगा और कुछ जनता भी दे सकेगी और उस समस्त राशि को मिला कर पीने के पानी की जो समस्या है वह हल हो जायगी। इसके साथ ही साथ में यह भी अर्ज करूँगा कि अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड्स हैं, वे भी इस डिपार्टमेन्ट के अन्तर्गत आ जावेंगे। जितनी उनके पास मशीनरी है वह भी आ जावेगी और जो रुपया जमा है वह भी आ जावेगा। जो रुपया जमा है उसको काम में लाने के लिए भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। दूसरी बात यह होगी कि इन्सान को पीने का पानी मिलने की ही समस्या को हम हल नहीं करेंगे बल्कि इसके साथ-साथ पशुओं के पीने के पानी की भी समस्या हल हो जायगी। इसके साथ-साथ बजट में जो दो करोड़ और पचास लाख रुपया बताया गया है "Irrigation in Scarcity areas" के लिए वे भी इस ओर काम में लाये जा सकते हैं। हम चाहते हैं कि पीने के पानी की समस्या को हम पहले हल करें। जब पीने के पानी की समस्या हल हो जायगी तो जो पानी जहाँ बच रहेगा उससे इरिगेशन भी किया जा सकेगा। अतः हम पहले पीने के पानी की व्यवस्था मनुष्यों और मवेशियों के लिए करें और उसके पश्चात् इरिगेशन के लिए पानी काम में लावें। लिफ्ट इरिगेशन के लिए जो २.५० लाख रुपया है और स्केयर्सिटी एरियाज़ (अभावग्रस्त क्षेत्रों) में काम में लाया जाना है, हमें तो आशा थी कि यह रुपया पहले पीने के पानी की व्यवस्था के लिए काम में लाया जायगा किन्तु केवल इरिगेशन के परपज़ (सिंचाई प्रयोजन) के लिए ही इस रकम को खर्च करने में अधिक उपयोग नहीं हो सकता। अतः पहले पीने के पानी की व्यवस्था की जाय।

दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष, वह यह है कि राजस्थान के अन्दर काफी इलाका ऐसा है जैसे नागौर वगैरह जहाँ कि एक ही फसल साल में होने की वजह से लोग मवेशियों को बेच कर गुजारा करते हैं। मवेशियों के जो मेले होते हैं वे नाकाफी हैं, १०-१५ जो फेयर्स रखे गये हैं वे नाकाफी हैं। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद में यह योजना रखी गई थी कि यहाँ के पशुधन की अधिक रक्षा की जानी चाहिए। इससे राजस्थान की भी माली हालत ठीक होती है। यहाँ केवल तीन मेले ही नहीं होने चाहिएं। सांचोर के अन्दर जहाँ का पशुधन बड़ा अच्छा होता है वहाँ एक मेला और बढ़ा देना चाहिए और इसी तरह मेड़ता में भी एक मेला और बढ़ा देना चाहिए। वहाँ के पशु हिन्दुस्तान में मशहूर माने जाते हैं। किसानों के लिए धन कमाने का यह काफी अच्छा जरिया है। अतः मेरा निवेदन है कि सांचोर और मेड़ता में अगर मेले और बढ़ा दिये जावेंगे तो वे बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे।

तीसरी बात जो मैं अब आपको कहना चाहता हूँ वह यह है कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कमी हम महसूस कर रहे हैं वह यह है कि हमारे यहाँ पशु तो काफी हैं किन्तु पशुओं की बीमारी के लिए

[श्री मथुरादास माथुर]

चिकित्सक नहीं हैं। हमारे यहाँ जो ३८ डिस्पेन्सरियें बतायी गई हैं वे अर्से से चली आ रही हैं। अतः डिस्पेन्सरीज़ बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके अलावा आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि पूरे नागौर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर ७ लाख नागरिक हैं किन्तु एक डाक्टर नागौर में रहता है और तहसील हैडक्वार्टर में कोई डाक्टर नहीं है। पशुओं का बिना इलाज हुए, बिना चिकित्सा काफी पशुधन खराब हो जाता है, पशुधन बरबाद हो जाता है।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष, गवर्नमेंट इस बारे में विचार करे। जब डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं तो राजस्थान सरकार ट्रेनिंग दे। रिसर्च के लिए ८ लाख का खर्चा बढ़ेगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए १७२०१) का खर्चा हुआ है। २५ हजार रुपया राजस्थान सरकार जब खर्च करती है तो मैं यह अर्ज करूंगा कि वेटरनरी डाक्टरों की कमी को दूर करने और राजस्थान के बच्चों को इस लाइन में तैयार करने के लिए आप एक वेटेरनरी कॉलेज कायम करें। आपका जो खर्चा हो रहा है वह भी बच जावेगा और हमारे यहाँ के लोगों को पढ़ने का मौका भी मिलेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is the Hon'ble Member supporting the Budget or......

श्री मथुरादास माथुर—I am commenting on the Budget.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That is what exactly you are doing.

श्री मथुरादास माथुर—That is for you to decide.

माननीय सभापतिजी मैं जो कुछ सुझाव दे रहा हूँ, सुझाव देना बजट के पक्ष में ही होता है। इसलिए मैं सुझाव दे रहा था कि एक वेटरनरी कॉलेज कायम किया जाय।

डेवलपमेंट स्कीम के लिए जो ७ लाख रुपये के करीब रकम रखी गई है उसमें सेवेटरनरी कॉलेज खोला जा सकता है। यह ऐसे इलाके में खोला जाय जहाँ के पशु भारत में प्रसिद्ध हैं इससे वेटरनरी डाक्टरों की समस्या का हल हो जायगा।

इसके अलावा एक सुझाव मैं और पेश करना चाहता हूँ और वह यह कि राजस्थान की तरक्की के लिए इस प्रान्त का इन्डस्ट्रिलाइजेशन बहुत आवश्यक है। जब मैं बजट देखता हूँ तो पता चलता है इस कार्य के लिए गत साल जितना रुपया रखा गया था उतना ही करीब-करीब रुपया इस साल भी रखा गया है, कुछ आँकड़ों को इधर-उधर किया गया है। आज हम देखते हैं कि हमारी आमदनी का ज़रिया हम किसी भी प्रकार नहीं बढ़ा सके हैं भारत सरकार के द्वारा दिये हुये मदद से हमने जो आँकड़े बताये हैं उनसे जरा हमारा बजट अच्छा नजर आता है। इस बात पर गौर

[श्री मथुरादास माथुर]

करें तो यह सही मायने में ठीक नहीं। इस तरह से राजस्थान को कब तक भारत सरकार की आमदनी पर निर्भर रहना पड़ेगा? इसलिए हमें इस नतीजे पर पहुँचना पड़ेगा कि हमें राजस्थान की आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ योजनायें जरूर बनानी पड़ेगी। "Grow more food" की योजना, इर्रिगेशन की योजना जो राजस्थान सरकार चला रही है इसके अलावा बहुत से ऐसे भी इलाके हैं जहाँ छोटे उद्योग-धंधे पनपाये जायँ। घरेलू उद्योग-धन्धों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कुछ रकम कर्जे के रूप में जनता को अवश्य देनी चाहिये। हमारे माइनर और मेजर इन्डस्ट्रीज़ के बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि घरेलू उद्योग-धन्धों को पनपाने के लिए उनको धन के रूप में कर्जा मिल सके, सरकार की तरफ से कुछ सहयोग मिले तो यह धन्धे राजस्थान में पनप सकते हैं और इससे हमारी माली हालत भी सुधर सकती है। इसका नतीजा यह होगा कि हमारे राजस्थानी उद्योग-धन्धे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिए धन-राशि के लिए ऐसा फंड कायम किया जाय जो समय-समय पर जनता को दिया जा सके।

इसके साथ-साथ आपसे मैं यह अर्ज करूँगा कि बाकी जो कुछ बातें राजप्रमुख और उपराजप्रमुख के लिए हमारी तरफ से और विरोधी पक्ष की तरफ से कही गई हैं, मैं उससे सहमत हूँ। मैं उनको दोहराकर सदन का समय लेना नहीं चाहता। न हमारे विधान में है और न कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हैं इनके रखने के। इसके अलावा महाराजप्रमुख का जो सेक्रेटेरियेट है, जिसका सालाना खर्चा १६ हजार रुपया रखा गया है उसमें भी जो सेक्रेट्री की पोस्ट रखी गई, उसको १५००) रु० तनख्वाह मिलती है। इसके लिए न विधान के अन्दर कोई धारा है और न कॉवेनेन्ट के अन्दर ही कोई ऐसी शर्त है; फिर भी राजस्थान सरकार इन पर खर्च कर रही है इस पर अवश्य गोर किया जाना चाहिये।

ज्यादा समय सदन का न लेकर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने जो सुझाव रयुरल वाटर सप्लाई वेटरनेरी अरेन्जमेंट इन्डस्ट्रीज़ के लिए लोन्स का प्रबन्ध और इसके साथ साथ केटल फेअर्स के बढ़ाने के सिलसिले में दिये हैं उन पर सरकार विचार करेगी और इस बजट में यदि रकम नहीं रख सकी है तो इनको अमल में लाने के लिए सप्लीमेंटरी डिमान्ड रख कर इस पर विचार करेगी।

एक बात अन्त में और कह देना चाहता हूँ जो यह कि बजट को जिस नुक्ते निगाह से देखा जाता है उसमें हमें तब्दीली करनी होगी, यह ठीक है कि हमें इस राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाना है और यह हमारा कल्याणकारी बजट है। इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम कल्याणकारी राज्य के सिद्धान्तों को मानकर आगे बढ़ें। मुझे इस बात का दुख है कि मेरे मित्र जो मुझसे पहले बोले हमें नसीहत देते हैं कि आज जो राज्य कर रहे हैं उन्हें ठीक होना चाहिये, ट्रेज़री बेन्चेज़ वालों को जरा नैतिकता से काम लेना चाहिये। इसके लिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वक्त प्रजातन्त्र में हम रह रहे हैं, आज जो राज्य कर रहे हैं वे प्रजा के चुने हुए व्यक्ति हैं और आज यदि कोई राजा है तो वह प्रजा है और जिस प्रकार की हमारी प्रजा होगी हमारी जनता

[श्री मथुरादास माथुर]

का जैसा स्टेन्डर्ड होगा उसी प्रकार के व्यक्ति यहाँ चुन कर आवेंगे और वे, हकूमत करेंगे, वे विधान सभा के सदस्य होंगे। जब तक हमारी जनता का स्टेन्डर्ड ऊपर नहीं उठता तब तक हमारा, हमारी सरकार का स्टेन्डर्ड ऊँचा नहीं हो सकता। यदि जनता का स्टेन्डर्ड उठेगा तो सदन के सदस्यों का और सरकार का भी स्टेन्डर्ड ऊंचा होगा और तभी हम अपने प्रान्त को सच्चे मायने में कल्याणकारी राज्य कह सकेंगे और हमारा कल्याणकारी बजट होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप तो अपना स्टेंडर्ड ऊंचा उठावें, आप अपनी कॉन्स्टीटयुएन्सी के लोगों का स्टेन्डर्ड ऊंचा करें। आपने क्या कभी यह सोचा है कि आप किस पार्टी से उम्मीदवार चुनकर आये, आपको डिसिप्लिन में रहकर जनता का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ना चाहिये था? अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो हम सच्चे मायने में हमारे देश का हमारे प्रान्त का और जनता का हित कर सकेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी—अध्यक्ष महोदय, कल भी मैं सात बार खड़ा हुआ किन्तु मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया।

(श्री मोदी के खड़े रहने पर)

श्री सभापति—Order ! Order !!

भैरूँसिंह (दाँता रामगढ़)—माननीय सभापति महोदय, कल्याणकारी राजस्थान का जिस वक्त माननीय वित्त मन्त्री ने आय-व्यय का ब्योरा पेश किया इसको सुनने के लिए या इसकी जानकारी के लिए राजस्थान की जनता जिस प्रकार उत्सुक थी वह तो वहीं के लोग जान सकते हैं जो राजस्थान सरकार की असफलता एवम् सरकार की योजनाओं की कमी के कारण से बेकार बैठे हैं। बेकारी के कारण से जिनके बच्चे भूखे हैं, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं हैं उन लोगों को इस प्रकार की आशा थी कि जिस वक्त राजस्थान का बजट राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किया जायगा उस वक्त उस बजट के अन्दर इस प्रकार के प्रोवीज़न्स भी होंगे जिसके कारण राजस्थान की बढ़ती हुई बेकारी को रोका जा सके, राजस्थान के बेकारों की समस्या का ठीक प्रकार से हल किया जा सके। लेकिन जब विधान सभा में राजस्थान का बजट प्रस्तुत हुआ, उसके समाचार जब उन लोगों के कानों में पहुँचे तो उस वक्त उन लोगों को जितनी आशायें थीं वे सब आशायें निराशाओं में परिणत हो गईं। सभापति महोदय, राजस्थान के बजट के लिए यह कहा जाता है कि यह एक प्रगतिशील बजट है। मैं भी कहता हूँ कि प्रगति अवश्य हुई है, सन् १६५०-५१ में राजस्थान के आय के भाग में १४ करोड़ ६० लाख ७३ हजार की आमदनी थी, सन् ५१-५२ में वह १५ करोड़ हुई, ५२-५३ करीब १६ करोड़ हो गई और ५३-५४ में वह आमदनी १८ करोड़ के करीब पहुँच गई। इन चार सालों के अन्दर करीब ४ करोड़ और कुछ लाख रुपयों की वृद्धि हुई है। ५३-५४ में जो १८ करोड़ की आमदनी बताई गई हैं वह ५४-५५ में एकदम १८ करोड़ से बढ़कर २१ करोड़ तक पहुँच गई है। यह सुनने और देखने वालों के मस्तिष्क में यह एक प्रकार से विचार संघर्ष पैदा करने वाले आँकड़े हैं कि एकदम १८ से २१ करोड़ तक यह आमदनी कैसे पहुँच गई। इतनी

[श्री भैंरूसिंह (दांता रामगढ़)]

आमदनी बढ़ जाने के बाद भी राजस्थान सरकार ने बेकारी को मिटाने के लिए क्या किया और यह आमदनी किस प्रकार से बढ़ाई गई, इस आमदनी का क्या जरिया था और इस बढ़ी हुई आमदनी का किस प्रकार उपयोग किया गया ? सन् ५० में जब हमारी आमदनी १४ करोड़ रुपयों की थी उसके मुकाबले ५४-५५ में वह ६ करोड़ ४० लाख की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के कारण सरकार धन्यवाद की पात्र अवश्य है किन्तु धन्यवाद देने से पहले यह सोचना पड़ता है कि यह ६ करोड़ और कुछ लाख रुपयों की वृद्धि किस कारण से हुई। राजस्थान राज्य में ऐसी कौन सी योजना चालू की गई जिसके कारण हमारे राज्य के आय में वृद्धि हुई ? यदि हम राजस्थान की किसी भी योजना मी तरफ ध्यान देते हैं तो हमें मालूम होता है कि राजस्थान में ऐसी कोई योजना इन गत चार वर्षों में चालू नहीं की गई जिसके कारण ६ करोड़ ४० लाख की वृद्धि हुई हो। यह वृद्धि हुई है यूनियन एक्साइज़ ड्युटी में Taxes on income other than inter statetransit duties. एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में वृद्धि, सेल्स टैक्स लागू करने से वृद्धि, मोटर वेहिकल्स टैक्स के अन्दर वृद्धि, इरिगेशन के चार्जेज़ में बढ़ोतरी व स्टेट एक्साइज़ ड्युटी के अन्दर वृद्धि की गई है। इस तरह से टेक्सों में वृद्धि करके यह आमदनी बढ़ाई गई है। इन टेक्सेज़ से जो आमदनी होती है उनकी आमदनी यदि अलग कर दी जाय तो १ करोड़ २४ लाख रुपये बच जाते हैं, वह है भू राजस्व के।

वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में जिस अर्थ शास्त्र का उल्लेख किया और कहा कि अगर बजट सन्तुलिक पेश किया जाता है तो वह अर्थ शास्त्र के अनुकूल समझा जाता है। उसी अर्थ शास्त्र में यह भी है कि अगर सरकार का बजट भू-राजस्व से दुगुना है तो उस बजट के बनाने के अन्दर जरूर कुछ कमियाँ हैं, वह बजट ठीक नहीं। हमारे इस बजट को देखा जाय तो आपको पता चलेगा कि हमारा बजट हमारे भू-राजस्व से एक गुना अधिक नहीं हमारे भू-राजस्व से करीब पाँच गुना आमदनी बढ़ गई है। इस आमदनी के पहुँचने का मुख्य कारण हमारी सरकार की Taxation की पॉलसी है। इस टेक्सेशन की पॉलीसी के अन्दर जो सरकार की पॉलीसी रही और जिससे राज्य की आमदनी बढ़ी यदि इस आमदनी बढ़ाने के तरीके के लिए अगर सरकार को धन्यवाद का पात्र समझा जाता है तो मैं भी इस प्रकार का धन्यवाद देने में सम्मिलित हूँ।

सभापति महोदय, जहाँ तक भू-राजस्व का सवाल है इस मद में महज २,५५,५७,०००) की वृद्धि हुई है, जिसमें १,२०,००,०००) वे भी शामिल हैं जो जागीरी रिज़म्पशन के बाद में जागीरों से वसूल किया जावेगा। लेकिन इस आमद का मुझे अभी विश्वास नहीं होता है कि यह आमदनी भी मिल सकेगी जल्दी से जल्दी। इसका विश्वास तो इस राजस्थान सरकार ने जिस वक्त पहला बजट बना था उस वक्त भी दिलवाया था, दूसरा बजट जब बना तब भी यही विश्वास दिलाया था और तीसरे बजट के समय भी इसी विश्वास को दोहराया गया था, पर यह विश्वास केवल विश्वास ही रहा। आज चौथा बजट भी हमारे सामने आ गया है और इस वक्त भी यही विश्वास दिलाया जा रहा है। सरकार तीन-चार साल से जो यह विश्वास दिलाती जा रही है और वह पूरा नहीं हो रहा है, इस कारण मुझे तो विश्वास नहीं है कि इस साल भी यह रकम वसूल की जा सकेगी। वह गरीब जनता के ही मत्थे लगेगी।

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

इसके बाद मैं भू-राजस्व के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूँगा कि इस लैंड रेवेन्यू को वसूल करने पर जो खर्च हुआ है १ करोड़ तीस लाख रुपया उसकी वसूली के सम्बन्ध में प्रशासनिक कार्य में जो खर्च हुआ है, उसमें इस साल ६२ लाख की और वृद्धि कर दी गई है। इस तरह दो करोड़ दो लाख रुपये रेवेन्यू कलेक्शन के लिए प्रशासनिक कार्य में खर्च किया और दूसरे विभाग एग्रीकल्चर में २८ लाख ६२ हजार रुपये खर्च कर दिये गये हैं, इससे अधिक Grow more food में खर्च कर दिया गया है। इस तरह Revenue व Agriculture Department पर खूब पैसा खर्च कर दिया गया पर जो रुपया खर्च किया गया है उसके अनुपात से उसके बराबर भू-राजस्व में वृद्धि नहीं हुई।

आज राजस्थान सरकार यह बात जरूर कहती है कि २,३६,०५० बीघा की जो बारानी ज़मीन थी, जिसमें आबपाशी नहीं हो सकती थी कूए-तालाबों के जरिये से एवं अन्य उपायों से उसे सिंचाई के योग्य बनाया है और अनाज की पैदावार में वृद्धि की है, पर आमदनी को दृष्टिगत रखते हुए मुझे तो यह आशंका है कि जो बातें भूमि सुधार के बारे में कही गई हैं और जो आँकड़े इस संबन्ध में दिये गए हैं वे गलत तो नहीं हैं? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि उनमें सच्चाई नहीं है, वे सच्चाई से काफी दूर हैं।

दूसरी, सरकार की आमदनी है फोरेस्ट विभाग से। इसमें तीन लाख रुपयों की इस साल कमी कूँती गई है और इसका कारण यह बतया गया है, जैसा कि एक्सप्लेनेटरी नोट में दर्ज है, कि कुछ ग्रास (घास) वगैरह जो फेमीन डिपार्टमेंट को देने थे उनका सरकारी तौर पर प्रबन्ध करने में विशेष फायदा नहीं होने वाला था जितना ग्रास और टिम्बर को कन्ज्यूमर्स(Consumers) के जरिये देने में था। सरकारी नियन्त्रण में रखकर टिम्बर, ग्रास को कन्ज्यूम करके उससे फायदा ले लेना सरकार के लिए असम्भव चीज़ हो गई। यह ऐसा आइटम है, कि जिससे ज़ाहिर होता है कि हम न अपनी चीज़ को ठीक नियन्त्रण में नहीं रख सके न फायदे के लिए रुपया इन्वेस्ट कर सके, न उसका व्यापार कर सके, न उसका फायदा उठा सके और इसका कारण यह कह दिया कि यह आमदनी हम इसलिए नहीं कर सके कि फेमीन विभाग के लिए घास वगैरह दूसरों से मंगवाना ही ज्यादा ठीक समझा। इसलिए इसका बजट पर असर पड़ा और तीन लाख रुपयों का घाटा बताया। आज फोरेस्ट डिपार्टमेंट इस प्रकार का है राजस्थान सरकार के पास कि यह सरकार अगर इस डिपार्टमेंट के लिए किसी प्रकार की योजना बनाकर काम करे और फोरेस्ट से होने वाली आमदनी को नियमित आधार पर उपयोगी बनावे तो राजस्थान में फैली हुई बेकारी की समस्या, अशिक्षितों और शिक्षितों दोनों में फैली हुई बेकारी की समस्या, इस प्रकार की कोई अच्छी सी योजना बनाने से एक हद तक हल हो सकती है। पर हमारी सरकार इस बारे में मौन है।

सभापति महोदय, दूसरी आमदनी हो सकती थी इलेक्ट्रिक विभाग से। पर मुझे अफसोस है कि इस साल इलेक्ट्रिक स्कीम में आमदनी की जो रकम बताई गई है एक करोड़ पाँच लाख रुपया और एक्सपेन्डिचर बताया गया है एक करोड़ ग्यारह लाख रुपया। इस तरह इस विभाग में मुनाफा

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

नहीं, ६ लाख का घाटा बताया गया है। आज चारों तरफ से इस बात की आवाज़ आ रही है कि बिजली विभाग से आमदनी आनी चाहिये, जिन क्षेत्रों में बिजली से सिंचाई हो सकती है वहाँ बिजली मुहय्या की जानी चाहिये, एवं अन्य प्रकार के अन्य साधन जुटाये जाने चाहिये इससे, जिससे लोगों को जीवन निर्वाह के साधन मिल सकें, वे काम करने चाहिये। पर इसके विपरीत यह दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार किसी कारण से इस विभाग में किसी प्रकार की कोई आमदनी न बताकर इस बजट में ६ लाख की खामी बता रही है।

तीसरी बात, अभी जिस तरह से श्री वेदपालजी ने बतायी कि राजस्थान में अनैतिकता का बोलबाला है और इस बोलबाले के कुछ उदाहरण भी पेश किये; लेकिन अपने आपको गांधी जी के चेले बताने वाले, उनके आदर्शों पर चलने का दम भरने वाले, गांधीजी के ये अनुयायी इस प्रदेश में क्या नमूना अपनी नैतिकता का पेश करने जा रहे हैं, मैं इसकी एक जबर्दस्त मिसाल आपके सामने पेश करूँगा। वह स्टेट एक्साइज़ ड्यूटी की। आज राजस्थान में कृषि और भूराजस्व से भी ज्यादा कस्टम और एक्साइज़ की आमदनी है। इसकी दो मदें हैं। एक्साइज़ से २ करोड़ ४० लाख रुपये की आमदनी है, और अदर टैक्सेज़ से तीन करोड़ ६५ लाख रुपये की आमदनी है और ये दोनों मिलाकर होती हैं ६ करोड़ पाँच लाख रुपया। आज इस बात की जगह-जगह आलोचना की जा रही है और माननीय मन्त्री जी भी इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि जब सेल्स टैक्स लागू किया जावेगा तो कस्टम को हटा दिया जावेगा पर इस वर्ष यह मानकर भी कि Sales tax लागू कर दिया जायगा इसकी आमदनी कम होनी चाहिये, परन्तु कस्टम की आमदनी ज्यादा कूंती गई है। इसका बुरा असर हो सकता है कि सेल्स टैक्स जिसको सरकार लागू करना चाहती है बहुत मुमकिन है कि लोग कड़ा विरोध करें राजस्थान सरकार की सेल्स टैक्स लगाने की योजना, सम्भव है वह पूरी तौर से कार्यान्वित न हो सके इसलिए एक्सपेरीमेंट के तौर पर इसको लगाया गया है और इसी कारण सेल्स टैक्स की आमदनी कम कूंती गई है और कस्टम की ज्यादा। पर आम जनता को और विशेष तौर पर काश्तकारों को इस कस्टम के कारण जो नुकसान हो रहा है इस तरफ इस सरकार का ध्यान नहीं है। उल्टी इससे आमदनी बढ़ाई ही जा रही है और यह आमदनी तीन करोड़ ६५ लाख तक बढ़ा दी गई है।

दूसरी आमदनी है दो करोड़ चालीस लाख रुपयों की। महात्मा गांधी के पुजारियों का, उनके कट्टर चेलों का यह जो आज राज्य है उस राज्य में, उनके बजट में आबकारी विभाग की दो करोड़ चालीस लाख की आमदनी है। बम्बई आदि दूसरे कई प्रान्तों में यह बिल्कुल बन्द कर दिया गया है और इसका एक ही कारण है, चाहे आर्थिक संकट आ जावे, पर यह बुराई तो हर कीमत पर समाप्त होनी ही चाहिये। महात्मा गांधी ने भी इसके लिए बहुत ठीक कहा है कि आर्थिक संकट की आढ़ में आबकारी के पैसे को अगर सरकारी आमदनी में शामिल किया जाता है तो मैं मानता हूँ कि ऐसा करने वालों के दिमाग का दिवाला निकल चुका है और इसी प्रकार की चीजें, अभी बम्बई नगर में, जहाँ आज कांग्रेस का राज्य है, इस आबकारी के विरुद्ध प्रचार के सम्बन्ध में कही गई है। महात्मा

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

गांधी का दृष्टिकोण भी यही था। पर राजस्थान में इन विचारों का कोई असर नहीं होता है, सभापति महोदय।

इस विभाग के अन्दर भी यह बताया गया है कि इसमें इन्कम भी कम हुई है। इसका कारण मैं, माननीय सभापति, बताऊँगा। कल प्रश्नोत्तर काल में पृथक राजस्व मन्त्री कुछ प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, उस समय उन्होंने धीरे से मान लिया कि इसके ठेकों में जो ठेके की रकम है उस ठेकेदार को मिलने वाले कमीशन से कहीं अधिक है पर वह सब जगह नहीं है। अब मैं तीन ठेकों का एग्ज़ाम्पल रक्खूँगा। चाँदपोल में ६ हजार गेलन शराब बिकता है। एक गेलन पर तीन रुपया फी गेलन के हिसाब से उसे कमीशन मिलता है और इस तरह से उसकी आमदनी बिक्री के हिसाब से होती है अठारह हजार रुपये, पर ठेके का उसे देना पड़ता है ४५ हज़ार रुपये।

इसी प्रकार से स्टेशन जयपुर पर ठेका है। उस पर तीन हजार गेलन बिक्री होती है। इस हिसाब से उसकी आमदनी ६ हजार रुपये होनी चाहिये, पर ठेके का देना पड़ता है उसे ३२ हजार रुपये। इसी प्रकार से ठेका खुर्रा है उसमें भी तीन हजार की बिक्री होती है और तीन रुपया फी गेलन कमीशन के हिसाब से उसकी आमदनी होती है। नौ हजार रुपयों पर सरकार को ठेके का देना पड़ता है उसे २८ हजार रुपया।

और अब बाहर के भी दो-एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। एक है फुलेरा का और दूसरा है सांभर का। फुलेरा में २८६० गेलन की बिक्री होती है और इस पर ३ रुपया कमीशन के हिसाब से साल भर में ८५८० रुपया मुनाफा उसको होता है, लेकिन उसको देना पड़ता है १५ हजार रुपये। इसी प्रकार से सांभर में २४०० गेलन सालाना की बिक्री होती है, जिसके हिसाब से ३ रुपया कमीशन पर ७२००) रुपया सालाना आमदनी होती है जबकि उसको सरकार को देना पड़ता है १५ हजार रुपये। आज वित्त मन्त्री कह देते हैं कि किन्हीं कारणों से यह आमदनी कम हो रही है और कारण भी आपने बताया है, लोगों की आर्थिक स्थिति का खराब होना और शराब की कीमत ज्यादा बढ़ जाना और साथ-साथ यह भी कहते हैं कि शराब में इल्लिसिट डिस्टीलेशन (Illicit distillation) होने के कारण भी यह कमी है। लेकिन बाद में एक चीज़ मन्जूर करली कि इस Illicit Distillation को रोकने के लिए सरकार ने काफी कड़ा कदम उठाया है, पर मैं यह विश्वास के साथ कहता हूँ कि उन लोगों ने जरूर माना है कि अपने पेट के गुजारे के लिए ऐसा किया करते थे, पर आज सरकार को देने के लिए जो ठेकेदार रात और दिन असिस्टेन्ट कमिश्नर से मिलकर या इन्सपेक्टर से मिलकर यह Illicit Distillation का काम करता है उनमें से एक भी चालान हमारी सरकार ने आज तक नहीं किया होगा और अगर माननीय अध्यक्ष, आपको विश्वास न हो तो आँकड़े उठाकर आप देख लें कि सारे रास्थान में इतने कितने केसेज़ हैं जिनमें ठेकेदारों का चालन किया गया है। चालान कुछ गरीबों का जरूर किया गया है, पर फिर भी मैं इसके लिए भी यह नहीं कहूँगा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया क्योंकि कोई भी हो और कुछ भी हो उसने एक अनुचित

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

रास्ता तो अख्तियार किया ही है। पर सरकार की आंखों के नीचे, अधिकारियों के सामने, उनसे मिल कर जो इस प्रकार की आमदनी का जरिया दूसरी तरफ का निकालते हैं उसको रोकने के लिए सरकार ने कोई चीज़ नहीं की। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि यही लोग सारे के सारे सिद्धान्तों को तिलांजली देकर इस प्रकार से मदों में आमदनी बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार की तरक्की उनको छोड़नी पड़ेगी, ठेकेदारी का सिस्टम छोड़ना पड़ेगा, ठेकेदारों से ५-५ हजार के बजाय ५०-५० हजार ठेके के लेते हैं वह छोड़ने पड़ेंगे; यदि नहीं छोड़ती है तो मैं कहूँगा कि यह सरकार स्वयं ब्लेक मार्केट करवाती है और दूसरों को ब्लेक मार्केट नहीं करने के लिए इस प्रकार की शिक्षा देती है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीजें मुझे अब जिन विभागों के अन्दर कटौती होनी चाहिए थी उन विभागों के बारे में भी कहूँगा। राजस्थान का जब पहला बजट प्रस्तुत हुआ और जिस वक्त हमें स्वतन्त्रता प्राप्त हुई तो सिद्धान्तों से लोगों के मस्तिष्क में एक प्रकार का वातावरण बना हुआ था कि जिस वक्त जनता का राज्य होगा उस वक्त न मालूम क्या-क्या करके बतायेंगे। आज के सत्तारूढ़ दल के कई व्यक्ति खास तौर से कहा करते थे कि हम महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर चलेंगे, महात्मा गांधी जिस प्रकार के आदेश देंगे उसी प्रकार कार्य करेंगे। उन कार्यों को करने वाले आज महात्मा गांधी के सिद्धान्तों की हत्या करने वाले हो गये हैं। जो लोग यह कहा करते थे कि कोई मिनिस्टर ५००) रु० से ज्यादा नहीं ले सकेगा, कोई मिनिस्टर फर्स्ट क्लास में सेकन्ड क्लास में सफर नहीं करेगा, वही महात्मा गांधी के चेले हैं, उन लोगों ने आज इन चीज़ों को छोड़ दिया है। क्या करते हैं कि फर्स्ट क्लास सेलून से और भी ऊँची कोई चीज हो, एरोप्लेन्स हों या और कोई भी दूसरी व्यवस्था इस दुनियाँ में उनको मिल सकती है, उसको लेने के लिए लालायित रहते हैं। उनके सामने सिद्धान्त का कोई सवाल नहीं है, गरीब जनता के पैसे का कोई सवाल नहीं है और गरीब जनता क्या चाहती है उसकी पूर्ति की जरूरत नहीं। वह थर्ड क्लास में बैठते हैं, जब कि वह मन्त्री मंडल से अलग हो जाते हैं, मोटरों से रिक्शे में बैठते हैं और सड़कों पर पैदल चलते है, अपना बिस्तरा खुद उठाते हैं; लेकिन जब वह मिनिस्टर बनते हैं उस वक्त यह ख्याल नहीं करते हैं कि उन्हें तीसरे दर्जे में बैठना है, रिक्शे में बैठना है, पैदल चलना है और बिस्तर अपने हाथ से उठाना है। मन्त्री बनने के बाद में वे कहते हैं कि हमें हमारी प्रेस्टिज (prestige) रखना है। इन चीजों से सरकार की प्रेस्टिज है। लेकिन यह उस सरकार की प्रेस्टिज समझा जाना चाहिए जिस सरकार की जनता भूखी नहीं हो, जिस सरकार की जनता गरीब नहीं हो, जिस सरकार की जनता में बेकारी समस्या नहीं हो, जिस सरकार की जनता में सुख-समृद्धि का बोल-बाला हो; लेकिन जहाँ भुखमरी का बोलबाला हो, बेकारी का बोल-बाला हो, ऐसी सरकार के मन्त्री महोदय सरकार की प्रेस्टिज रखने के लिए थर्ड क्लास के बजाय एरोप्लेन्स से सफर करते हैं, फर्स्ट क्लास में बैठकर दुनिया भर की यात्रा करते हैं, उनमें गरीब जनता के साथ बैठने का साहस नहीं है। तो इससे साफ हो गया कि यह सिद्धान्तों की हत्या है, प्रेस्टिज का कोई सवाल नहीं है। इसलिए इस प्रकार मिनिस्टीरियल स्टाफ पर व मन्त्रियों पर ४,६५,००० रु० साल के खर्च होते हैं। औसत यदि ली जाय तो यहाँ राजस्थान में १० मिनिस्टर होते हैं। एक मिनिस्टर पर ४६५० रु० खर्च माहवारी होता है। एक मिनिस्टर की ४६५० रु० तनख्वाह नहीं

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

होती है। उसके लिए वे कहते हैं कि १ हजार रुपया देंगे, ज्यादा नहीं। मोटरों के लिए ज्यादा नहीं देंगे २५० रु० एलाउन्स देंगे। यह खर्च हुआ कहा तो फिर यह मानना पड़ेगा कि यह खर्च है ट्रेवलिंग का एक-एक मन्त्री पर। वे उद्‌घाटन करने के लिए दुनियाँ भर में पहुँच जाते हैं। छोटे से मकान का ताला खुलवाना हो तो ताला खोलने के लिए मन्त्री महोदय पहुँच जाते हैं। उनके आने पर बड़े-बड़े अफसरों को स्वागत के लिए वहाँ पहुँचना पड़ता है, काफी पुलिस का अरेन्जमेंट करना पड़ता है। उसका यह सब खर्चा है। साथ ही साथ दुःख इस बात का है कि वे ताला खोलकर आ गये, लेकिन ताला खोलने के बाद उस स्थान की किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं। सभापति महोदय, सन् ४७ में जब हमें स्वतन्त्रता प्राप्ति हुई तो श्रीमती राजकुमारी अमृतकौर ने दांता रामगढ़ की तहसील, कस्बा लोसल के अन्दर हॉस्पिटल का उद्‌घाटन किया था। उस हॉस्पिटल के उद्‌घाटन के बाद वहाँ की जनता ने, जनता के जरिये से पैसा इकट्ठा करके करीब करीब २ लाख रुपये की एक बिल्डिंग बनाई। आज ६ साल हो गये उस दो लाख की बिल्डिंग को बने हुए, लेकिन बावजूद राजस्थान सरकार से कई बार प्रार्थना करने के, बावजूद जनता के बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे प्रतिनिधियों के, बावजूद कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं के सरकार के पास इस प्रकार की अपील करने के वह बिल्डिंग उसी प्रकार से पड़ी हुई है और यह कह रही है "मेरा उद्‌घाटन राजकुमारी अमृतकौर ने किया, अगर कोई राजस्थान सरकार का मन्त्री करता तो शायद जल्दी ही काम हो जाता"। लेकिन मैं तो ऐसा समझता हूँ कि भारत सरकार के मन्त्री हों या राजस्थान सरकार के मन्त्री, जहाँ कि उद्‌घाटन करके आते हैं तो उद्‌घाटन करने के बाद उन्हें उसका पता तक नहीं रहता है। कई मन्त्री "अधिक वृक्ष लगाओ" आन्दोलन में छोटे छोटे वृक्ष लगाकर आते हैं। यदि मन्त्री महोदय स्वयं नहीं जाँय, अपने चपरासी को ही भेजें या अपने किसी अफसर की भेजें और दिखायें कि 'उनके हाथों से लगाये हुए जो पेड़ थे वह जिन्दा हैं या खत्म हो गये हैं और वहाँ खेत लग गये या नहीं तो नतीजा विपरीत पायेंगे। यह पेड़ इस तरह से लगाने के बाद नहीं रहते हैं, तो दुनिया में इस प्रकार की भावना जाग्रत हो गई है कि अगर पेड़ लगाने के लिए मिनिस्टर आते हैं तो यह पेड़ बड़े नहीं होंगे, वह पेड़ नष्ट होंगे। इस बात का प्रमाण यही है कि जितने मिनिस्टरों ने पेड़ लगाये ' हैं उनकी जाकर गिनती कर लें।

माननीय अध्यक्ष, मैं दो एक अजीब चीजें जो मुझे मालूम हुई हैं उनको और बतला दूँ। सरकार की ओर से मदद दी जाती है म्युनिसिपेलिटीज़ को। उसके लिए वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में कहा है कि वह स्थानीय कर बढ़ाकर किसी तरह भी अपने आमदनी बढ़ाये, उसके खर्चे को पूरा करे। आज राजस्थान सरकार के टेक्सेशन के आँकड़ों को देखे तो मालूम होगा कि गरीब जनता पर उनकी टेक्सेशन की नीति के कारण टेक्स का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस पर भी उन म्युनिसिपेलिटियों को खुली छूट दी जा रही है कि वह अपने पैरों पर खड़े हों और स्थानीय जनता पर जितना टेक्स लगा सकें, लगावें। म्युनिसिपेलिटीज़ की जितनी आमदनी की मदें थीं वह सरकार के हाथ में हैं। जिन मदों पर अधिकार सरकार का नहीं होना चाहिए उन मदों को नगरपालिकाओं को वापिस कर दिया गया हो, इस प्रकार की बात नहीं है। उनको खुले तौर से कह दिया गया है कि उनको मदद नहीं

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

मिलेगी, आमदनी के जो जरिये म्युनिसिपेलिटीज़ के होने चाहिये वह नहीं मिलेंगे। उनसे यह कह दिया गया है कि स्थानीय जनता पर कर लगाओ। गरीब जनता की कमर पहले ही टेक्स के भार से टूट रही है लेकिन उनसे कहा जाता है कि ऑक्ट्राय लगाओ, टर्मिनल टेक्स लगाओ। टेक्स लगाने के जो ज़रिये और हो सकते हैं उन सब पर टेक्स लगाओ। इस प्रकार म्युनिसिपल बोर्ड टेक्स लगायेंगे। फिर पंचायतों से कहा जाता है कि तुम भी टेक्स लगाओ। वह छोटी-छोटी चीजों पर टेक्स लगायेंगी, फिर तहसील पंचायतें टेक्स लगायेंगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टेक्स लगायेगा, म्युनिसिपेलिटीज़ टेक्स लगायेंगी। और फिर सरकार भी कई प्रकार के टेक्स लगायेगी; ऐसी यह टेक्स बढ़ाने की सरकार की नीति है। तो हमारी यह राजस्थान सरकार जब टेक्सेशन से खून चूसने में लगी हुई है तो इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस प्रकार टेक्सेशन से आमदनी बढ़ाने वाली सरकार लोक-कल्याणकारी सरकार नहीं हो सकती है, वह डेमोक्रेटिक सरकार नहीं हो सकती है, वह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने वाली सरकार नहीं हो सकती है।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—अब आप जल्दी ही समाप्त कीजिये।

श्री भैरूँसिंह—जल्दी ही कर रहा हूँ। सभापति महोदय, पुलिस के बारे में मुझे कुछ कहना है। राजस्थान में सबसे बड़ा बजट जो है वह पुलिस का है। एक माननीय सदस्य न मालूम क्यों यह कह गये कि गत वर्ष से इस वर्ष पुलिस में आँकड़े कम किये गये हैं, लेकिन शायद बजट एस्टीमेट की कॉपी उनके पास गलत आ गई है या मेरे पास गलत आ गई है। मैं समझता हूँ कि इस वर्ष पुलिस में ३ करोड़ ४१ हजार रुपये लिखे हुए हैं, जिसे लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। जनता के प्लेटफॉर्म पर लोककल्याणकारी राज्य का उद्घाटन-भाषण करने वाली सरकार का पुलिस का बजट ३ करोड़ ४१ हजार का है। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि इस प्रान्त की नैतिकता का नमूना क्या है? इस प्रान्त में क्राइम्स ज्यादा होते हैं, इस प्रान्त की साधारण जनता सुख की नींद नहीं सो सकती है, इसलिये उस सारे काम के लिए ३ करोड़ ४१ हजार का बजट बनाया है। उस बजट में जो रुपया देना चाहिए भारत सरकार को और जो लेना चाहिए राजस्थान सरकार को अपनी सीमा सुरक्षा के लिए तो वह राजस्थान सरकार ने नहीं लिया है और अपने निकम्मेपन से वह रकम खो रही है, भारत सरकार से वसूल नहीं कर सकती। पाकिस्तान और पूर्वी पंजाब की सीमा ५०० मील है। उनको १॥ करोड़ की राशि भारत सरकार से मिलती है और राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा ७०० मील है उसको १॥ करोड़ के बजाय २ करोड़ मिलने चाहिए, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस वक्त शुरू में राजस्थान विधान सभा का अधिवेशन हुआ था उस वक्त विरोधी दल के सदस्यों ने और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने इस बात की आवाज़ उठाई थी कि राजस्थान सरकार इस बात का प्रयत्न करे कि वह डेढ करोड़ की रकम भारत सरकार से लेकर अपने दूसरे कामों में लगाये, लेकिन राजस्थान सरकार किसी प्रकार भी वह रकम नहीं ले सकी, बल्कि पुलिस का बजट धीरे-धीरे बढ़ रहा है।

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

माननीय सभापति दूसरे भी आमदनी के ज़रिये हो सकते हैं उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया।

आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान की जमीन के नीचे इस प्रकार की चीजें मौजूद हैं जिनकी यदि ठीक तरह से जियोलोजिकल सर्वे करवाकर जाँच करवाई जाय और उन्हें निकाला जाय तो हमारी आमदनी ही नहीं बढ़ेगी लेकिन बेकार लोगों को भी धंधा मिलेगा। आज उस विभाग में छोटे आदमियों के लिये कोई जगह नहीं है। वहाँ पर रखे जाते हैं डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर, असिस्टेन्ट डाइरेक्टर, पी. ए. टू. डाइरेक्टर। जितने भी अफसर बढ़ाये जा सकते हैं वे सब इस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। लेकिन छोटे कर्मचारी जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं। हाँ, कुछ चपरासी जरूर होंगे जो घर पर काम करने के लिये या बाजार से साग-सब्जी लाने के काम आते हैं। लेकिन अन्य तरह के छोटे कर्मचारियों को वहाँ कोई काम नहीं दिया जा सकता। माइन्स से किस प्रकार से हम तरक्की कर सकते हैं इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। कल मानसिंह जी ने बताया था कि एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट ऐसे हाथों में चला गया है जिसको डिपार्टमेंट की बातों का ज्ञान नहीं है, लेकिन यह डिपार्टमेंट तो अच्छे हाथों में चला गया है इसलिए मैं आशा करता हूँ कि माइन्स कीतरक्की जरूर होगी।

अभी माननीय त्यागीजी ने सर्विसेज़ के बारे में कुछ बातें बताईं। उनको लेकर उस पार्टी के एक सदस्य ने उन पर कई आरोप लगाये। एक आरोप यह लगाया कि टिकट तो लें चुनाव के लिये इस पार्टी का और जा बैठें दूसरी पार्टी में। मैं उनसे कहूँगा कि उनके लिये भी एक इम्तहान है। देखते हैं वे इस में फेल होते हैं या पास। इधर की पार्टीवालों को बहकाकर उधर ले जाने का प्रयत्न करते हैं और मन में इस प्रकार की भावना रखते हैं। उनको चाहिये कि दूसरी पार्टी का टिकट जिस पर कि वे आये हैं वे उसको फेंक दें और फिर दुबारा चुनाव लड़कर आने की हिम्मत करें। वे कहते क्या हैं पर करते उससे विपरीत हैं। टिकट लेते हैं एक पार्टी का और जीतने के बाद जाते हैं दूसरी में।

दूसरी बात है इन्टीग्रेशन ऑफ सर्विसेज़ के बारे में। उधर से बोलने वाले सदस्य ने बताया था कि यह सारी बीमारी सन् ४६ में शुरू हुई थी और अपने आपको डाक्टर बताने वाले आ गये थे सन् ५० में और ५० से ५३ तक इलाज करते रहे, फिर भी रोग दूर नहीं हुआ। रोग दूर होता भी कैसे? आप तो बी. पी. एम. जे. के इंजेक्शन लगाते, तब दूर होता। १६४६ में जो मर्ज था वह एक ही तरह का था लेकिन आप जैसे डाक्टरों के आने के बाद तो बी. पी. एम. जे. के इंजेक्शनों के अलावा और किसी की बात भी सुनना आपको मन्जूर नहीं था, फिर रोग कैसे मिटता? आपको यह मानना पड़ेगा कि अब राजस्थान में इस प्रकार के इंजेक्शनों की कोई आवश्यकता नहीं है।

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री सभापति—आपने एक मिनिट माँगा था।

श्री भैरूँ सिंह—अब मुझे दो मिनिट और चाहिये।

अब मैं बेकारी के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। एज्यूकेशन के क्षेत्र में ५०० नयी स्कूलें खोलने की योजना बनाई गई हैं, ऐसा वित्त मन्त्री जी ने जिक्र किया था। क्या इन ५०० स्कूलों से राजस्थान की बेकारी की समस्या कम हो जायगी? राजस्थान में २० हजार छात्र प्रति वर्ष, हाई स्कूल, इन्टर, बी. ए., एम. ए., या लॉ पास करके निकलते हैं, फिर वे नौकरी की तलाश करते हैं और मारे-मारे फिरते हैं। उनको तसल्ली दी जाती है कि एक महीने में या दो महीनों में या तीन महीनों में नौकरी मिल जायगी, लेकिन उनको कोई रोजगार नहीं मिलता और वे परेशान रहते हैं। ५०० स्कूलें खोलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ५०० आदमियों को नौकरी दे सकेंगे पर बचे हुए १५००० आदमियों का क्या होगा और इससे बेकारी की समस्या कैसे हल होगी? यदि बेकारी मिटाने के लिये सख्त कदम नहीं उठाया गया तो बहुत बुरी हालत होगी। इस सम्बन्ध में तीन आदमियों की जो कमेटी बनाई है उसके द्वारा योजना बनाने में दो तीन साल लगेंगे। आपको जनता के सम्मुख कार्य-क्रम रखना होगा, योजना रखनी पड़ेगी कि २० हजार आदमियों की समस्या हल करने के लिये आप क्या-क्या कर रहे हैं। इन २० हजार आदमियों के पीछे ५ लाख आदमियों का भविष्य बंधा हुआ है। और १० वर्षों में सिवाय सर्विसेज के सभी आदमी बेकार बैठे रहेंगे, ऐसा अनुमान है और सरकार को उनका मुकाबला करना पड़ेगा। तब जैसे त्यागी जी ने कहा वहाँ होली रंग की ही नहीं बल्कि खून की भी हो सकती है। बेकारी दूर करने में सरकार की ढिलाई की नीति के कारण हो सकता है कि सरकार

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

के प्रति असंतोष और भी अधिक बढ़ जाय। इसलिये मुझे निवेदन करना है कि सरकार को यदि सारी समस्याओं को हल करना है तो बेकारी की समस्या को सबसे पहले हल करें और बजट में, दुख के साथ कहना पड़ता है कि, कोई योजना इस बारे में नहीं रखी गई है।

श्री उपाध्यक्ष—We haven't got much time at our disposal. आपको यह निर्णय करना है मैं सेंस ऑफ दि हाउस जानना चाहता हूँ कि यदि और डिबेट करना चाहते हैं या और सदस्य बोलना चाहते हैं तो अपने को ऑफ्टर नून (afternoon) में सेशन करना पड़ेगा वरना मिनिस्टरों की रिप्लाई होगी, उनको भी समय देना पड़ेगा, ताकि १२-३० तक पूरा कर दें। फिर हाफ एन अवर (half an hour) का डिस्कशन होगा जो आज के लिये रखा गया है। इससे १ बजे तक तो बैठक यों ही चलेगी। मेरे ख्याल से मिनिस्टरों में से भी कई बोलना चाहते हैं?

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैं सात दफा खड़ा हुआ पर मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, इसलिये अब मैं बोलना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—५ मिनिट के लिये आप बोलें।

श्री मुक्तिलाल मोदी—५ मिनिट तो मेरे लिये बहुत कम होंगे।

माननीय उपाध्यक्षजी, सदन के सामने जो बजट रखा गया है और उसमें जो आँकड़े दिये गये हैं वे आँकड़े इस तरह के हैं कि काफी आँकड़े तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट से जो रुपये राजस्थान गवर्नमेंट को मिलते हैं उसके हैं और कुछ आँकड़े इस तरह बताये हैं कि जनता पर दिन पर दिन टेक्स लगाया जाता है। लेकिन जब राजस्थान बना था तब १६ करोड़ रुपये राजस्थान गवर्नमेंट को राजाओं से मिले थे। वे १६ करोड़ रुपये खर्च हो गये, उसके बाद ४० करोड़ रुपयों का सरकार ने ऋण कर लिया। तो यह समझा जावे कि राजस्थान गवर्नमेंट एक तरह की दिवालिया गवर्नमेंट मालूम होती है। इस गवर्नमेंट को यह कहना चाहिये कि ४० करोड़ रुपयों का राजस्थान की जनता पर उसने कर्जा कर दिया और अब टेक्स लगाकर उस कर्जे को उतारना चाहती है; तो मैं माननीय सदस्यों को बताऊँगा कि वे खुद अपनी राजस्थान की जनता को देखते हुए जो टेक्स लगा रहे हैं उसके अलावा जो राज्य के शासन में किस तरह का वातावरण पैदा हो रहा है उसको मिटाने का सबसे ज्यादा प्रयत्न करें और इस जनता के ऊपर जो ऋण हो रहा है उसको मिटाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। तभी इस राजस्थान की जनता का भला हो सकता है और उनका स्तर ऊँचा उठा सकते हैं। यह न मानें कि इधर के बैठने वाले सदस्यों ने ही जनता की भलाई का ठेका ले लिया है, उधर के बैठने वाले सदस्यों का भी यह फर्ज है कि राजस्थान की जनता को ऊँचा उठाने का ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करके ऋण से उसे मुक्त करने में सफल बनावें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे शासकों का ध्यान जनता के स्तर को ऊँचा उठाने की ओर न जाकर अपने पोलिटिकल मामलों की तरफ ज्यादा जाता है। जब शासन चलाने वाले जनता की ओर ज्यादा ध्यान देंगें तभी तो दूसरे लोग उनकी मदद करेंगे। जब वे अपना खुद का नैतिक स्तर ऊँचा उठा सकेंगे तभी तो वे जनता के सामने एक ऊँचे आदर्श का नमूना पेश कर सकेंगे। मैं आपको बताऊँ कि आपके शासकों के कामों से आज करीब ४ करोड़ का इस सरकार को नुकसान हो रहा है, जिसका कारण यह है कि दूसरे प्रान्तों के अलावा इस प्रान्त में जो आज बिजली और पी. डब्लू. डी. के अन्दर सामान खरीदा जाता है उस सामान में करीब ४० लाख रुपये का गबन होता है। इस ४० लाख रुपये का गबन कुछ मेरे माननीय सदस्य जो उधर बैठने वाले हैं उनके रिश्तेदार करते हैं। मैं चेलेन्ज के साथ कह सकता हूँ कि किसको टेन्डर दिया गया है और किसने गबन किया है, यदि सरकार जाँच के लिये तैयार हो तो बता सकता हूँ। अगर सरकार जाँच के लिये तैयार नहीं है तो श्री यादराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट देख लें जो गवर्नमेंट के पास है। वह इन्डिया स्टोर न्यू देहली, भारत सरकार की है इससे एक पैसे का भी सामान नहीं खरीदा जाता है। हिन्दुस्तान में जितने प्रान्त हैं वे जो सामान खरीदते हैं तो इन्डिया स्टोर, भारत सरकार से खरीदा जाता है पर राजस्थान प्रान्त ही एक ऐसा प्रान्त है जिसके द्वारा उन महानुभावों से सामान खरीदा जाता है जिनसे कि नाजायज़ फायदा उठाया जा सकता है।

दूसरा, मैं बताऊँ कि मैं अभी बंगाल, यू. पी., सी. पी. में गया था और वहाँ लोगों से मिला था। परन्तु जैसी माइन्स राजस्थान में हैं, ज्यादा से ज्यादा माइन्स हैं, वैसी माइन्स बिहार के अलावा हिन्दुस्तान के किसी दूसरे प्रान्त में नहीं हैं। फिर भी राजस्थान में सिर्फ ४३ लाख रुपया

Page No.65

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

माइन्स में बताया है और उस तालके १० लाख का खर्च बता दिया है। मैं आपको बताऊँ उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में सब से बड़ी जिप्सम की खान हैं, १८०० टन फी दिन जिप्सम निकलता है, उसमें ३० पर्सेंट शेयर राजस्थान सरकार का है। परन्तु वह सब पैसा कहाँ जाता है ? टी. ए., डी. ए. वगैरह में चला जाता है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष, मैं तो आपकी गवर्नमेंट के लिये अच्छी बातें बता रहा हूँ, मुझे एक मिनट का समय और दीजिये।

माननीय उपाध्यक्ष, उन माइन्स से आज करीब ४ करोड़ रुपये की कीमत की बिल्डिंग्ज़, सड़कें आदि राजस्थान सरकार की बनती हैं और दूसरी चीजें बनती हैं तथा चार करोड़ की लागत की जनता की बिल्डिंग्ज़ बनती हैं। यदि इस ८ करोड़ रुपये के मेटीरियल की रॉयल्टी १२ आना प्रति सौ मन समझी जाय तो कुल मिला कर रॉयल्टी की आमदनी ढाई करोड़ रुपया प्रति वर्ष होती है। पर उपाध्यक्ष महोदय, इन खानों के ठेके सौ-सौ रुपयों में, दो-दो सौ रुपयों में, तीन-तीन सौ रुपयों में, पाँच-पाँच सौ रुपयों में दे दिये जाते हैं और उनका इन्तजाम सरकार की ओर से देखने वाला कोई नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्ष,......

श्री उपाध्यक्ष—पहले नाथूसिंहजी बोलेंगे, क्यों कि आप पहली ही बार बोल रहे हैं।

श्री नाथूसिंह—हमारे वहाँ (बाड़मेर) रेगिस्तान में पानी की बिल्कुल कमी है, वहाँ पानी की कमी के कारण राजाओं के जमाने में गाड़ियों में टंकियाँ जाती थीं। वह भी अब राजस्थान सरकार ने बन्द करदी हैं। तो अब तीस-तीस कोस की दूरी के आदमी हैं वे पानी के बगैर मर जाते हैं। अब मवेशी के ऊपर भी टेक्स लगा दिया है। ६०) रुपये में एक मवेशी को बेचे तो १५ रुपये ले लेते हैं, सिर्फ ४५ रुपया माल-धणी को मिलता है तो इस तरह से मालधणी मारा जाता है।

तो इस तरह से पीने के पानी का तो कोई इन्तजाम नहीं है और जब कभी काल पड़ता है तो गरीबों के लिये कोई मदद का इन्तजाम नहीं किया जाता है।

अब जो तकावी दी जाती है वह भी आधी रकम तो बीच में ही लोग खा जाते है और जो कर्ज रहता है उस रकम को अकाल में ही वसूल किया जाता है।

[श्री नाथूसिंह]

तिलवाड़ा मेले में जो गरीब किसान आते हैं उनके ऊपर डाडा लगा रखा है, तिलवाड़ा मेले में लाखों रुपये की आमदनी सरकार को होती है। उसमें एक मन्दिर है वह भी अब गिर जायगा, उसकी मरम्मत नहीं कराई जाती है।

जो रेगिस्तान में बीज हवाई जहाज से सरकार ने छांट दिये हैं उसके तार बन्दी लगाने का किया, उसमें भी दुनियाँ मर रही है। उसमें काश्तकारों को काश्त नहीं करने देते, मवेशी नहीं चराने देते, तो क्या पब्लिक मर जाय ?

बोर्डर के ऊपर जो रेगिस्तान की जनता है उनको भी पाकिस्तान के डाकू आकर मार जाते हैं, उनका भी इन्तजाम नहीं है जो किया जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्ष, बजट पर सामान्य वाद-विवाद के दौरान में जो कुछ बातें मेरे विभाग से सम्बन्धित कही गई हैं उन्हीं पर मैं कुछ कहना चाहूँगा।

जैसा कि कई बार देखा गया है, यह प्रयत्न किया जाता है कि फेक्ट्स को तोड़-मरोड़ कर जितना अधिक से अधिक कहा जाय, यही किया गया है।

एक हमारे माननीय सदस्य जो अभी बाहर से अन्दर आये हैं उन्होंने इस बात का प्रयत्न किया कि जिस वक्त जनरल सेल्स टेक्स बिल इन्ट्रोड्यूस किया गया, यह टेक्स इसलिये लगाया जा रहा है कि राजस्थान में जागीरदारों को जो मुआवज़ा देना पड़ेगा, उनसे बात करके जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हैं उन करोड़ों रुपयों को पूरा करने के लिये सेल्स टेक्स लगाया जा रहा है।

इसके बाद बजट पर वाद-विवाद हुआ, तो उन्होंने यह बताने का प्रयत्न किया कि राजस्थान के लेन्ड रेवेन्यु में ७५ लाख रुपया पिछले वर्षों में किसानों पर लगान के रूप में बढ़ा दिया गया है और आगे जो रिवीजनल सेटलमेन्ट किया जा रहा है वह इसलिये किया जा रहा है कि जो करोड़ों रुपया जागीरदारों को देना है उसका आम भार किसानों पर डाला जाय।

मैं मेमोरेन्डम के पेज २६ की ओर सब सदस्यों का ध्यान खींचना चाहूँगा कि जो ओर्डीनरी रेवेन्यु का हैड है, जिसका मतलब यह होता है कि किसानों से जो लगान लिया जाता है वह इस प्रकार है :

१९५०-५१ में २७७.१० लाख वसूल हुआ

१९५१-५२ में २४६.२९ लाख वसूल हुआ

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

और १९५२-५३ में २९५.०५ लाख वसूल हुआ

इसको २६१.६७ बताया गया

इनमें ऑर्डीनरी रेवेन्यू को न लेकर नीचे टोल पर आते हैं; वह है ३१५ लाख, जो १९५१-५२ की टोटल आती है उसको एक तरफ लें और दूसरी तरफ १९५३-५४ की रेवेन्यू एस्टीमेट लें जो ३८९.०० होते हैं। इसकी बेसी का फर्क ७५ लाख का बतलाया गया है।

मैं सोचता हूँ कि १९५१-५२ के आँकड़ों का पूरी तौर से माननीय सदस्य को पता होता तो वे अन्दाजा लगा सकते थे। सन् १९५०-५१ में कम वसूली हुई; १९५०-५१ में २७७ लाख और १९५१-५२ में २४६ लाख। इसका कारण यह था कि दर असल फेमिन इयर था और उसी कारण सरकार को सस्पेन्शन और रेमिशन करना पड़ा। इसी वजह से जो एमाउन्ट आया वह कम आया। सन् ५०-५१ के फिगर्स और ५१-५२ के अकाल के फिगर्स को सामने लेकर यह बढ़ा-चढ़ा कर बताने का प्रयत्न किया है कि सरकार किसानों पर कर का बोझा बढ़ा रही है, यह उचित नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पिछले साल कौनसा भयंकर अकाल था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पिछले साल कुछ एरिया अकाल से इफेक्टेड था, स्थिति बिलकुल साफ है। यदि स्थिति ऐसी होती कि किसानों पर बोझा ज्यादा होता, जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा है तो वह बात उनके फायदे की होती और उन्हीं के मुफीद साबित होती। किसानों में असन्तोष होता और माननीय सदस्य की नेतागिरी होती। आज किसानों में माननीय सदस्य कोई बड़ा कार्य नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण क्या यह नहीं है कि किसानों में कोई असन्तोष नहीं है। इसलिये यह तो नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने किसानों पर कर का बोझा लादा है। किसानों के प्रति सरकार की जो नीति रही है वह बिल्कुल स्पष्ट है और किसानों में काफी संतोष है।

अभी एक तरफ से ½ बांटे के बारे में जिक्र किया गया था कि सरकार ने ऑर्डर निकाल दिया कि ½ बाँटा लिया जावे, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं यह बात बता देना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से जो ऑर्डर निकला है वह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट (retrospective effect) से नहीं है। वह उस दिन से लागू होगा जब हुक्म निकला है। ऑर्डर निकलने से पहले यह लागू नहीं होगा।

जहाँ जागीरदारों को मुआवज़ा देने का सवाल है इस सम्बन्ध में भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार किसानों पर किसी प्रकार का टैक्स लगा कर जागीरदारों को मुआवजा देना नहीं चाहती है। माननीय सदस्य का यह कहना कि सरकार किसानों पर टैक्स लगा कर जागीरदारों

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

को मुआवज़ा देना चाहती है, यह जानकारी उनकी सही नहीं है । इस सम्बन्ध में जो बातचीत हुई है और बातचीत के फलस्वरूप जो भी परिणाम निकले हैं उनसे जागीर पुनःग्रहण करने के कारण राजस्थान सरकार के बजट पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न भार ही पड़ेगा । जो जागीरें ग्रहण की जावेंगी उनकी आमदनी से उनको मुआवज़ा दिया जावेगा । उसी की आमदनी से स्कूलें, होस्पिटल आदि खोले जावेंगे और उन्हीं की आदमनी से सस्पेन्शन और रेमिशन दिये जावेंगे । इसलिए मैं यह कहूँगा कि सदन में यह कहना कि किसानों पर जागीरदारी पुनःग्रहण करने व दूसरी वजह से सरकार कर (टैक्स) लगा रही है और उनको दबा रही है यह सर्वथा अनुचित होगा ।

मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूँगा कि वे आँकड़ों को गौर से देखें । मैं भी आँकड़ों को देख कर ही बता रहा हूँ और मुझे बतावेंगे कि आप वे गलती पर हैं या मैं । अभी तो इन पर बोलने का काफी अवसर मिलेगा । अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बतावेंगे और अगर मैं सही हूँ तो आप मेरी बातों को स्वीकार करने में नहीं हिचकेंगे ।

श्री चन्दनमल वैद—यह बात आपने असंभव कह दी ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आँकड़ों से मैंने आपको बताया है और वही आँकड़े आपके सामने भी हैं इसमें कोई रेवेन्यू सेटलमेंट नहीं किया गया है ।

आप १९५३–५४ के जो रिवाइज्ड एस्टीमेंट हैं २९४,९७, इसके मुकाबले मैं यहाँ बजट में २९१.९७ बजट एस्टीमेट रखा है । इससे साफ ज़ाहिर है कि जागीरों को लेने के संबन्ध में किसी भी प्रकार का टैक्स किसनों पर नहीं पड़ेगा । इसलिए मैं यह कहूँगा कि स्थिति बिल्कुल साफ है, उसको देखते हुए इसे मन्जूर करना ठीक होगा ।

अब इसके बाद में रिविजन ऑफ सेटलमेंट के बारे में कहा गया है । इस संबन्ध में यह कहा गया है कि सेटलमेंट इसलिए किया जा रहा है कि लगान का भार किसानों पर पड़े । मैं यह कहूँगा कि यह कहना सही है कि रिविजन ऑफ सेटलमेंट हुआ है । इसका कारण यह कि कुछ इलाकों में सेटलमेंट ३० साल पहले हुआ तो कहीं ऐसे भी इलाके हैं जहाँ ४० साल पहले सेटलमेंट हुआ और कहीं-कहीं २०–२० साल पहले सेटलमेंट हुआ था, उसके बाद कोई सेटलमेंट नहीं हुआ । आज के बाजार के भावों को देखते हुये और जमाने की तरक्की को देखते हुए लगान का बढ़ाना सर्वथा उचित होगा और सरकार ने रिविजन ऑफ सेटलमेंट किया; इससे सरकार को जो इनकम हुई तो इससे किसी को एतराज नहीं होना चाहिये ।

एक बात मेरे माननीय सदस्य ने कही कि लगान दिनों-दिन बढ़ता चला जा रहा है । मैं यह कहना चाहता हूँ कि लगान की दरें पहले अलग-अलग जगह पर अलग-अलग थीं ।

करौली में पहले भी १७), १८) रुपये थी,

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

मेवाड़ में आसीन के इलाके में पहले भी १२)-१३) रुपये थी,

भोमल........में १४, १५ रुपये थी।

कुछ हलकों में ३),४) रुपये मिल सकती है। यह बात पहले ही थी और आज भी आपको नज़र आती है। अगर कहीं ज्यादा हो तो उसके बारे में सरकार हमेशा विचार करने के लिए तैयार रही है। इस बात को माननीय सदस्य खुद जानते हैं और उनको भी इस सम्बन्ध में बातचीत करने का काफी मौका दिया जाता है।

श्री गोपीलाल यादव—अभी राजप्रमुख का जो ऑर्डिनेन्स ⅙ और ⅓ के सम्बन्ध में निकला है उससे कितना बोझा किसानों पर पड़ेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—⅓ बाँटे का ऑर्डिनेन्स जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं है। आज के दिन जो भी वसूली की जाती है वह ⅙ के बेसिस पर की जाती है। जहाँ रिविजन हो रहा है वह उसी के अनुसार हो रहा है और आपको ⅓ बाँटा ही देखने को मिलेगा।

अब कोर्ट ऑफ वार्ड्स के एरेंजमेंट के बारे में कहा गया। कोर्ट ऑफ वार्ड्स के बारे में बहुत सी जगहों से लोगों की शिकायतें हैं, इस बात का मुझे खुद को दुख है और इसी कारण से हमने एक एडवाइज़री कमेटी मुकर्रर की है जो इस संबन्ध में सरकार को अपनी राय देगी और कोर्ट ऑफ वार्ड्स में जो दिक्कतें बेवाओं और बच्चों को हो रही हैं वे दूर की जावेंगी। सरकार की नीति कभी यह नहीं रही है कि बेवाओं और बच्चों को तकलीफ हो। जहाँ कहीं इस प्रकार की किसी को तकलीफ हो वह हमारे सामने लाई जावेंगी तो सरकार उसको मिटाने के लिए हर समय तैयार रहेगी।

एक और बात हमारे माननीय सदस्य ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में कही। जितनी बात उन्होंने कही उसके साथ-साथ अगर वे यह भी कह देते कि सरकार ने उस अधिकारी को पहले ही सस्पेन्ड कर दिया है तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन उनकी कहने की......

श्री हरिकृष्ण व्यास—पहले ही नहीं, इसके बाद जाँच की और जाँच होने के बाद।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सरकार के पास जब इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई तो फौरन ही सरकार ने कार्यवाही की है। अगर सरकार की निगाह में कोई केस आवे और सरकार उस पर कार्यवाही नहीं करती है तो फिर आपको चाहिये था कि आप सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करते। अगर आप यह कह देते कि सरकार ने सस्पेन्ड कर दिया है तो दूसरी बात आप कुछ कह नहीं सकते थे।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

एक चीज़ और है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर नोन टेक्निकल आदमी को क्यों रक्खा गया? मैं अर्ज करना चाहता हूँ, माननीय उपाध्यक्ष, कि डाइरेक्टर नोन टेक्निकल अकेले राजस्थान में ही नहीं हैं, किन्तु इस वक्त मद्रास, मैसूर, ट्रावनकोर-कोचीन और मध्यभारत, इन चार जगहों के बारे में जो मेरी जानकारी है उससे यही कह सकता हूँ कि वहां पर भी नोन टेक्निकल डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं और यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर विभाग को सुचारु रूप से, व्यवस्थित रूप से चलाया जाय और आशा करता हूँ कि......

श्री गोपीलाल यादव—क्या इनके मातहत भी नोन टेक्निकल ही रखे गये हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह आप मुझ पर ही छोड़ दीजिये।

मशीनों के लोन्स के बारे में कहा जाता है कि बहुत दुरुपयोग हुआ है। मैं मानता हूँ कि कुछ दुरुपयोग हुआ है: यह बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ट्रेक्टर्स के बारे में लोन्स दिये गये थे किन्तु ट्रेक्टर्स नहीं लिये गये। सरकारी आधार पर ही माननीय मित्र को पता चला है। लेकिन जिन्होंने भी ऐसा किया हो वह कोई, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी। किसी प्रकार का किसी के बारे में शक हो सकता है, किन्तु जो लीनियेन्सी की बात है वह नहीं होने वाली है।

इसके बाद फेमीन वर्क्स के लिए, एक माननीय सदस्य, जो शेरगढ़ से आते हैं, ने रखा कि पिछले साल के बहुत से काम जो जारी किये गये थे उनमें से बहुत से काम अधूरे हैं; अगर उन कामों को पूरा किया जाय तो उनका उपयोग हो सकता है। यह योजना सरकार के विचाराधीन है और मैं समझता हूँ कि इसमें उपयुक्त निर्णय होगा। जिन कामों पर अधिक खर्चा हो गया है और कुछ खर्च की वजह से अधूरे रह गये हैं उनको पूरा किया जायगा।

माननीय उपाध्यक्षजी; मैं अधिक समय अब सदन का लेना नहीं चाहता। जब कट मोशन्स आवेंगे तो इनके बारे में अधिक कहने की यदि आवश्यता होगी तो कहूँगा। मैं तो खास तौर पर, माननीय उपाध्यक्षजी, इसलिए खड़ा हुआ था कि माननीय सदस्य बार-बार प्रयत्न करते प्रतीत हुये कि आप जागीर पुनर्ग्रहण के बारे में इतना बड़ा कम्पेन्सेशन देना चाहते हैं जिससे काफी बोझा पड़ेगा; मैं स्पष्ट करना चाहता था कि उसके कारण किसी पर राजस्थान में बोझा नहीं पड़ने वाला है।

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—उपाध्यक्ष महोदय, यों तो एजुकेशन का जो बजट पेश किया है उससे सभी को संतोष मालूम पड़ता है लेकिन मेरे मित्र श्री गोपीलालजी यादव, जो कि मेरे पुराने साथी हैं, को कहीं कोई कमी मालूम पड़ती है तो उसको उन्होंने प्रेमपूर्वक बताने की कोशिश की है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि उन्होंने बजट को सही तरीके से देखा है और उसमें कुछ गलतियाँ टाइप की रह गई हैं और कुछ छपने में फिगर्स की गड़बड़ी हुई है उसकी वजह से

[श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)

उनको शुबहा हुआ कि शायद इस साल बजट जो बढ़ाकर दिखाया गया है सही नहीं है। यह ठीक बात है जैसा कि आपने देखा कि प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या ७२२३ है लेकिन यह आँक गलत छपा है, असल में संख्या ८४४७ है। तो मैं इस गल्ती को जो आपने बताया उसको स्वीकार करता हूँ। दूसरा मेमोरेन्डम में भी उन्होंने बताया है कि पहले बजट एस्टीमेट्स २ करोड़ ६१ लाख का था और बाद में २ करोड़ ८६ लाख का हो गया; वह इन्क्रीज़ड शुद्ध न हो कर डिक्रीज्ड होना चाहिए था। जो दो गलतियाँ इस प्रकार की बताई गई हैं मैं उनको स्वीकार करता हूँ और आशा करता हूँ कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट उसको शुद्ध कर देगा। बाकी मैं मानता हूँ कि बजट कुल मिलाकर इतना संतोषप्रद है जितना कि आज की हालत इजाजत देती है। इस साल भी सरकार का खयाल है कि जितने स्कूल पिछले साल खोले गये हैं उतने ही खोलने का प्रयत्न किया जायगा। अभी श्री भैंरूँसिंहजी कह रहे थे कि अनएम्प्लोयमेंट को दूर करने के लिए पाँच सौ टीचर्स को ही अपोइन्ट किया गया। पाँच सौ नहीं, पन्द्रह सौ अध्यापक नियुक्त किये गये हैं। इतना ही नहीं ट्रेनिंग में से भी एक हजार के लगभग और अध्यापक नियुक्त किये गये हैं। इस प्रकार २५०० अध्यापकों की नियुक्तियाँ की गई। ये जो नियुक्तियाँ एजुकेशन विभाग में की गई है वे काफी संतोषजनक हो सकती है और यदि वे मानें तो अनएम्प्लोयमेंट को रीलीव करने के लिए कई स्कीमें हैं। कुँवर श्री जसवन्तसिंहजी यहाँ मौजूद नहीं हैं। उन्होंने इस बात पर असन्तोष प्रगट किया था कि उदयपुर डिवीज़न में ग्रान्ट दी जाती है; जैसे विद्याभवन आदि को अधिक दी गई हैं, जब कि आपने छोटेसे संस्कृत कॉलेज को चलाने के लिए पूरी सहायता नहीं दी। यद्यपि उनके भाषण में यह कहा गया कि सहायता का आश्वासन मिला था किन्तु यदि आश्वासन था तो फिर कोई शिकायत ही नहीं रहनी चाहिए थी। सहायता प्राप्त करने में चाहे जितनी जल्दी की जाय किन्तु यदि खाना-पूरी नहीं होती है तो ग्रान्ट नहीं मिल सकती। उनका संस्कृत पाठशाला का सवाल जरूर था। उन्होंने सुन्दर भवन बनाया है। वे चाहते थे कि पुरानी जो संस्कृत पाठशाला चल रही है उसको उसमें बदल दिया जाय। इसमें स्थानीय लोगों का विरोध था। मैंने बार-बार कहा कि यदि स्थानीय लोगों को विश्वास हो जाता है तो उसको उसमें बदला जा सकता है और उसके बजट को भी ट्रान्स्फर किया जा सकता है। किन्तु जब तक नागरिकों को प्राप्त नहीं हो जाती है राज्य उसमें क्या कर सकता है? और वह इतना जल्दी डिसीज़न तो नहीं ले सकता कि दरख्वास्त दी और फौरन उसी पर ग्रान्ट दे दी गई। उदयपुर में जो ग्रान्ट दी गई है उसके सम्बन्ध में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ग्रान्ट इन एड वहाँ मिलनी चाहिए और मिली है। जो बातें वहाँ रखी गई हैं वे विशेषरूप से भारत सरकार द्वारा रखी गई हैं। गिरवा में एक्स्टेन्सिव एजुकेशन का प्रोग्राम चल रहा है। वहाँ बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज भी है। बेसिक स्कूल्स को खोलने की आवश्यकता महसूस हुई और इसलिए कुछ ग्रान्ट विद्याभवन को दी गई और कुछ जनता कॉलेज को। सरकारी रेवेन्यू में से विशेषरूप से नहीं दी गई, जितनी मिलनी चाहिए थी मिली। कुछ अन्य कार्य भी वहाँ किये गये हैं जिनको करना आवश्यक भी हो जाता है क्योंकि भारत सरकार उन्हें देखती है। कोई स्कीम जब एक जगह शुरू की जाती है तो उसको विशेषरूप से पैसा देना आवश्यक हो जाता है। स्कीम के लिए पैसा दिया गया है, न कि किसी खास व्यक्ति को अथवा रियायत बरत कर दिया गया। भारत सरकार वहाँ कई प्रकार के एक्सपेरिमेन्ट्स करवा रही है कि शिक्षा के क्रम को, पाठ्यक्रम को किस प्रकार बदला जाय, नई प्रणाली के लिए लोगों में किस तरह से जोश पैदा किया जाय। कई

[श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)]

अनुभव चल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोले जाँय, विलेज लीडर्स पैदा किये जाँय जो जनता में भावनाएँ पैदा कर सार्वजनिक कार्य करें, समाज को आगे बढ़ावें और उसमें चेतना पैदा करें। जनता कॉलेज नामक संस्था को यह काम सौंपा गया है। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने कामों को रोक कर इन कामों को शुरू किया। यदि कोई संस्था जिम्मेदारी लेती है तो राज्य का फर्ज हो जाता है कि वह सहायता दे, सहयोग दे। इसीलिए जनता कॉलेज और विद्याभवन को ग्रान्ट दी गई।

शराब के विषय में बड़े जोर से कहा गया कि कई लोग शराब बना रहे हैं उनको नहीं पकड़ा जाना चाहिए, किन्तु ठेकेदारों को पकड़ा जाना चाहिए। जो जुर्म करता है चाहे वह ठेकेदार हो अथवा बनाने वाला हो कानूनी निगाह में दोनों बराबर हैं। जो इस जुर्म की केटेगरी में आ जाता है, चाहे वह शराब बनाने वाला हो अथवा शराब पीने वाला हो, या ठेकेदार हो; उनको सजा देना जरूरी हो जाता है। आपने प्रोहिबिशन की बात और कही है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं लोगों से मिलता रहा हूँ, वे लोग कहते हैं कि उनके पास पुराने स्टॉक हैं, उनको Consume करने की इजाजत दे दी जाय। उनके पास कीमती-कीमती शराब है जो कि मार्केट में नहीं बिक सकती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कीमती शराब से बड़ी मोहब्बत भी है। कुछ ऐसे भी हैं जो कि (Consume) कर लें। ऐसे भी साथी हैं जो बराबर इस बात को महसूस करते हैं........।

जैसी हालत आज मौजूद है उसमें अगर प्रोहीबिशन जारी किया जायगा तो इस कानून को तोड़ने वालों की संख्या अधिक से अधिक हो सकती है। ऐसा भी कहा जाता है और बाराबर भाषण भी दिये जाते हैं।

सेल्स टैक्स के बारे में कहा गया, हमारे माननीय अपोजिशन के नेता की तरफ से कि यदि यह लागू किया गया तो हम इसके खिलाफ आन्दोलन करेंगे। आन्दोलन इस टैक्स पर ही क्या किसी भी कानून पर किये जा सकते हैं। टैक्स के विरोध में जनमत तैयार करना आसान बात है, जैसा कि जयपुर म्युनिसिपैलिटी द्वारा टैक्स लगाने की घोषणा करने पर यहाँ की जनता ने किया। जिस प्रकार यहाँ की जनता द्वारा जयपुर म्यूनिसिपल टैक्स का जो विरोध हुआ उसे कभी न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। यहाँ के नगरिकों ने जितनी dis-service राजस्थान की की है वैसी डिस-सर्विस किसी भी भाग ने नहीं की। मैं जब कभी इस विषय में यहाँ के नागरिकों से मिलता हूं तो उन्हें यही कहता हूं। कोई वजह नहीं जब कि छोटे-छोटे कस्बे अपने यहाँ म्युनिसिपल टैक्स लगाकर अपने काम को चलाते हैं, यहाँ यह न हो। हम यह देखते हैं कि जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में टैक्स की जब बात की जाती है तो इस प्रकार के आन्दोलन छेड़ने की धमकी दी जाती है। जब ऐसी बातें जिम्मेदार आदमी कहते हैं तो जरा सोचना पड़ जाता है। आज हमारी सरकार है, हो सकता है कल और किसी भी पार्टी की सरकार हो। सरकार को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। जो सेल्स टेक्स लगाया जाने वाला है उसको तो पार्लियामेन्ट मन्जूर कर चुकी है। वह एक आवश्यक सबजेक्ट माना गया है। वह प्रोवीन्शियल सबजेक्ट है, रखा गया है। इसमें एक यह बात मानी गई है कि इसके बाद कस्टम नहीं रहने वाला है और जब यह चीज मान ली गई है तो इसे आपको सहर्ष स्वीकार करना चाहिये। ड्राफ्टिंग में गलती हो यदि, दरें कुछ ज्यादा लगाई गई हों तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। अपने

[श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)]

सुझाव सिलेक्ट कमेटी को दे सकते हैं। रचनात्मक सुझाव दीजिये, हम मानने को तैयार हैं। किन्तु आप टैक्स के नाम से ही विरोध करें, यह तो न्याय-संगत नहीं है। आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिये। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारे राजस्थान की आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ जब हम किसी प्रकार आमदनी बढ़ाने का ज़रिया करते हैं तो आप विरोध करने के लिये तैयार रहते हैं। भारत सरकार हमें जो इमदाद दे रही है वह तो सिर्फ राजस्थान को बिल्ड (build) करने के लिये दे रही है। जो मामूली टैक्सेज हैं, जो सारे प्रान्तों में 'अ, व 'ब' श्रेणी के तमाम राज्यों में लागू हैं, जब हम उनको यहाँ लागू करना चाहते हैं और आप उनका विरोध करते हैं तो इसके साफ मायने यह हैं कि आपको केवल विरोध ही करना है; चाहे वह बात न्याय-संगत ही क्यों न हो। आपने यह सोच रखा है चाहे किसी भी तरह हो राजस्थान की जनता में दुर्भावनायें पैदा करनी हैं जिससे जनता यह समझ सके कि सरकार जो कुछ काम कर रही है वह सोच-समझ कर नहीं कर रही है। आप इस संबन्ध में रचनात्मक सुझाव दें, हम मानने को तैयार हैं। सेल्स टैक्स के बारे में सुझाव दीजिये, शिक्षा प्रणाली के बारे में सुझाव दीजिये। पिछली साल जब हमने स्कूल खोलने का प्रयास किया तो हमने आप लोगों की राय माँगी थी। सर्क्युलर द्वारा आपसे पूछा गया कि आप प्राथमिकता के बेसिस पर आठ-सात नाम दीजिये, जब इसका बजट पास हो जायगा और जब स्कूलें खोलने का निश्चय होगा उस समय उन गाँवों में स्कूलें खोलने की प्राथमिकता दी जायगी। मुझे इस बात को कहते हुए खुसी है कि ज्यादा से ज्यादा स्कूलें खोली गईं। प्राथमिकता की लिस्ट के अनुसार उन सदस्यों ने जो लिस्ट दी उन्हीं के मुताबिक काम किया गया। आज फिर मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि सर्क्युलर भेजकर भी आपसे निवेदन किया जायगा कि आप अगले साल के लिए कहाँ-कहाँ पर प्राइमरी स्कूलें खुलवाना चाहते हैं, उसके लिए सूचना दें। हमारा यह इरादा है कि ५०० से लेकर एक हजार की बस्ती वाला ऐसा कोई गाँव न रहे जहाँ प्राइमरी स्कूल न हो। हमारे भारतीय संविधान का डाइरेक्टिव है कि ११ साल से लेकर १४ साल तक का कोई लड़का या लड़की स्कूल में जाये बिना न रहे। हम इस ओब्जेक्टिव को निश्चित समय में पूरा कर सकेंगे, यह सम्भव नहीं है; फिर भी जितने साधन हमारे पास हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश की जायगी। पिछले साल हमने १३०० प्राइमरी स्कूल्स खोले हैं। पुरानी सरकारों के समय में जितने स्कूल थे उनके १।३ हैं और हम चाहते हैं कि छोटे छोटे स्कूल और खोले जाँय, जो लोगों के विदिन रीच (within reach) हों। जोधपुर में बहुत बड़ा कॉलेज है, जयपुर में महाराजा कॉलेज है, अलवर, भरतपुर और कोटा में कॉलेज हैं। किन्तु हमारे राजस्थान के आम नागरिक जिसमें किसान-मजदूर आदि सभी वर्ग हैं वे तो वहाँ जाकर बोर्डिंग में रह कर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, उनके लिए यह सम्भव नहीं है। हमारा इरादा यह है कि हम एक-दो मास्टर के स्कूल खोलें और वह विदिन रीच (within reach) हों। इसलिये ज्यादा से ज्यादा धन सरकार इस तरफ खर्च कर रही है। प्राइमरी स्कूल्स आप सदस्यों की राय से खोली जायं, यह हमारा विचार है।

माननीय वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में फरमाया कि हम नए कॉलेज नहीं खोल रहे हैं, हम केवल किसी कॉलेज में किसी प्रकार की कमियाँ हैं उनको पूरा कर रहे हैं।

[श्री भोलनाथ (शिक्षा मन्त्री)]

इसी प्रकार लड़कियों को आगे डाक्टरी शिक्षा के लिए बायोलोजी का ज्ञान आवश्यक है, इसलिए यहाँ जो लड़कियों का कॉलेज है उसमें भी इस शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है। कमियाँ कुछ भी रही हैं उनको पूरा करने के लिए रुपया खर्च किया गया, नए कॉलेज खोले गए हैं। यह इस वक्त सम्भव भी नहीं दिखाई देता कि हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूलों में भेजे जाने चाहिये। ऐसी हालत में जो शहर के प्रतिनिधि हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, कॉम्युनिस्ट हों, चाहे अन्य कोई हों, यह बात करते हैं कि हमारे यहाँ यह सुविधा होनी चाहिये, वह होनी चाहिये; जब हम वहाँ किसी प्रकार का टैक्स या आमदनी का जरिया बढ़ाने का कहते हैं तो वे ही लोग विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं और हमारे लिए उलझनें पैदा करने लगते हैं और यहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ स्कूलें खोली जाँय, कालेज बनाये जाँये और कहते हैं कि हमारे शहरों की रौनक बढ़ाई जावे। आपको म्युनिसिपल टैक्स मिले या न मिले, सेल्स टैक्स से आपको आमदनी हो या न हो, हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो अपने शहर की रौनक चाहिये; हमारे शहर में स्कूल हों, कालेज हों। फिर भी राजस्थान सरकार अपना फर्ज पूरा कर रही है। आप किसी भी अन्य सरकार के बजट को देखिये, जितनी जिम्मेवारी हमारी राजस्थान सरकार स्कूलों की उठा रही है उतनी जिम्मेवारी कोई भी प्रान्त नहीं उठा रहा है। हर जगह ग्रान्ट इन एड ६० से ७० प्रतिशत दी जाती है लेकिन हम यहाँ राजस्थान में ८० प्रतिशत ग्रान्ट इन एड दे रहे हैं। फिर भी बहुत कम लोग आगे आते हैं और जो आने के लिए तैयार हैं उनको भी बहकाया जाता है और कहा जाता है कि यह तो सरकार का काम है। यह बोझ इतना बड़ा भारी है फिर भी सरकार सहन कर रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऑक्ट्राय ड्यूटी को आप न्याय-संगत मानते हैं तो सरकार ने उसको वापिस क्यों लिया ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—सरकार ने वापिस नहीं लिया, सरकार उस पर विचार कर रही है।

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मंत्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी वाद-विवाद और विचार-विनिमय इस सदन में हुआ सरकार के इस साल के बजट पर। मैं वास्तव में धन्यवाद देता हूँ कुछ माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस बारे में कुछ सुझाव जो उनके थे उन्होंने संजीदगी के साथ रक्खा इस सदन में। लेकिन इस बात का खेद भी है कि बहुत सा वाद-विवाद प्रायः या तो बजट के आंकड़ों को सही प्रकार से न समझने के कारण या केवल बहस करने के कारण हुआ है। उन सबकी तफसील में जाने का मेरा विचार नहीं है। लेकिन फिर भी जो मुख्य २ बातें कही गई हैं उनके बारे में बहुत संक्षेप में अपने विचार सदन के सामने निवेदन करूँगा।

यह मैं पहले स्पष्ट करदूँ कि जो कुछ यहाँ कहा गया है उस सबका उत्तर देने का प्रयत्न नहीं करूँगा।

[श्री टीकाराम पालिवाल (वित्त मन्त्री)]

मैं बहुत आभारी हूँ विरोधी दल के नेता का जिन्होंने अपने कुछ प्रारम्भिक शब्दों में मेरे लिए और बजट के लिए कुछ भले शब्द कहे। लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ व्यंगात्मक बातें भी कहीं और उन्होंने फरमाया कि राजस्थान का यह बजट इतना सन्तुलित है जिसे कि वह पसन्द करेंगे, ग्रेट ब्रिटेन के फाइनेन्स मिनिस्टर और अमेरिका के फाइनेन्स मिनिस्टर को इससे सीखने की बात की सिफारिश करूँगा। स्पष्ट रूप से यह प्रायः व्यंग था, जिससे ध्वनि यह प्रतीत होती थी कि यह सन्तुलित बजट वास्तव में सन्तुलित नहीं है।

वे भूल गये शायद मेरे उस कथन को जो मैंने शुरू में ही कहा था अपने बजट के भाषण में कि हमारे राज्य की आवश्यकताएँ बहुत बड़ी हैं और साधन हमारे सीमित हैं और मैंने यह प्रयत्न किया है और यह ठीक समझा है कि जितने हमारे साधन हैं उनके अन्तर्गत ही हम अपने खर्चे को सीमित रक्खें। कोई मुश्किल बात नहीं थी एक डेफिसिट बजट पेश करना। साधनों को बढ़ाने की तो एक सीमा होती है उससे अधिक वह किसी खास समय पर नहीं बढ़ सकती, किसी सीमा तक ही बढ़ाई जा सकती है किसी खास समय में। लेकिन खर्च को कभी भी बढ़ाया जा सकता है और डेफिसिट बजट दिखलाया जा सकता है और शायद विरोधी दल के नेता को उस समय यह व्यंग करने की आवश्यकता न मालूम होती कि यह सन्तुलन वास्तविक सन्तुलन नहीं है।

और साथ ही कुछ मित्रों ने और माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि आजकल के प्रगतिशीलता के माने में तो डेफिसिट बजट ही प्रगतिशील माना जाता है। यह भी सही है किसी हद तक। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि प्रगतिशील कहलाने से अधिक आवश्यक मुझे व्यवहारिक होना दिखाई देता है। डेफिसिट बजट भी बनते हैं और उनके भी स्वाभाविक परिणाम होते हैं, उनके भी दोषों का सरकारों को आयोजन करना पड़ता है। किन्तु एक बात नहीं भूलनी चाहिये जो यह है कि डेफिसिट बजट का सीधा सम्बन्ध इश्यू ऑफ करेंसी से भी होता है और दूसरे भी साधन होते हैं, लेकिन उस डेफिसिट को मीट करने का, उस डेफिसिट का मुकाबला करने का उपाय कई बार हाई करेंसी इश्यू (high currency issue) करके भी किया जाता है और वह अधिकार हमारी केन्द्रीय सरकार को है, वही यह करती है। यह कार्य हमारी जैसी सरकारों का नहीं। इस देश की मुद्रणनीति और आर्थिक नीति का कन्ट्रोल केन्द्र करता है। इसमें राज्य सरकारों का बहुत बड़ा दखल नहीं है। यही कारण है कि राज्य सरकारों को जहाँ अपने खर्चे में कमी पड़ती है तो हमको सहायता के लिए केन्द्र से कहना पड़ता है और यह सन्तोष की बात है कि केन्द्र ने हमारी सहायता की भी है और इसलिए आप देखेंगे कि हमारी केन्द्रीय सरकार तक का जो बजट है वह एक डेफिसिट बजट है। देश में और देश के भिन्न भिन्न भागों में विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए डेफिसिट बजट की जरूरत पड़ती है। सरकारें करती हैं इसको। पर हमारे यहाँ वह काम केन्द्रीय सरकार कर रही है और यह निश्चित बात है कि जो हमारा प्रस्तुत संतुलित बजट है उसमें यदि केन्द्र की सहायता हमें न मिली होती तो निश्चित रूप से हमारा भी एक डेफिसिट बजट होता यह। लेकिन क्योंकि केन्द्र की सहायता हमें मिली है इसलिए वह डेफिसिट हमारा यहाँ न दिखाई देकर उसी एक्सटेन्ट (सीमा) तक डेफिसिटी केन्द्र के बजट में रिफ्लेक्ट होती है और केन्द्र के बजट का जो डेफिसिट है वह केन्द्रीय बजट के

[श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मन्त्री)

अलावा कई हमारी तरह से सम्भवतः और राज्यों के बजटों में इस डेफिसिट का रिफ्लेक्शन है। तो प्रगतिशील कहलाने के लिए ही हम भी अपने बजट को अनाप-शनाप बढ़ाकर डेफिसिट दिखलावें; तो मेरे विचार में यह उचित नहीं जँचा। मैं समझता हूँ कि यह ब्रिटेन के फाइनेन्स मिनिस्टर या अमेरिका के फाइनेन्स मिनिस्टर को ऐसी रिकमन्डेशन करने की जो बात विरोधी दल के नेता ने सोची उसके लिए कोई अवसर नहीं है। कई बहुत सी ऐसी चीजें कह डालीं उन्होंने, उनके लिए उपयुक्त अवसर यह नहीं था।

कुछ ऐसी भी बातें कही गई और वह बजट के आँकड़ों को इधर-उधर दिखला कर कही गई जिससे चित्र ऐसा सामने आवे कि राजस्थान की सरकार का बजट बिल्कुल एक दिवालियापन का बजट है, जहाँ कुछ भीख माँगने की बात है, कर्जा ही कर्जा है, जो रिजर्व था वह खत्म हो गया, कर्जा इतना है कि उसकी आमदनी का, उसके रिसोर्सेज़ का, उसके श्रोतों का अनुपात ही नहीं है कोई; इस प्रकार की चीज़ भी दिखलाने की कोशिश की गई है। मैं समझता हूँ कि यदि इन आँकड़ों को उन्होंने ठीक तौर से देखा होता तो ये बातें नहीं कही जातीं। इनमें से कुछ मुख्य-मुख्य बातों की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूँगा क्योंकि सभी बातों की ओर दुबारा सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना तो उचित नहीं होगा, और इस प्रकार मेरी धारणा है कि जो एक ग्लूमी पिक्चर पेश करने की कोशिश इस सदन के सामने की गई थी वह साफ हो जावेगी।

एक बात उपाध्याक्ष महोदय, रिज़र्वस (Reserves) के बारे में कही गई कि राजस्थान बनने के बाद से करीब-करीब सारा रिज़र्व जैसे हमने कन्ज्यूम कर लिया हो। पर ऐसी बात नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऐसा नहीं कहा गया, दो करोड़ कन्ज्यूम किया गया......

श्री टीकाराम पालीवाल—बीच में इन्टरप्शन नहीं करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बैठ जाइये।

राजस्थान बनने पर हमें जो इन्वेस्टमेंट मिले थे उसके बाद उसमें कुछ थोड़ा परिवर्तन हुआ और वह इस प्रकार हुआ :—

२०७.६२ लाख की सिक्योरिटीज़ को हमने एनकेश (encash) किया। इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। वह केपिटल एक्स्पेन्डीचर में काम आई। लेकिन इसके अलावा और जो कमी पड़ी है वह किसी खर्चे के कारण नहीं पड़ी है, वह तो दूसरे फन्ड्स (Funds) की देनदारी थी, उनको दिया गया; जैसे कि सेन्टर को कुछ इन्वेस्टमेंट्स ट्रान्सफर किये। फेडरल फाइनेन्शियल इन्टिग्रेशन के अनुसार वह ये २६१.३८ लाख। इससे बचा नहीं जा सकता था। वह फेडरल फाइनेन्शियल इन्टिग्रेशन के अनुसार फेडरल गवर्नमेंट की चीज़ हो गई थी। पहले फेडरल फाइनेन्स स्टेट्स के थे, वह फन्क्शन्स सेन्टर ने एज्यूम (assume) कर लिये तो वह सिक्योरिटीज़ सेन्ट्रल गवर्नमेंट को देना आवश्यक हो गया, और वह दिये गये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पहले २ करोड़ का जवाब दीजिये।

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, यह कोई ठीक बात नहीं है कि वे बीच-बीच में इन्टरप्ट (intrrupt) करें।

श्री उपाध्यक्ष—This is not the Question hour.

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर...

श्री उपाध्यक्ष—Order ! Order !!

श्री पालीवाल—(अपना भाषण जारी रखते हुए) कुछ इन्वेस्टमेंट्स, कुछ रिसोर्सेज़ हमारे पास जो थे वह ट्रस्ट आदि के थे और वह ट्रस्ट, दूसरे ट्रस्ट आदि से दिये गये हैं, वह थे ५७.३० लाख। कुछ डिपोजिट्स के डिपोजिट्स थे, उनको रिफन्ड किया गया। तो इस प्रकार कुल २६० लाख की कमी हुई है। वह केपिटल एक्सपेन्डीचर में हुई है। उसकी एक ग्लूमी पिक्चर पेन्ट (gloomy picture paint) की गई है कि हमारे जो रिज़र्वस थे वह खत्म कर दिये। यह बहुत गलत पिक्चर है। इसके विपरीत राजस्थान बनने के बाद कुछ एडीशन्स भी हुए हैं।

कोटा हिज़ हाईनेस ने ८ लाख रुपये दिये, वह भी एडीशन था। कुछ इन्वेस्टमेंट्स हमने कम्प्लीट किये। कई प्रकार की सिक्योरिटीज़ को दूसरे प्रकार की सिक्योरिटीज में बदला है; उससे ३.०३ बढ़े हैं, और वह नया इन्वेस्टमेंट हुआ। इसी प्रकार और नये इन्वेस्टमेंट्स हमने किये वह ५७.३६ लाख के हैं। तो इस प्रकार यह आप देखेंगे कि कोई ऐसी ग्लूमी पिक्चर नहीं है जैसी कि पेन्ट करने की कोशिश की गई है।

एक और बात कही गई है कि हमारा ओवरड्राफ्ट तो बढ़ता ही चला जा रहा है। इसकी भी सही स्थिति यह है कि जब राजस्थान बना था तो राजस्थान बनने के समय ५५८.२२ लाख का ओवरड्राफ्ट; नहीं, राजस्थान बनने के समय भिन्न-भिन्न रियासतों के ओवरड्राफ्ट की कुल संख्या मिलाकर ३६७.२६ लाख थी। बीच में वह संख्या घटती और बढ़ती रही है। १ अप्रेल, १९५३ को ओवरड्राफ्ट हमारा बीच में बढ़ गया था; फिर घटकर ९०३.७४ लाख हो गया और इस करेन्ट इयर में यह आशा की जाती है कि रिवाइज्ड फीगर्स (figures) के अनुसार वह २ लाख से और घट जायगा और इस प्रकार ८०३.७४ लाख का हमारा ओवरड्राफ्ट (overdraft) रह जायगा। अगले वर्ष के अनुमानों के अनुसार इस फीगर को और भी घटाया जा सकेगा ९० लाख से जिसके मायने यह होंगे कि ७५३.७४ लाख का यह ओवरड्राफ्ट रह जायगा। इसमें एक बात और ध्यान में रखने की है कि करीब डेढ़ करोड़ का ग्रेन सिविल सप्लाइज़ डिपार्टमेंट के पास इस वक्त मौजूद है।...

श्री हरिकृष्ण व्यास—३१ मार्च तक था।

श्री टीकाराम पालीवाल—Why are you disturbing ? यह कोई तरीका नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—You continue.

श्री टीकाराम पालीवाल—I cannot continue.

श्री हरिकृष्ण व्यास—When figures are quoted references must be made.

श्री उपाध्यक्ष—Order please ! You can't disturb like this.

श्री टीकाराम पालीवाल—यह सिचुएशन है हमारे ओवर ड्राफ्ट की।

अब बजट के भिन्न-भिन्न स्टेटमेंट्स को यदि माननीय सदस्य देखेंगे तो जो ओवर हॉल पिक्चर है वह इस प्रकार आयेगी। हमारे ऐसेट्स इस समय इस प्रकार होंगी —

लोन्स एन्ड एडवान्सेज बाई सेन्ट्रल गवर्नमेंट	७४०·५७ लाख
इसी तरह रिसीट्स ओवर एक्पेन्डीचर इन पब्लिक एकाउन्ट	५६६·५४ लाख
कुल	१३१०·११ लाख

लाइबिलिटीज़ हमारी ३१-३-५४ को होगी

लोन फ्रोम सेन्ट्रल गवर्नमेंट	१४६७·६७ लाख
ओवर ड्राफ्ट जैसा कि मैंने बताया वह रह जायगा	८०३·७४ लाख
कुल	२२७१·४१ लाख

इसके मायने यह हैं कि लाइबिलिटीज़ हमारी ज्यादा हैं और ऐसेट्स कम हैं और ओवर एन्ड एबाऊ अवर एसेट्स लाइबिलिटीज़ (over and above our assets libilities) हमारी ६६१·३० लाख की है। यह ठीक है कि ६६१·३० लाख की लाइबिलिटीज़ हमारी ज्यादा है, लेकिन दूसरी ओर इन लाइबिलिटीज के अगेन्स्ट (against) पिछले वर्षों में सन् ५० से लेकर ३१ मार्च, सन् १९५४ तक हम १५६६·१२ लाख का केपिटल एक्सपेन्डीचर कर चुके होंगे और इस केपिटल एक्पेन्डीचर में से अधिकांश रेम्युनरेटिव एक्सपेन्डीचर है। कल एक माननीय मित्र ने आँकड़ों को तोड़-मरोड़ कर दिखाने की कोशिश की कि केपिटल एक्सपेन्डीचर तो बहुत ज्यादा हो गये और कॉरेस्पोन्डिंग इन्कम जो थी वह बढ़ी नहीं, बहुत कम हुई है और उन्होंने केपिटलाइज्ड वेल्यू खड़े-खड़े निकालकर दिखाने की कोशिश की कि वह ४—५ करोड़ के करीब है और इतना अनप्रोडक्टिव मिस मेनेजमेंट (improductive mis-management) है उनके ख्याल से। वह इस बात को भूलते हैं कि हमारा जो बहुत सा एक्सपेन्डीचर हुआ है और हो रहा है वह रिटर्न्स ईल्ड (yield) करेगा उन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने पर जिन प्रोजेक्ट्स पर वह खर्चा हो रहा है। भाखरा प्रोजेक्ट पर बहुत बड़ा हमने जो कुछ कर्ज लिया सेन्ट्रल गवर्नमेंट से उसका काफी बड़ा हिस्सा भाखरा प्रोजेक्ट पर खर्च हो रहा है, लेकिन जब तक वह प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता तब तक रिटर्न्स का कोई सवाल नहीं है। लेकिन जब तक वे प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक रिटर्न्स का कोई सवाल नहीं है इसी प्रकार से और भी हमारे जितने 'प्रोजेक्ट्स' हैं; खास करके इर्रिगेशन के प्रोजेक्टस तो उनमें से कुछ पूरे हो चुके

[श्री टीकाराम पालीवाल]

हैं जो छोटे हैं। जो छोटे प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिये गये हैं उनके रिटर्न्स आने शुरू हो रहे हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स अभी तक चल रहे हैं उनके रिटर्न्स आने का अभी कोई सवाल नहीं है। जिन छोटे प्रोजेक्ट्स की आमदनी आनी शुरू हुई है उनके मुकाबले में यह साबित करने की कोशिश की गई है कि उनमें खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है और आमदनी थोड़ी होती है और उनकी केपिटेलाइज्ड वेल्यु का हिसाब करके खर्च एवं प्रोडक्टिव बेल्यु का हिसाब करके मिसलीड (mislead) करने की हाउस में बात कही है। मैं समझता हूँ कि इस हाउस में बहुत समझदार लोग हैं जो आसानी से मिसलीड नहीं किये जा सकते।

यह कहने के बाद मैं और भी जो क्रिटिसिज्म किया गया है उनके विषय में थोड़ी बातें कहने की कोशिश करूँगा। कुछ बातें ऐसी कही गई हैं जो पार्टिकुलर डिमान्ड्स के समय कट मोशन्स पर कही जा सकती हैं और उस समय उनका उत्तर भी उपयुक्त रूप से दिया जाना चाहिये। लेकिन कई एक क्रिटिसिज्म जनरल नेचर के कर दिये गये हैं और ऐसा लगा मुझे कि सचमुच इस सदन में बैठकर कोई भी सदस्य जो वास्तव में अपनी जिम्मेदारियों का अनुभव करता है क्या वह इस प्रकार की आलोचना कर सकता है, अपनी पूरी जिम्मेदारी समझते हुए? एक ओर यह कहा जाता है कि जो कुछ खर्चा किया जा रहा है, बजट में जो फिगर्स दिखलाये गये हैं उनके बहुत से भाग तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ग्रान्ट के हैं और इसको डिसएप्रूविंग वे (disapproving way) में कहा गया है, जैसे कि यह नहीं होना चाहिए था, सेन्टर से ग्रान्ट नहीं लेना चाहिये थीं, यह ठीक काम नहीं हुआ। दूसरी ओर शिकायत की जाती है कि गरीब किसानों पर लगान बढ़ा दिया गया है क्योंकि लेंड रेवेन्यू के रिसीट में इन्क्रीज़ (increase) मालूम पड़ा। तीसरी ओर यह कहा जाता है कि यह सेल्स टेक्स क्या नयी बला आ रही है, इससे तो सारी दुनियाँ ही उलट जायगी और फिर साथ में यह भी कहा जाता है कि गरीब छोटे-छोटे नौकरों का वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है फिर वे रिश्वत न लें तो क्या करें। यह भी कहा जा रहा है कि लोग बेकार हैं, उनके लिये एम्प्लोयमेंट नहीं है। इनके लिये एम्पलोयमेंट प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का कर्त्तव्य है। ये परस्पर विरोधी बातें कही गई हैं जिनसे कोई भी आदमी, सिवाय इस नतीजे पर पहुँचने के दूसरे नतीजे पर नहीं पहुँच सकता कि जो महानुभाव ये बातें कह रहे हैं वे केवल कहने के लिए ही कह रहे हैं या सस्ती पोपुलेरिटी या चीप पोपुलेरिटी अर्न (earn) करना चाहते हैं। लेकिन वे भूलते हैं। इस बात के लिये कि चीप पोपुलेरिटी के लिये उपयुक्त स्थान विधान सभा नहीं होती, उसके लिए यदि बाजार के चौरास्ते पर खड़े होकर भाषण दें तो वह मिल सकती है, लेकिन विधान सभा उपयुक्त स्थान नहीं है। वे क्या कहना चाहते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता। गवर्नमेंट को केन्द्रीय सरकार से कर्जा नहीं लेना चाहिए, भूमि-कर आदि दूसरे करों को लगाकर आमदनी नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। खर्च लगातार बढ़ाते रहना चाहिये और धन खूब आये जिससे खर्चा किया जाय। तब फिर कहाँ से आयगा धन? क्या आसमान से आयगा? ये ऐसी चीजें हैं जो शोभा नहीं देतीं उन लोगों के लिए जो राजस्थान जैसे इतने बड़े और नव-निर्मित राज्य के संचालन के हेतु जनता के प्रतिनिधि बनकर आये हैं। इस विषय

[श्री टीकाराम पालीवाल]

में इन जनरल रिमार्क्स (general remarks) के अलावा और ज्यादा नहीं कहना चाहता। कुछ मुख्य मुख्य बातें कही गईं, जैसे खर्चे में कमी के बारे में। एक-दो साहबों द्वारा कहा गया कि राजप्रमुख के इन्स्टीट्युशन पर खर्चा इतना अधिक है कि उसको बरदाश्त नहीं किया जा सकता। इसमें कमी करनी चाहिये; मैं इस प्रश्न की जाँच में नहीं उतरना चाहता। इस समय कि वह आय। वह खर्चा ज्यादा है या कम। लेकिन मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह याद दिलाना चाहूँगा कि राजप्रमुख के इन्स्टीट्युशन से सम्बन्धित जितना खर्चा आज है उससे कई गुना ज्यादा खर्चा राजस्थान बनने से भिन्न-भिन्न रियासतों के हेड्स के ऊपर हुआ करता था। उस खर्चे के मुकाबले में यह खर्चा बहुत कम है। यह मैं मानता हूँ कि दूसरे जो 'ए' श्रेणी के राज्य हैं और उनके राज्यपालों पर जो खर्चा किया जाता है वह इस खर्चे के मुकाबले में बहुत कम है उसमें भी कमी या ज्यादा है; लेकिन तब भी कुल मिला कर वह खर्चा कम होता है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिये कि राजप्रमुख की संस्था से संबंधित जो खर्चा है वह केवल वेतन के रूप में नहीं है जैसा कि राज्यपालों को वेतन दिया जाता है, यह खर्चा वेतन से अधिक है। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है और कुछ ने कहा भी है कि इसमें कुछ राजनीतिक कन्सीडरेशन्स रहे हैं। इसको कौन मना करता है और किसने इसे छिपाने की कोशिश की? यह सही बात है कि राजनीतिक कन्सीडरेशन्स रहे और अब भी है और मुझे तो यह जँचता नहीं कि कल ही जो समझौते किये, हमारे नेताओं ने किये या हमने किये इसमें अन्तर नहीं है, उनको आज हम यह बताकर खत्म कर दें कि उस समय हमको यह सूट करता था, इसलिये हमने समझौते किये और आज हमें सूट नहीं करते इसलिए भंग कर दें, यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं बतलाना चाहता हूँ कि आगे चलकर ऐसी परिस्थिति आ सकती है, पर समय आने पर। मैं नहीं कहता कि समय नहीं आयगा। लेकिन आज इतनी जल्दी यह कहना उचित नहीं लगता। यह जिम्मेदार लोगों को शोभा नहीं देता। एक कोड ऑफ ओनर (code of honour) होता है जिसका पालन करना जिम्मेदार लोगों के लिए आवश्यक होता है। जो लोग शासन का संचालन करते हैं वे कोड ऑफ ओनर को भूल नहीं सकते, उन्हें ताक में नहीं रख सकते, इसलिये इसकी आलोचना करना उचित नहीं था, शोभाप्रद नहीं था, इस भवन के उन सदस्यों के लिये। और इससे कितनी बचत हो जायगी? हमारा करोड़ों का खर्चा है उसको देखते हुए यह बचत बहुत बड़ी बचत होगी, ऐसा लगता नहीं। इसी प्रकार मन्त्रियों के खर्चे के लिये कहा गया। इस विषय में मैं अधिक नहीं कहूँगा। मेरे लिये कहना उचित नहीं है। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करना चाहता हूँ जब वे लोग जो इस प्रकार की आलोचना करते हैं उनको जनता का कभी विश्वास प्राप्त हो सके और सरकार में आकर बैठें, मैं उस दिन की प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। तब वे किस प्रकार करेंगे, वेतन लेंगे या अवैतनिक काम करेंगे, यह हम देखना चाहते हैं।

बहर हाल मैं इस सिद्धान्त में विश्वास नहीं करता जैसा कि गाँवों में लोग बाज दफा कहा करते हैं कि "चाहे तनखा ७ ही दे दो पर नाम दरोगा धर दो"। इसमें मैं विश्वास नहीं करता। मेरे साथी जब उनका वक्त अगर कभी आयगा तो ऐसा कर सकते हैं।

एक-दो बातें और कही गई हैं। जैसे यह कहा गया कि मैंने अपने भाषण में निवेदन किया था कि हमारी आर्थिक कठिनाइयों का कारण एक यह भी है कि हमारी आमदनी के कई सीगे, कई

[श्री टीकाराम पालीवाल]

मद केन्द्र के पास चले गये हैं; फेडरल फाइनेन्शियल इन्टीग्रेशन के मातहत रेलवे टेलीफोन डाक आदि केन्द्र के पास चले गये। इसके लिए कहा गया कि मेरा ऐसा कहना गलत है क्योंकि रेलवे की आमदनी गई, पर डाक और टेलीफोन की कोई आमदनी नहीं थी। ऐसी बात नहीं है जैसे कि विरोधी दल के नेता ने कहा। मुमकिन है उनके बीकानेर में नहीं थी, पर मुझे मालूम है जयपुर में थी तथा और भी कई जगह थी। वह एक अच्छी आमदनी थी, यह मेरी शिकायत नहीं थी; लेकिन मेरी शिकायत यह थी कि वह एक ऐसी आमदनी थी जो इलास्टिक (elastic) थी जिसे बढ़ाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि जितनी आमदनी थी उससे ज्यादा खर्चा जो कि फौज का था वह सेंटर ने ले लिया। उनके खयाल से राजस्थान की फौजों का खर्चा ५ करोड़ का था, पर मैं आपको बता दूँ कि राजस्थान का खाली सेनाओं का खर्चा ५ करोड़ का कभी भी नहीं रहा। कभी से मेरा मतलब यह नहीं कि पुराने जमाने में, मिडल एजेज़ (middle ages) में भी नहीं रहा। मेरे कहने का मतलब "कभी" से यह है कि निकट पास में नहीं था। खास तौर से जब कि राजस्थान बना और हमने आमदनी को हेण्ड ओवर (hand over) किया उस समय भी ऐसे आँकड़े नहीं थे।

राजस्थान बनने के समय भिन्न-भिन्न सींगों की आमदनी जो हमने सेंटर को हेंड ओवर की; जैसे रेलवे, पोस्ट, टेलीफोन करेंसी और एक्साइज़ ड्यूटी आदि जो बाद में सेंटर की होगई, कुल मिलाकर आमदनी २४७.४३ लाख थी लेकिन सेना का व्यय मैं विरोधी दल के नेता को बता दूँ कि १५४.५७ लाख था, कुल राजस्थान राज्य की सेना का खर्चा, वह खर्चा इस मुकाबले में सेंटर ने लिया। और भी खर्चे हैं पर सेना का खर्चा पहले यह था।

मैंने यह सिर्फ इसलिए कहा कि जहाँ तक हो सका वहाँ तक बजट में अथवा बजट स्पीच में मैंने एक्युरेट (accurate) होने की कोशिश की। वह प्रयत्न मेरा लेशमात्र भी नहीं रहा कि जो चित्र है उससे भिन्न पेश करता। अब चित्र सुन्दर है या कैसा है, यह देखना सदन के सदस्यों का काम है। पर मैं यह आपको बता दूँ कि जिन परिस्थितियों में हम हैं उन परिस्थितियों में इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। परन्तु इस बात को भी भुलाया तो नहीं जा सकता कि पिछले वर्षों में कभी भी जन-कल्याणकारी कार्यों पर जितना खर्चा हुआ होगा उन सबसे अधिक इस वर्ष प्रोवाइड करने का प्रयत्न किया गया है। राजस्थान बनने से पहले जन-कल्याणकारी कार्यों के लिए जो खर्चा किया जाता था उनसे कहीं ज्यादा डबल (double) यह खर्चा हो गया है और आगे के लिए हम प्रयत्न करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस सदन के सब लोगों का सभी माननीय सदस्यों का सहयोग मिले। परन्तु खेद हमें तब होता है जब कि इस दिशा में सहयोग न मिलकर बातें ऐसी की जाती हैं, जैसा कि मैंने निवेदन किया, जैसे बाजार के चौराहे पर की जाती हैं। वहाँ पर पोपुलर एप्लॉज़ (popular applause) के लिये जैसे भाषण दिये जाते हैं वैसे दिये जाते हैं, इससे इस सदन की व राज्य की सेवा नहीं होगी।

कुछ खर्चे में कमी करने के सुझाव वास्तव में अच्छे सुझाव हैं और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार, विशेषरूप से वित्त-विभाग इसके लिए पूरी कोशिश करेगा। जैसे

[श्री टीकाराम पालीवाल]

ट्रान्सफर्स के बारे में कहा गया कि जल्दी-जल्दी ट्रान्सफर्स transfers होते हैं, उनसे कई बार अनावश्यक खर्चा होता है। सरकार इसके लिए पूरी कोशिश करेगी जिससे कि अनावश्यक ट्रान्सफर्स नहीं हो सकें।

अभी एक माननीय सदस्य ने पी.डब्ल्यू. डी. के बारे में कहा कि वहाँ तो टेन्डर्स वगैरह के बारे में बड़ा भारी गबन होता है। यह मैं नहीं कहता कि कोई खराबी होती ही नहीं, इस प्रकार के कामों में कई लोग अपने-अपने लाभ के लिए कई प्रकार की कार्यवाहियाँ करते हैं। लेकिन सरकार इस बात का प्रयत्न करना चाहती है और कुछ कदम उठाया भी गया है इस दिशा में कि टेन्डर्स आदि के लिए और दूसरा सामान खरीदने के लिए भी कुछ नियम बनाये जायँ। एक कमेटी अभी अभी बनाई गई है और भविष्य में ऐसा स्थायी प्रबन्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है जिससे कि इस तरह की खराबी न हो। मेरा मतलब यह नहीं कि ऐसा करने से खराबी बिल्कुल ही नहीं रहेगी परन्तु मेरा खयाल है कि बहुत ही न्यूनतम रह सकेगी, यदि रहीं भी तो। इस प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं लेकिन माननीय सदस्यों ने अपने भाषण के दौरान में कहा कि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से भी कुछ कमा रही है, यानि उससे भी आमदनी ज्यादा करती है और उन पर खर्च कम करती है; जैसे हाईकोर्ट में जजों की संख्या कम है जिससे मुकद्दमें बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। मैं इससे मना नहीं करता कि हाईकोर्ट में मुकदमें बहुत इकट्ठे हो गये हैं और इसलिये सरकार हाईकोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि सरकार उससे आमदनी ज्यादा करती है और खर्च कम करती है। मैं आपकी जानकारी के लिये कुछ आँकड़े पेश करता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि वास्तव में स्थिति क्या है।

१९५४-५५ के अभी बजट के आँकड़े हैं। आप देख सकते हैं इसमें कुल आमदनी मिला कर (इसमें से यदि नोन जुडिशियल स्टाम्पस को निकाल दिया जावे) ६७-५५ लाख होगी। इसमें से नोन जुडिशियल स्टाम्प्स की आय निकाल ली जावे, जो २६ लाख की है। इसमें से २६ लाख निकाल दिये जावें तो केवल ४१-५५ लाख की आमदनी ही रह जाती है और इस मुकाबले में हम खर्च करते हैं ७६-०३ लाख। इसलिए यह प्रश्न पैदा नहीं होता कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से सरकार फायदा उठाने की कोशिश कर रही है।

अभी कहने को तो बहुत सी बातें कही गई हैं, जो अलग-अलग विभागों से सम्बन्ध रखती हैं। उन सबका इस समय मेरा उत्तर देने का विचार नहीं है और न मैं सदन का समय ही लेना चाहता हूँ। जब कट मोशन वगैरह सम्बन्धित विषय पर आवेंगे तो उस समय उसका उत्तर दूँगा।

मैं एक बार उपाध्यक्ष महोदय, फिर आपके द्वारा सदन से यह निवेदन करूँगा कि सदन के सदस्य बजट के आँकड़ों को थोड़ा निष्पक्ष भाव से यदि देखें तो वे देखेंगे और पावेंगे कि कितने हमारे सीमित साधन हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की कोशिश की है और जितनी सेवा उनसे

[श्री टीकाराम पालीवाल]

हम इस राज्य की षर सकें, उपयोग किया है। मैं आशा करता हूँ कि इस सेवा में माननीय सदस्य सरकार को अपना पूरा सहयोग देंगे तो राज्य की जनता का अधिक कल्याण कर सकेंगे।

(करतल-ध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष—श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर वाद-विवाद के अवसर पर राजा मानसिंह ने कुछ ऐसे रिमार्क्स दिये जिसके बारे में लीडर ऑफ दी हाउस ने भी निवेदन किया और उन्होंने खुद ने स्पीकर साहब के पास जा कर निवेदन किया और एक पत्र भी उनका स्पीकर साहब के पास आया है। इसलिए उनके स्पीच में वे शब्द जो काबिल एतराज हैं वे निकाल दिये जावें। इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि काबिले एतराज शब्द जो हैं वे कार्य-विवरण में से निकाल दिये जावें।

(आवाज "वे शब्द कौन से हैं ?")

नागरिक-रसद विभाग के पिछले दो वर्षों के हिसाब किताब सम्बन्धी प्रश्न पर आधे घंटे का विवाद।

अब श्री हरिकृष्ण व्यास जिनके लिये आधे घन्टे के वाद-विवाद के समय के लिए प्रार्थना की थी और जो समय आज निश्चित किया गया है उसके माफिक बोलेंगे। इस आधे घन्टे की नियुक्ति के माफिक कुल बहस आधा घन्टे में ही हो सकती है। इसलिए मैं यह कहूँगा कि वे संक्षेप में ही अपनी बातें कहें और मिनिस्टर कन्सर्न्ड (Minister concerned) उनका उत्तर देंगे। इस पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा और न इस पर कोई दूसरा सदस्य बोलेगा। अगर कोई बोलना चाहें तो पहले इजाजत लेने पर वे बोल सकते हैं। इस पर न तो कई वोट होगा और न वाद-विवाद। सिर्फ मूवर इस पर बोलेगा संक्षेप में और मिनिस्टर कन्सर्न्ड उसका उत्तर देगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, जिस भूमिका का हवाला देकर आपने मुझे आदेश दिया है उसके अनुसार मैं संक्षेप में जो मुझे अर्ज करना है, उसे अर्ज करने का प्रयत्न करूँगा और मुझे पूरी उम्मेद है कि आप माननीय मन्त्री से भी इस रूलिंग का हवाला देकर संक्षेप में उत्तर देने का आदेश उनको भी अवश्य फरमावेंगे। वैसे तो मेरे बोलने के लहजे से बहुत कुछ एतराज होते हैं लेकिन एक एतराज यह भी है कि ऐसी बातें मुझे माणकचौक की चौपड़ पर बोलनी चाहिये......

श्री श्यामलाल गोयल—On a point of order, Sir, आप बजट के मुतल्लिक कुछ कह रहे हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य प्रश्न के सम्बन्ध में ही बोलें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं प्रश्न के सम्बन्ध में ही बोल रहा हूँ। जब आपने यह आदेश दे दिया कि प्रश्न पर ही बोलना है तो मैं यह बता दूँ कि मुझे यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि किस पर बोलना है। अब तक मैंने वह आर्ट नहीं सीखा है कि बताया कुछ जाय और बोला जाय किसी दूसरी बात पर। दो तरह से बोलना और दो तरह की बातें करना मैं नहीं जानता, आम लोगों

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

में जाना तो दूसरी तरह की बातें करना और जब सदन में बैठें तो दूसरी तरह की बातें करना; मुँह में राम बगल में छुरी वाली बातें करना मैंने नहीं सीखा है।

अब सवाल हमारे सामने जो है, वह यह कि हम तीन दिन से बजट में लगे रहे और हम बजट के आँकड़ेबाजी में काफी समय जाया कर रहे हैं। आज ऐसी बातों की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ जिसे इस राजस्थान के रेगिस्तान की भूमि में एक दल-दल कहा है; अगर ऐसा कहा जावे तो अत्युक्ति नहीं होगी और इस दल-दल का नाम है सप्लाई एक्शन। दो दिन पहले, या तीन दिन पहले या ५ दिन पहले यह सवाल पैदा हुआ था और मैंने पूछा था कि यहाँ ६ साल से या इससे भी पहले से ऐसा चला आ रहा है माननीय मन्त्रीजी कि लगातार इस महकमे के काम के लिये रुपये दिये जाते रहे हैं, प्रति वर्ष अनाज बेच कर रुपया वापिस जमा कराया जाता है खजाने में, लेकिन उसका अभी तक हिसाब नहीं। उसका अब किसी एक समय में; जैसे ३१ मार्च, १९५३ को या ३१ मार्च, १९५४ को आखिर जितना रुपया इस महकमे के लिये दिया गया है उस बीच में जितना रुपया जमा कराया गया, इस बीच का अन्तर कितना है इसका उत्तर मुझे उपलब्ध नहीं हुआ। मुझे इस सम्बन्ध में विशेष दिलचस्पी इसलिये है कि राजप्रमुख के १९५२ के ऑर्डिनेन्स के मुताबिक इस महकमे को अपना प्रोफिट एन्ड लोस एकाउन्ट (profit & loss account) को बताने का आदेश दिया है। १९५२–५३ बीत चुका है लेकिन अभी तक प्रोफिट एन्ड लोस एकाउन्ट्स सदन के समक्ष नहीं रखे गये हैं। ऐसी सूचना सदन के सामने है और यह भी सत्य बात रही है कि आज भी ये आँकड़े हमारे सामने नहीं आये और जो आये हैं वे ऐसे हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है।

३१-३-५४ तक ३ करोड़ से भी ज्यादा (अश्रव्य) ४६ लाख और कुछ रकम तो इस महकमें में ओवर ड्राफ्ट के रूप में दी और अनाज का स्टोक था एक करोड़ २५ लाख का। दो करोड़ से ज्यादा फर्क आज ओवर ड्राफ्ट के बीच में और स्टोक इन हैंड (stock in hand) के बीच में और जितना रुपया जमा कराया गया, करीब-करीब २२ करोड़ का विड्राअल है और १९ करोड़ का वापिस डिपोजिट है। इसमें सुपर हैड चार्जेज़ (Super bead charges) भी शामिल हैं। यदि इनको निकाल लिया जावे तो यह डेफिसिट दो करोड़ से ज्यादा है। कहीं न कहीं गोलमाल जरूर है, चाहे वह गैरजिम्मेदारी से या ध्यान न देने की वजह से गोलमाल जरूर हो रहा है और मैं इस पर क्यों जोर ज्यादा देना चाहता हूँ माननीय उपाध्यक्ष, कि हमारे सामने यह आना चाहिये कि किस कीमत से नाज खरीदा गया और बेचा गया और ग्रोस प्रोफिट कितना हुआ, कितना खर्चा हुआ; स्टोक अभी तक वेरिफाइ नहीं हुआ, कितना अनाज सड़ गया और कितना नुकसान हुआ?

तो एक जगह से दूसरी जगह नाज ले जाने से जो कमी हुई, नुक्सान हुआ यह सब हमारे सामानें अन्दाजा आ जाय तो हम पता लगा पायेंगे कि लेवी के रूप में लिये हुए अनाज पर ग्रोस प्रोफिट सरकार ने कितना किया और बद-इन्तजामी की वजह से कितना खोया। करोड़ों रुपये के जहाँ

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

ट्रान्ज़ेक्शन्स (Transactions) हुये हैं उस महकमे से लगातार हिसाब न आवे यह बहुत ही जबरदस्त खेद और दुख की बात है। इसी उद्देश्य से मैंने यह प्रश्न उपस्थित किया है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मन्त्रीजी आँकड़ों और तथ्यों सहित बतावेंगे।

श्री भोगीलाल पंड्या (नागरिक रसद मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने बताया है कि जिस दिन उन्होंने प्रश्न पूछा उस दिन प्रश्न का उत्तर ठीक तरह से नहीं दिया गया, यह तो उनका कहना ठीक नहीं है। जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर दिया गया था। आगे उन्होंने जरूरी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ।

हमारे अकाउन्टेन्ट ज़नरल के हिसाब के अनुसार ३१ मार्च सन् १९५३...

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं एकाउन्टेन्ट जनरल के अनुसार नहीं, आपके विभाग के अनुसार जानना चाहता हूँ।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं आपको अपने विभाग के अनुसार ही बताऊँगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want the Departmental accounts. I never asked for any figures from the Accountant General.

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं अपने विभाग के बारे में ही उत्तर दे रहा हूँ। आप बीच-बीच में मत कहा करियेगा।

मैं उसी विभाग का उत्तर दे रहा हूँ जिसका कि अकाउन्टेन्ट जनरल को हिसाब मिल चुका है।

सन् १९५३ तक २२ करोड़ ८१ लाख रुपये रसद विभाग के नाम निकलते हैं और उस हिसाब में १९ करोड़ २६ लाख रुपया जमा हो चुका है। इस तरह अब ३ करोड़ ५५ लाख रुपयों का अन्तर रहता है। इसी को लेकर मेरे माननीय मित्र ने अभी यहाँ बहुत कुछ कहा और जब-जब उनको मौका मिलता है वे कहते रहते हैं। यदि वे इसकी थोड़ीसी गहराई में जाते तो इस तरह का प्रश्न करने का और समय खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस ३ करोड़ ५५ लाख के अन्तर में से १ करोड़ ५७ लाख रुपयों का अनाज का स्टॉक है, दूसरा २० लाख रुपयों के मूल्य के बोरे सप्लाई विभाग के पास हैं। बोरे खरीदे थे अनाज भरने के लिए जिसकी कीमत ३६ लाख रुपया होती थी लेकिन स्लम्प आने के बाद आज जो कीमत है उसके अनुसार २० लाख रुपये आँके गये हैं और बताये गये हैं। तीसरा सामान जो सप्लाई डिपार्टमेंट के पास जैसे मशीनें वगैरह हैं उनकी कीमत १ लाख २३ हजार है। चौथा मोटर ट्रक आदि जो हैं उनकी बाजार में जो कीमत मिल सकती है उसके आधार पर २ लाख ३५ हजार रुपया होता है। भारत सरकार तथा अन्य पार्टीज़ से जो

[श्री भोगीलाल पंड्या]

वसूल करने को रकम है वह है ७५ लाख ६२ हजार। इस तरह से २१ करोड़ ८२ लाख २१ हजार रुपयों का योग होता है।

अब रही कमी ६८ लाख ७६ हजार रुपयों की। सन् १९५०-५१ और सन् १९५१-५२ में सरकार ने सस्ता अनाज बेचने के लिए बजट में पहले वर्ष ४० लाख रुपये और दूसरे वर्ष ३० लाख रुपये सबसिडी (subsidy) के लिए रखे थे जो सस्ता अनाज बेचने पर खर्च हुए। इस तरह से अब यदि नुक्सान गिना जावे तो वह रह जाता है २८ लाख ७६ हजार रुपयों का। इसमें भी सन् १९५२-५३ में जो सस्ता अनाज बेचा गया, उस पर जो नुक्सान हुआ उसका हिसाब भी इसमें आ जाता है। साथ ही बोरियां पर जो ३६ लाख की रकम दिखाई गई है और उसके बजाय अब जो कीमत २० लाख की आंकी गई है वह भी आ जाती है और जो दूसरी चीजें हैं जिनको कि बाजार के मूल्य के हिसाब से दिखाया गया है आ जाती हैं। इस तरह से आप सबको मालूम हो जायगा कि कहीं ऐसा हिसाब नहीं है जो स्पष्ट नहीं होता है और जो नहीं बताया जा सके।

अनाज बेचने के बारे में चर्चा हुई थी। ठीक है, सन् १९५२ में जब स्लम्प (slump) आया तो राजस्थान सरकार ने अपनी एक नीति बनायी कि लोगों को अनाज खुला बेचने की सुविधायें दी जावें और दी भी गईं। इसके कारण राजस्थान सरकार के पास जो जुलाई, सन् १९५३ में ६३ हजार टन अनाज था उसमें से एक साल के अन्दर यानि मार्च, सन् १९५३ के दिन ३८ हजार टन रह गया। इसका कारण यह था कि जहाँ जनता को अनाज सस्ता देना था दिया गया और जो बाकी अनाज खराब हो रहा था उसको यहाँ और बाहर बेचा गया। एक यह भी कहा गया है कि अनाज वसूली जो है वह धीरे-धीरे हो रही है और उस पर जैसा ध्यान देना चाहिए वैसा नहीं दिया जाता। इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि यह तय किया गया था कि हिसाब की सारी व्यवस्था अकाउन्टेन्ट जनरल के नीचे रखी जावे। यह व्यवस्था दो वर्ष तक रही और सन् १९५३ में अकाउन्टेन्ट जनरल ने यह हिसाब का काम रसद विभाग को सौंपा। इसके माने यह नहीं है कि हिसाब नहीं रखा गया। फिर भी जिस तरह हिसाब देना था दिया, क्योंकि अकाउन्टेन्ट जनरल के यहाँ व्यवस्था नहीं हो सकी थी।

दूसरी बात, राजस्थान के अन्दर भिन्न-भिन्न जगहों में हिसाब रखने की भिन्न-भिन्न प्रणालियाँ थीं। उन सभी को नियमित बनाने में भी काफी असुविधा रही किन्तु रसद विभाग ने और उसके अकाउन्ट्स विभाग ने काफी प्रयत्न किया और उन सभी प्रणालियों को एक ढंग पर लाने का भी प्रयत्न किया। तीसरी बात, बहुत से राज्यों में पूरे-पूरे रेकर्ड्स भी पूरे-पूरे मामलों के नहीं मिलते थे और नहीं मिले। उनके बराबर पता लगाने का प्रयत्न किया गया और हिसाब को ठीक एडजस्ट कराने का बराबर प्रयत्न किय जा रहा है।

चौथी बात, पब्लिक रिकवरी एक्ट (Public Recovery Act) के सामानान्तर या वैसा कोई विशेष कानून नहीं था। कुछ समय तक वह नहीं रहा। अब वह कानून बन गया है और इस

[श्री भोगीलाल पंड्या]

कानून के बनने के बाद पार्टीज़ को नोटिस दे दिये गये हैं और वसूली की कार्यवाही की जा रही है। काफी रकम वसूली हो चुकी है। अलबत्ता कुछ व्यापारियों को रसद विभाग से लेना है; इस प्रकार के दावे किये हैं और उनके जवाब भी दिये जाते हैं और वसूली की भी बराबर कार्यवाही हो रही है।

मर्जर (merger) होने से पहले के कुछ केसेज़ ऐसे हैं जिनमें कुछ रुपया बाकी है उसके लिये बराबर प्रयत्न किये जा रहे हैं और आशा की जाती है कि एक या दो वर्ष के अन्दर-अन्दर बिल्कुल हिसाब ठीक हो जायगा और वह रकम वसूल कर ली जायगी।

सुपर एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज़ के बारे में भी कहा गया, कुछ बातें कही गई थीं। वे कुछ ऐसे अस्पष्ट शब्दों में कही गईं कि मैं उनको पूरी तरह से समझ नहीं सका। अगर इस सम्बन्ध में ठीक बताया जायगा कि उनका मतलब इससे क्या था तो ठीक-ठीक उत्तर दिया जायगा। अकाउन्टेन्ट जनरल की सूचना के अनुसार इस तरह की जो आय होती है वह ५१ ऑडिनरी चार्जेज में जमा होती है, न कि एस. रेमीटेन्सेज ८५ ए में। अगर यह किसी मद में जमा होने से अकाउन्ट्स ऑफिस को किसी प्रकार का एतराज होगा तो जरूर सुधार कर लिया जायगा।

एक यह भी बताया गया कि हमारे आदमी यातायात पर, जैसा चैक रहना चाहिये नहीं रखते। न मालूम यह बात कैसे कही गई? किन्तु उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि उसके लिए जैसा चैक चाहिए बराबर रखा जाता है और बहुत अच्छे ढङ्ग से रखा जाता है। यातायात रेल और सड़कों से होता है। जो अनाज सड़कों से ढोया जाता है उसके लिए एक नियम बना हुआ है। एक मन अनाज ढोने में दो छटाँक अन्न की कमी होने तक तो माफ होता है बाकी जितना भी अन्न कम होता है उसकी पूरी कीमत ढोने वाले से ली जाती है। उसका रुपया जो बकाया होता है उसमें से काट लिया जाता है और यहाँ तक कि जब तक वह कम होने वाले माल की कीमत नहीं दे देता उसकी सिक्योरिटी रिटर्न भी नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति में न मालूम किस यातायात के कारण बहुत कम अनाज हुआ। अनाज जितना भी कम होता है उसकी कीमत ढोने वाले से वसूल कर ली जाती है, फिर अनाज के कम होने का सवाल नहीं। दूसरा जो यातायात रेलवे से होता है उसमें भी रेलवे के कुछ नियम हैं। उसमें जितना भी अनाज कम होता है उसको प्राप्त करने का बराबर प्रयत्न किया जाता है। उसमें जो नुकसान होता है उसकी पूर्ति के लिए पूरी कार्यवाही की जाती है; जो भी कुछ रेलवे के नियम हैं और कानून हैं उनके अनुसार वसूली की कार्यवाही होती है।

गोदामों की कमी के बारे में भी कहा गया। इसके लिए मेरा तो यह कहना है कि अगर इससे ज्यादा गोदामों की कमी हुई होती तो अच्छा होता। साधारण मन्डियों में, यू. पी., पंजाब को लीजिए वहाँ एक से तीन प्रतिशत तक गोदामों में कमी होती है। हमारे राजस्थान में एक प्रतिशत से भी कम की कमी हुई है।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

हमारे यहाँ आज-कल १ करोड़ २२ लाख मन अनाज प्रोक्योर किया गया और फिज़िकल वेरीफिकेशन (physical verification) से यह मालूम होता है कि एक लाख मन से भी कम की कमी हुई है जो एक प्रतिशत से काफी कम है। वैज्ञानिक ढंग से गोदामों को रखने में समय-समय पर केमिकल्स के छिड़कने के कारण नुकसान में कमी हुई है। इसका रसद विभाग को श्रेय देना तो कहीं रहा उल्टा उस पर इल्जाम लगाया जाता है, जो ठीक नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ग्रोस प्रोफिट, प्रोफिट एन्ड लोस अकाउन्ट और फिज़िकल वेरिफिकेशन कब हुआ इसकी सूचना दीजिये ?

श्री भोगीलाल पंडया—फिज़िकल वेरीफिकेशन अगले साल के लिए फिर हो रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—किस महीने में हुआ यह बतलाइए ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं महीना भी बता रहा हूँ आप जल्दी मत कीजिये। अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर ली है कि फिज़िकल वेरिफिकेशन प्रतिवर्ष होता रहे।। जरूर हमने एक बार फिज़िकल वेरिफिकेशन कराया किन्तु चौमासे के आ जाने से वह रोक दिया गया क्योंकि चौमासे में अनाज खराब हो जाता है; केवल बाजारू आदमियों के कह देने से रसद विभाग फिज़िकल वेरिफिकेशन नहीं करा सकता था। चौमासे के बाद हमने फिर वेरिफिकेशन कराया और यह मार्च १९५३ में फिजीकल वेरीफिकेशन किया गया था। इसके बाद में चौमासे के कारण एक बार बन्द कर देना पड़ा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पब्लिक अकाउन्टस कमेटी (Public Accounts Committee) में विभाग की ओर से जो फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए सूचना दी थी तो वह क्या गलत थी ?

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—On a point of order, Sir, anything laid before the public Accounts Committee, can it be placed before the House ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—It is in the Report and therefore it has already been laid before the House. Of course once a Member read it......

श्री भोगीलाल पंड्या—यदि रसद विभाग ने पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के सामने यदि कोई सूचना दी है तो उस समय तक पूरा वेरीफिकेशन नहीं हो चुका होगा, कुछ बाकी रहा होगा, इसलिये ऐसी सूचना दे दी होगी। मेरा निवेदन यह है कि फिज़िकल वेरीफिकेशन हुआ है, यह मैं एक प्रश्न के उत्तर में भी बता चुका हूँ और दुबारा भी आज कह रहा हूँ। हमारे पास कितना अनाज था, कितना कम हुआ, इसकी जाँच हो चुकी है।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

रहा अब सिर्फ लौस और प्रोफिट अकाउन्ट (Loss and Profit Account) का सवाल, उसके लिये मैंने स्टेटमेंट बनाने के लिए कह दिया है और पूरी-पूरी कोशिश की जा रही है। वह स्टेटमेंट बहुत जल्दी तैयार हो जायगा और उसको सदन के सामने रखा जायगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भिन्न-भिन्न रियासतों में कहाँ कितना अनाज लेवी का लिया गया उसको रसद विभाग अपने ढंग से जल्दी से जल्दी पूरा करने की तैयारी कर रहा है, ताकि प्रोफिट और लोस अकाउन्ट तैयार हो सके। उसके बाद आप लोगों को किसी प्रकार गलत फहमी नहीं रहेगी।

उपाध्यक्ष—चूंकि समय समाप्त हो चुका है इसलिये सदन की कार्यवाही २२ मार्च, १९५४ के दिन के ४ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है। २२ तारीख के चार बजे फिर अधिवेशन होगा।

(सभा की कार्यवाही १२ बज कर ४० मिनट पर दिनाँक २२ मार्च, १९५४ के दिन के ४ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—१७ मार्च, १९५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या २६४ का उत्तर देखिये)

S. No.	Name of the category.	Strength according to Budget 1953-54.	Retrenc-ment already effected	Strength as on 1-2-54.	Proposed retrench-ment.	Net strength for retention in the revi-sed set up.
1	2	3	4	5	6	7
	Administration.					
1.	Gazatted Officers	58	21	37	—	37
2.	Officers of S. A. S.	465	175	290	185	105
3.	Minsterial staff	908	78	830	315	515
4.	Class IV Servants	347	26	321	185	136
	Total	1778	300	1478	685	793
	Godown Techmical Staff.					
1.	Gazetted Officers	—	—	—	—	—
2.	Officers of S. A. S.	58	—	58	30	28
3.	Ministerial staff	364	17	347	190	157
4.	Class IV Servants	310	—	310	130	180
	Total	732	17	715	350	365
	Accounts Organisation.					
1.	Gazetted Officers	14	—	14	—	14
2.	Officers of S. A. S.	—	—	—	—	—
3.	Ministerial staff	381	—	381	—	381
4.	Class IV Servants	74	—	74	—	74
	Total	469	—	469	—	469
	Grand Total	2979	317	2662	1035	1627

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ३०६ का उत्तर देखिये)

क्रम संख्या	स्थान	विवरण
१	मांड़लगढ़ (भीलवाड़ा)	१ कूआ
२	हूरड़ा (भीलवाड़ा)	१ कूआ
३	डूँगरपुर	१ नल
४	करेड़ा (भीलवाड़ा)	१ कुंड
५	तिजारा (अलवर)	१ कूआ
६	सीकर	१ कूआ
७	जोधपुर	२ कूए व ४ नल
८	नागोर	१ कूआ
९	विलाड़ा (जोधपुर)	१ तालाब
१०	सिवाना (बाड़मेर)	१ कूआ
११	चेचट (कोटा)	१ कूआ
१२	झालावाड़	१ कूआ
१३	पचपहार (झालावाड़)	१ कूआ
१४	डेगोद (कोटा)	१ कूआ
१५	राजगढ़ (अलवर)	१ कूआ
१६	भादरा (बीकानेर)	१ कूआ, १ तालाब व १ पौंड
		योग १५ कुयें ४ नल २ तालाब १ पौंड

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ३३३ का उत्तर देखिये)

क्रम संख्या	सड़क का नाम	रकम जो साल हाल में माह फरवरी सन् ५४ तक खर्च हुई।	आलोचना
१.	चित्तौड़ से मानपुरा तक एप्रोच रोड	११५०८,१३,६	वास्तव में यह बूंदी चित्तौड़ गढ़ का ही हिस्सा है।
२.	गंगरार टाउन से गंगरार रेल्वे स्टेशन तक एप्रोच रोड	१६२८६,६,०	
३.	प्रतापगढ़ आरनोद पीपलोदा ग्रेवल्ड सड़क	३६८२३,५,६	
४.	उदयपुर चित्तौड़ सड़क पर बिला कुटे हुए हिस्सों की कुटाई	७६४५१,४,०	
५.	बूंदी चित्तौड़ सड़क के खराब हिस्सों की कुटाई	३२१०८,८,०	
६.	सिगोली से भिचोर सड़क की कुटाई	६१२४३,२,०	
७.	छोटी सादड़ी से बड़ी सादड़ी तक सड़क की कुटाई	२१२५५,६,६	

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ३३५ का उत्तर देखिये)

जिन जिन पुरानी इमारतों की दुरुस्ती इस वर्ष कराई गई उसकी सूची--

क्रम संख्या	नाम इमारत	नाम जगह	सालाना मरम्मत	विशेष मरम्मत	आलोचना
(१)	सरकारी कचहरी	चित्तौड़	६६७)	...	
(२)	,, ,,	कपासन	२६३)	...	
(३)	निजामत बिल्डिंग	निम्बाहेड़ा	७८१)	..	
(४)	तहसील राशमी	राशमी	६०)	...	
(५)	,, ,,	चित्तौड़	२२५)	...	
(६)	भदेसर महल	भदेसर	१२६)	...	
(७)	तहसील	डूँगला	४०)	—	
(८)	,,	कनेरा	३०)	...	
(९)	कोर्ट बिल्डिंग	नंदवाई	११६)	...	
(१०)	जुडिशियल कोर्ट	चित्तौड़	६४)	...	
(११)	,, ,,	छोटीसादड़ी	१००)	...	
(१२)	फतह प्रकाश	चित्तौड़	२१३)	...	
(१३)	पुलिस दफतर	,,	१२०)	...	
(१४)	पुलिस स्टेशन राशमी	राशमी	३५)	...	
(१५)	,, ,,	चित्तौड़	३३)	...	
(१६)	,, ,,	निम्बाहेड़ा	१७३)	...	
(१७)	पुरानी कोतवाली	,,	१०)	...	
(१८)	पुलिस स्टेशन छोटी सादड़ी	छोटी सादड़ी	१०)	...	
(१९)	,, ,,	नंदवाई	६६)	...	
(२०)	,, ,,	मीचोर	३०)	...	
(२१)	,, ,,	डूँगला	२५)	...	
(२२)	,, ,,	भदेसर	२८)	...	
(२३)	पुलिस चौकी	छोटी सादड़ी	१०)	...	
(२४)	जंगलात का स्टोर	भदेसर	२८)	...	
(२५)	डिस्ट्रिक्ट फौरेस्ट का दफ्तर	चित्तौड़	४०)	...	
(२६)	फौरेस्ट रेन्ज़र का दफ्तर	,,	२५)	...	
(२७)	फेरेस्ट मोहरा	भदेसर	२५)	...	
(२८)	जेल बिल्डिंग	चित्तौड़	१७२)	...	

क्रम संख्या	नाम इमारत	नाम जगह	सालाना मरतम्मत	विशेष मरम्मत	आलोचना
(२६)	जेल बिल्डिंग	निम्बाहेड़ा	१५०)	...	
(३०)	,, ,,	छोटी सादड़ी	२५)	...	
(३१)	स्कूल ,,	चित्तौड़	१४२)	२२३१)	
(३२)	,, ,,	कपासन	३६०)	...	
(३३)	,, ,,	राशमी	१५)	...	
(३४)	गर्ल स्कूल	निम्बाहेड़ा	५७)	...	
(३५)	स्कूल	,,	११३)	...	
(३६)	ब्रांच स्कूल	छोटी सादड़ी	२६)	...	
(३७)	हाई स्कूल	,,	५७)	...	
(३८)	,, ,,	बड़ी सादड़ी	१५)	...	
(३६)	स्कूल बेगूं	बेगूं	८६)	...	
(४०)	,,	बीचौर	८)	...	
(४१)	,,	कनेरा	३०)	...	
(४२)	,,	टुकरिया	१०)	...	
(४३)	,,	चिकरी	१४३)	...	
(४४)	,,	बसन	३०)	...	
(४५)	,,	नंदवाई	५०)	...	
(४६)	हाई स्कूल	भदेसर	५०)	...	
(४७)	ब्रांच स्कूल	भदेसर	७६)	...	
(४८)	वैर हाउस	चित्तौड़	१५)	...	
(४६)	कस्टम ऑफिस	,,	३५)	...	
(५०)	कस्टम आउट पोस्ट	,,	६)	...	
(५१)	,, ,, ,,	निम्बाहेड़ा	१६५)	...	
(५२)	कस्टम ऑफिस	,,	२५३)	...	
(५३)	,, ,,	छोटी सादड़ी	११)	...	
(५४)	बेर हाउस डूंगला	डूंगला	१०)	...	
(५५)	कस्टम ऑफिस	,,	२०)	...	
(५६)	बेर हाउस	छोटीसादड़ी	२०)	...	
(५७)	कस्टम आउट पोस्ट	मीचोर	५)	...	
(५८)	,, ,, ,,	कपासन	१०)	...	
(५६)	,, रेलवे स्टेशन	,,	२१)	...	
(६०)	कॉटन फेक्टरी (पेचवर)	चित्तौड़	६६८)	...	
(६१)	,, ,, ,,	छोटी सादड़ी	१७३)	...	

क्रम संख्या	नाम इमारत	नाम जगह	सालाना मरम्मत	विशेष मरम्मत	आलोचना
(६२)	कॉटन फैक्टरी (पेचघर)	कपासन	४२५)	...	
(६३)	औषधालय चित्तौड़	चित्तौड़	८८)	...	
(६४)	,,	कपासन	६४)	...	
(६५)	,,	राशमी	६५)	...	
(६६)	,,	निम्बाहेड़ा	१७८)	...	
(६७)	जनाना अस्पताल	,,	३६)	...	
(६८)	हॉस्पिटल	छोटीसादड़ी	१६२	...	
(६९)	,,	डूँगला	२५)	...	
(७०)	,,	नन्दवाई	२३)	...	
(७१)	,,	भदेसर	४६)	...	
(७२)	असिस्टेन्ट इन्जिनियर ऑफिस	चित्तौड़	६००)	...	
(७३)	रेस्ट हाउस	,,	५२७)	...	
(७४)	पी. डबल्यु. डी. कुआ	,,	—	...	
(७५)	रिसाला बिल्डिंग	निम्बाहेड़ा	७५)	...	
(७६)	पुराना पायगा	,,	१६०)	...	
(७७)	डाक बंगलो	नीमच	५०)	...	
(७८)	,, ,,	चित्तौड़	६८)	...	
(७९)	,, ,, नं० (१)	निम्बाहेड़ा	२७४)	...	
(८०)	,, ,, ,, (२)	,,	—	...	
(८१)	रेस्ट हाउस आवलहेरा	आवलहेरा	६४)	...	
(८२)	,, ,,	मीचोर	८४)	...	
(८३)	मुनिसिप्ल ऑफिस	निम्बाहेड़ा	४०)	...	
(८४)	जनाना अस्पताल	छोटी सादड़ी	६)	...	
(८५)	सरकारी बाग रूम	निम्बाहेड़ा	१५)	—	
(८६)	सीड स्टोर	कपासन	३२)	...	
(८७)	पोस्ट ऑफिस	चित्तौड़	१०)	...	
(८८)	कुँकुँ वाई हाउस	,,	२५)	...	
(८९)	जनाना हॉसपिटल	प्रतापगढ़	४१२)	...	
(९०)	जनरल ,,	,,	३०३)	७६८	
(९१)	डिस्ट्रिक्ट जेल	,,	१४५)	...	
(९२)	पोस्ट ऑफिस	,,	१४)	...	
(९३)	कस्टम ऑफिस	,,	४५)	...	
(९४)	,, ,,	राजपुरिया	४५)	...	

क्रम संख्या	नाम इमारत	नाम जगह	सालाना मरम्मत	विशेष मरम्मत	आलोचना
(९५)	असिस्टेंट इंजिनियर ऑफिस	प्रतापगढ़	१३०)	...	
(९६)	डाक बंगलो	,,	३५३)	...	
(९७)	फरासखाना	,,	२६)	...	
(९८)	पुराना भवन	,,	२३५)	...	
(९९)	रेकार्ड ऑफिस प्रतापगढ़	,,	५२)	...	
(१००)	बार ऐसोसियेशन	,,	१३)	...	
(१०१)	पुलिस डिपार्टमेंट	,,	६०)	...	
(१०२)	आर्म्ड पुलिस लाइन	,,	३१०)	...	
(१०३)	थाना	रथनजना	३५)	...	
(१०४)	पुलिस आउट पोस्ट	सगनथाल	३५)	...	
(१०५)	प्रताप प्राइमरी स्कूल	प्रतापगढ़	४७)	...	
(१०६)	श्री राम हाई स्कूल	,,	६६६)	...	
(१०७)	गर्ल स्कूल	,,	६२)	...	
(१०८)	अनाथ आश्रम	,,	१३६)	...	
			टोटल १३,०५६)		

रेजीडेन्शियल गवर्नमेंट बिल्डिंग

क्रम संख्या	नाम इमारत	नाम जगह	सालाना मरम्मत	विशेष मरम्मत	आलोचना
(१)	कलेक्टर रेज़ीडेन्स	चित्तौड़	४५)	...	
(२)	सब डिवीज़नल ऑफिसर	,,	५५)	...	
(३)	तहसीलदार रेज़ीडेन्स	कपासन	२१)	...	
(४)	,, ,,	राशमी	१०)	...	
(५)	एस० डी० ओ० ,,	निम्बाहेड़ा	१०)	...	
(६)	तहसीलदार ,,	,,	२५)	...	
(७)	,, ,,	छोटी सादड़ी	३२)	...	
(८)	,, ,,	भदेसर	३०)	...	
(९)	,, ,,	डूंगला	१५)	...	
(१०)	,, ,,	कनेरा	१०)	...	

Page No.97

क्रम संख्या	नाम इमारत		नाम जगह	सालाना मरम्मत	विशेष मरम्मत	आलोचना
(११)	मजिस्ट्रेट रेज़ीडेन्सी		छोटी सादड़ी	२५)	...	
(१२)	सिविल जज	,,	निम्बाहेड़ा	२१०)	...	
(१३)	ऐस० पी०	,,	चित्तौड़	२००)	...	
(१४)	एस० आई०	,,	,,	२७२)	...	
(१५)	सी० आई०	,,	निम्बाहेड़ा	२५)	...	
(१६)	कौतवाली क्वार्टर		,,	२५)	...	
(१७)	जमादार	,,	,,	२०)	...	
(१८)	डिप्टी एस० पी० क्वार्टर		,,	१५)	१,२००)	
(१९)	पुलिस इन्स्पेक्टर	,,	चित्तौड़	१०)	...	
(२०)	,, एस० आई०	,,	नंदवई	१०)	...	
(२१)	,, ,,	,,	चित्तौड़	१०)	...	
(२२)	,, ,,	,,	भदेसर	२५)	...	
(२३)	,, ,,	,,	छोटी सादड़ी	२६६)	...	
(२४)	हैड मास्टर	,,	भदेसर	७)	...	
(२५)	असिस्टेंट टीचर	,,	,,	११)	...	
(२६)	हैड मास्टर	,,	चित्तौड़	२४)	...	
(२७)	,, ,,	,,	कपासन	१०)	...	
(२८)	,, ,,	,,	राशमी	१५)	...	
(२९)	,, ,,	,,	कनेरा	५)	...	
(३०)	हैडमास्टर क्वार्टर		निम्बाहेड़ा	५)	...	
(३१)	कस्टम बिल्डिंग		चित्तौड़	१५)	...	
(३२)	वेर हाउस क्लर्क क्वार्टर		,,	१३)	...	
(३३)	कस्टम डानी		छोडीसादड़ी	१५)	...	
(३४)	वेर हाउस क्लर्क	,,	,,	१५)	...	
(३५)	डाणी कस्टम पोस्ट		राशमी	१०)	...	
(३६)	,, ,,	,,	डूँगला	३०)	...	
(३७)	डाक्टर क्वार्टर		भदेसर	२०)	...	
(३८)	,, ,,		चित्तौड़	२४)	...	
(३९)	,, ,,		कपासन	३१)	...	
(४०)	,, ,,		निम्बाहेड़ा	२१७)	...	
(४१)	,, ,,		राशमी	२०)	...	

क्रम संख्या	नाम इमारत	नाम जगह	सालाना मरम्मत	विशेष मरम्मत	आलोचना
(४२)	लेडी डाक्टर क्वार्टर	निम्बाहेड़ा	४३)	...	
(४३)	मिड वाइफ „	,,	३३)	...	
(४४)	डाक्टर „	डूंगला	२५)	...	
(४५)	„ „	छोटीसादड़ी	१७०)	...	
(४६)	वेटेनरी डाक्टर „	„	१५)	...	
(४७)	मेनेजर कॉटन फेक्ट्री (पेचघर)	चित्तौड़	१२८)	...	
(४८)	इंजिनियर क्वार्टर	,,	६०)	...	
(४९)	क्लर्क „	„	२०)	...	
(५०)	„ „	„	३०)	...	
(५१)	नौकरों का „	„	३३)	...	
(५२)	इंजिनियर „	छोटीसादड़ी	२०)	...	
(५३)	मेनेजर कॉटन फेक्टरी (पेचघर)	„	२०)	...	
(५४)	मेनेजर और इंजिनियर „	कपासन	१५७)	...	
(५५)	डिट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर क्वा०	चित्तौड़	२०)	...	
(५६)	रेन्जर „	„	२०)	...	
(५७)	फोरेस्ट ऑफिसर „	छोटीसादड़ी	२०)	...	
(५८)	„ क्लर्क „	„	१५)	...	
(५९)	पोस्ट मास्टर „	चित्तौड़	३७)	...	
(६०)	जेलर „	निम्बाहेड़ा	१६)	...	
(६१)	असिस्टेंट इंजिनियर „	चित्तौड़	२०)	...	
(६२)	ओवरसियर „	„	१५)	...	
(६३)	क्लर्क्स „	,,	१०)	...	
(६४)	„ „	„	५)	...	
(६५)	„ „	„	५)	...	
(६६)	आउट हाउस „	निम्बाहेड़ा	३३५)	...	
(६७)	स्टेशन के पास सराय „	चित्तौड़	१२५)	...	
(६८)	हैड क्लर्क „	भदेसर	१५)	...	
(६९)	क्लर्क „	,,	२०)	...	
(७०)	केशियर ,,	„	१०)	...	
(७१)	सेशन जज „	प्रतापगढ़	३८)	२४४)	
(७२)	ए० ई० एन० „	„	१५)	१२६)	

क्रम संख्या	नाम इमारत	नाम जगह	सालाना मरम्मत	विशेष मरम्मत	आलोचना
(७३)	पोस्ट मास्टर „	प्रतापगढ़	३०)	...	
(७४)	जेलर „	„	१८)	...	
(७५)	डी०ऐम०एच०ओ०„	„	४५)	...	
(७६)	एस० आई „	रंथन्जा	१०)	...	
(७७)	जमादार क्वार्टर	रंथन्जा	२०)	...	
(७८)	आर्म्ड पुलिस लाईन क्वार्टर	„	२०)	...	
(७९)	कोर्ट इंस्पेक्टर „	निम्बाहेड़ा	३८)	...	

परिशिष्ट ५

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जोकि सदन की मेज पर रखे गये)

4. (53/F. M.) Shri H. K. Vyas, M. L. A., Division No. 160.

Will the the Minister for P. W. D be pleased to answer;—

(a) Is the Government aware that grave discontent prevails amongst the employees of the Electrical Department because their grievences have been redressed.

(b) Is it a fact that the General Council of the Rajasthan Electric Department Employees Federation has recently accused the Government of delaying tactics and violation of assurances ?

(c) Is it a fact that the Federation's General Council has called upon its constituent units to take a strike ballot ?

(d) In view of the extremely important nature of the undertakings will the Government take steps to negotiate with the Federation and settle this long standing dispute ?

उत्तर

(a) Some interested parties have engineered some discontentment among the employees of the Electrical and Mechanical Department.

(b) Certain demands have been put forward by the Rajasthan Electric and Water Workers Federation to which replies have been sent. There is no delaying tactics on the part of the Government nor any room for accusation of violation of assurances.

(c) Yes

(d) Government is always prepared to hear grievances which it does with sympathy and consideration.

परिशिष्ट ६

(कृपया प्रश्न संख्या ३३५ देखिये)

List of additions & alteration works carried out or taken up

S. No.	Buildings.	Name of place	Expenditure incurred up to2/54	Remarks
1.	Completion of Main-Hall of Shri Ram High School.	Pratapgarh.	2,719/-	Work completed
2.	Completion of Bar-Association.	—do—	1,380/-	—do—
3.	Addition & Alteration to Secretariat Building.	Chittor.	—	Work in Progress.
4.	Addition & Alteration to Strong Room for Tehsil Treasury.	Kanera.	—	Work completed, Bill awaited.
5.	Addition & Alteration to strong Room for Tehsil Treasury.	Doongla.	—	—do—
6	Addition & Alteration to Strong Room for Tehsil Treasury.	Kapasin	—	—do—
7.	Addition & Alteration to the office of the Deputy Superintendent of Police.	Chittor.	5,056/8/-	Work completed.
8.	Petty Original Works in Jail Building.	Pratapgarh.	—	Work completed, Bill awaited.
9.	Addition & Alteration to lock-up.	Chotisadri.	4,485/12/-	Work completed.
10.	Addition & Alteration to Lock-up.	Chittor.	1/3/-	Work completed, Bill awaited.

परिशिष्ट ७

(कृपया प्रश्न संख्या ३०६ का उत्तर देखिये)

मन्दिर व स्थानों की सूची जहाँ प्रथम हरिजन दिवस दिनांक ४-१०-५२ ई० को हरिजनों ने दर्शन किये ।

१. खाचिरियावास (सीकर)
२. मन्दिर श्री नारायण भगवान्, पिन्डवाड़ा ।
३. ग्राम भीलवाड़ा (जोधपुर डिविजन)
४. मन्दिर श्री नरसिंघ जी, पचपदरा ।
५. जैसलमेर ।
६. मन्दिर श्री रामजानकीजी, झालावाड़ ।
७. मन्दिर श्री चतुरभुजजी, छाबड़ा ।
८. मन्दिर श्री महादेवजी चेचट ।
९. मन्दिर श्री हनुमानजी, हनुमानगढ़ ।
१०. मन्दिर श्री करनीजी, भदरा ।
११. मन्दिर श्री शीतलाजी, रतनगढ़ ।
१२. मन्दिर श्री गोविन्ददेवजी, राजगढ़ (अलवर)
१३. मन्दिर श्री मुरली मनोहरजी, बानसूर (अलवर)
१४. मन्दिर श्री गोपीनाथजी, दांता रामगढ़ ।
१५. मन्दिर श्री भूतेश्वर महादेव, कोटकासिम (अलवर)
१६. श्री गोर्धनजी, करेरा ।
१७. मन्दिर श्री चारभुजजी, शाहपुरा ।

परिशिष्ट ८

(कृपया प्रश्न संख्या ३१० का उत्तर देखिये)

List of Roads Under Bhakra Dam Project.

I.	Hanumangarh Dabli Pili Bangar Suratgarh	$29^1/_2$ Miles.
II	Shri Ganganagar Ganeshgarh Jorkian Sardarpura Ramsara Suratgarh.	41 Miles
III.	Shri Ganganagar Lalgarh Morghanda Paka Bhada Pilibanga, $10^1/_2$, $6^1/_2$, 8, 12,	37 Miles
IV.	Jorkian Paka Bhadwa. 14, $14^1/_2$,	$28^1/_2$ Miles.
V.	Sadulshahar Jandawali Sangaria to border.	29 Miles.
VI.	Hanumangarh Manaksar Sangaria Dhaban	24 Miles.
VII.	Sangaria Tibi.	17 Miles.
VIII.	Hanumangarh Tibi.	11 Miles.
IX.	Tibi Talwara Jhil.	6 Miles.
X.	Rilibanaga Rawatsar.	25 Miles.
XI.	Rawatsar Nohar.	$22^1/_2$ Miles.
XII.	Nohar Khansuia.	11 Miles.
XIII.	Nohar Ujalwas.	13 Miles.
XIV.	Ujalwas Bhadra.	13 Miles.
XV.	Nohar Phiphana.	13 Miles
XVI.	Phiphana Ujalwas.	12 Miles.
XVII.	Ujalwas Nerwania.	$7^1/_2$ Miles.
	3305	$330^1/_2$ Miles.

Cost at Rs. 50000/ per mile.

1, 65, 25,000/-

Mandias.

Class I.	30 Miles Rs. 50,000/	15,00,000/-
Class II.	30 Miles Rs. 50,000/	10,00,000/-
Class III.	10 Miles Rs. 50,000/	5,00,000/-

Filter Plant and Distribution System of water.

Class I.	5,00,000/-
Class II.	2,00,000/-
Class III.	1,00,000/-

Street Lighting.

Class I. Mandi.	2,00,000/-
Class II. Mandi	50,000/-
Class III. Mandi.	25,000/-